पंचम माला, खंड 55; अंक 4, गुरुवार, 8 जनवरी, 1976/18 पौष, 1897 (शक)
Fifth Series, Vol. LV, No. 4, Thursday, January 8, 1976/Pausa 18, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र / Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 55 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. LV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English /Hindi.]

2225 (ai) LS—1.

विषय सूची/CONTENTS

अंक 4 : गुरुवार, 8 जनवरी, 1976/18 पौष, 1897 (शक)

No. 4 : Thursday, January 8, 1976/Pausa 18, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**Oral Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 44, 46, 47 और 49 से 52	Starred Questions Nos. 41 to 44, 46, 57 and 49 to 52	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**Written Answers to Questions :**	
तारांकित प्रश्न संख्या 45, 48 और 53 से 60	Starred Questions No. 45, 48 and 53 to 60 .	17—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 220 से 227, 229 से 319, 321 और 322	Unstarred Questions Nos. 220 to 227, 229 to 319, 321 and 322	22—70
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	71—76
प्राक्कलन समिति :	Estimates Committee :	
82वां प्रतिवेदन	Eighty-second Report	77
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति :	Committee on Public Undertakings :	
74वां प्रतिवेदन	Seventy-forth Report	77
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति :	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes :	
42वां तथा 43वां प्रतिवेदन	Forty-second and forty-third Reports	77
रेल अभिसमय समिति :	Railway Convention Committee :	
9वां प्रतिवेदन	Ninth Report	77
समितियों के लिए निर्वाचन :	Election to Committees :	
(एक) राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड; और	(i) National Shipping Board ; and	
(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम	(ii) Employees State Insurance Corporation	78

+किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव--जारी	Motion of Thanks on the President's Address —*Contd.*	78—99
श्री के लकप्पा	Shri K. Lakkappa	79
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	79
श्री राम सहाय पांडे	Shri R.S. Pandey .	80
श्री त्रिदिव चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri	818-2
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P.R. Shenoy	82
श्री एच० एम० पटेल	hri H.M. Patel	83
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	84
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	85-86
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	86
श्रीमती एम० गोडफ्रे	Shrimati M. Godfrey	87
श्री धरनीधर दास	Shri Dharnidhar Das	87-88
डा० के० एल० राव	Dr. K.L. Rao .	88-90
श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी	Shri Swami Brahmanandji	90
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yashwantrao Chavan	90-93
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair	93
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	94
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	94-96
श्री दामोदर पाण्डेय	Shri Damodar Pandey	96
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Vishwanathan	96-98
श्री के० गोपाल	Shri K. Gopal	98
श्रीमती रोजा देशपाण्डे	Shrimati Roza Deshpande	98
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia	99
आपात स्थिति की उद्घोषणा के अन्तर्गत अधिसूचना-- :	Notification under Proclamation of Emergency :	304
सभा पटल पर रखी गई	Laid on the Table	99

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडू, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (वारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एगती श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोब्बिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० एं० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढ़रपुर)
काबले, श्री डी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरूषोत्तम (पजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)

किन्दर लाल, श्री, (हरदोई)
किरतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोल्लाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बूटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर. श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णसाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी श्री सोमनाथ (वर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)

चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका, प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइननुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चित्तौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एम० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)

तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर, (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बूलूर)
देव, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पचनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडीचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)

पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय, (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्लै, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरी)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध, चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बडे, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन्, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (डार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)

भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री बी० (चिदाम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)

मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शरद, (जबलपुर)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन् श्री एस० (कुडलूर)
रामकंवार, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिजनौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हेडाऊ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बासगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्ट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० सजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी , श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)

रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ़्फ़रनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेंदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझनु)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)

शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फ़तेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)
सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतूल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री, श्याम श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (वीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फ़ैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फ़रपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फ़ूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावलु, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुजी)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नूरुल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसंत साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रीमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसी लाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग और पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विठ्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागरिक विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
विदेश मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिनपाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एस० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मन्त्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 8 जनवरी, 1976/18 पौष, 1897 (शक)

Thursday, 8, January 1976/Pausa 18, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जुलाई से दिसम्बर 1975 के दौरान उद्योगों में हड़तालें तथा तालाबन्दियां

*41. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपात-स्थिति के दौरान विभिन्न उद्योगों में बहुत कम संख्या में हड़तालें, घेराव, तालाबन्दियां आदि हुई हैं ;

(ख) जुलाई से दिसम्बर, 1974 तक तथा जुलाई से दिसम्बर, 1975 तक की अवधियों में देश के विभिन्न उद्योगों में क्रमश: कितनी हड़तालें, घेराव तथा तालाबन्दियां हुईं ; और

(ग) सरकार का निकट भविष्य में विभिन्न उद्योगों में हड़ताल, घेराव तथा तालाबदिन्यां रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). जुलाई--दिसम्बर, 1974 और जुलाई--दिसम्बर, 1975 के दौरान हड़तालों, तालाबन्दियों और घेरावों के कारण कामबन्दियों की संख्या के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार थी :--

अवधि	काम बन्दियों की संख्या	
	हड़तालें/तालाबन्दियां	घेराव
जुलाई-दिसम्बर, 1974 .	1421	5
जुलाई-दिसम्बर, 1975 . (अनंतिम)	402	4

जबकि आपात के बाद की अवधि के दौरान कम हड़तालें/तालाबन्दियां और घेराव हुए हैं, निजी क्षेत्र में कई उद्योगों में बढ़ती हुई जबरी छुट्टियों और छंटनियों के जो मामले श्रम मन्त्रालय के ध्यान में लाए गए हैं उनसे सरकार को कुछ चिन्ता हो रही है।

(ग) केन्द्र और राज्य दोनों जगह औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र, अनौपचारिक मध्यस्थता, संराधन, न्याय-निर्णयन या विवाचन द्वारा, जैसा कि वर्तमान सांविधिक उपबन्धों और स्वेच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आवश्यक है, काम-बन्दियों को कम करने के लिए प्रयास जारी रख रहे हैं।

सरकार ने देश में औद्योगिक सम्बन्ध की परिस्थितियों की पुनरीक्षा करने और अविरत उत्पादन प्राप्त करने के लिए सामंजस्य और औद्योगिक शान्ति को बढ़ावा देने हेतु एक द्विपक्षीय राष्ट्रीय शिखर निकाय स्थापित किया है। कई अन्य उद्योगों के लिए भी इसी प्रकार के द्विपक्षीय निकाय स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकारों से भी राज्य स्तर पर इसी प्रकार के निकाय स्थापित करने का अनुरोध किया गया है।

Smt. Savitri Shyam: Sir, according to the Statement there have been 422 strikes and lock-out in all from July to December, 1975, but the hon. Minister has not given separate figure for each. As far as I know, the number of lock-outs has far exceeded that of Strikes. One month after emergency, there was strike in Mulsrry Equating Products, Ltd., Mangalore and only 2-3 days back there was a massive strike and lock-out in Shikohabad and according to today's newspapers, workers in Swadeshi Mills and Lakshmi Rattan Mills are being retrenched and the Mills are being closed down. I want to draw the hon. Minister's attention to the decision taken by the National Apex Body at its meeting held on the 13th August, 1975 that there would be no lay-off.

इस कारण हुआ घाटा कारखाने के कुल संसाधनों से पूरा किया जाएगा। मैं जानना चाहती हूं कि उक्त बाडी में दिए गए वचन का पालन क्यों नहीं किया गया था कि किए गए निश्चयों का क्या हुआ ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जुलाई—दिसम्बर, 1974 की अवधि में कुल 1421 हड़तालें तथा तालाबन्दियां हुईं जिनसे 98 लाख जन-दिवसों की हानि हुई जबकि जुलाई—दिसम्बर, 1975 की अवधि में कुल 402 हड़तालें तथा तालाबन्दियां हुई थीं जिनसे 23 लाख जन-दिवसों की हानि हुई थी। इसी प्रकार आपात-स्थिति के बाद की अवधि में अपेक्षाकृत कम हड़तालें। तालाबन्दियां और घेराव हुए। दूसरे शब्दों में आपात-स्थिति घोषित करने के बाद बहुत कम जन-दिवसों की हानि हुई है। जिस विश्लेषण के बारे में सदस्य महोदय ने पूछा है, उसकी जानकारी की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह जानकारी सहज ही उपलब्ध नहीं है। जबकि हड़ताल समाप्त होती है, तालाबन्दी उसके बाद शुरू होती है। और जब तालाबन्दी समाप्त होती है उसके बाद हड़ताल आरम्भ हो जाती है। इसका विश्लेषण किया जा रहा है और उपलब्ध होते ही यह जानकारी दे दी जायेगी।

यद्यपि श्रम मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए शीर्षस्थ निकाय (एपेक्स बाडी) की सहायता कर रहे हैं तथापि यह निश्चित रूप से एक द्विपक्षीय निकाय है जिसमें नियोजकों और श्रमिकों के ही प्रतिनिधि होते हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर के मुख्य श्रमिक संघ संघठन और नियोजकों के संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रीय शीर्षस्थ निकाय ने जब इस प्रश्न पर चर्चा की तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले : राष्ट्रीय शीर्षस्थ निकाय सिफारिश करता है कि किसी भी उद्योग में एक-पक्षीय आधार पर जबरी छुट्टी नहीं की जायेगी। जबरी छुट्टी का कोई भी प्रस्ताव पहले संयंत्र स्तर पर द्विपक्षीय बैठकों में चर्चा अधीन लाया जायेगा और यदि उस स्तर पर सहमति हो जाये तो उक्त सहमति के आधार पर जबरी छुट्टी की जा सकती है। तथापि, यदि सन्यत्र स्तर पर सहमति न हो तो एक निश्चित समय के अन्दर उस उद्योग के लिए राज्य की या राष्ट्रीय समिति में यह मामला

उठाया जा सकता है। यदि जबरी छुट्टी एक राज्य में किसी एक उद्योग के किसी एक कारखाने तक ही सीमित हो तो केवल वही राज्य उससे निपटने के लिए सक्षम होगा। परन्तु जहां किसी उद्योग के एक से अधिक राज्य में स्थित कारखानों में तालाबन्दी हुई हो वहां उस उद्योग की राष्ट्रीय समिति द्वारा यह मामला निपटाया जायेगा। जहां प्रबन्धकों के नियन्त्रण से बाहर के कारणों से जबरी छुट्टी करना अनिवार्य हो वहां उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना होगा। परन्तु अन्य प्रकार की जबरी छुट्टियों में जिनमें आर्थिक कारणों से जबरी छुट्टी भी शामिल है, अन्यथा विचार करना होगा। जहां नियोजक लाभ कमाता रहा हो या उसने काफी रक्षित पूंजी बनाली हो, वहा संचित संसाधनों से श्रमिकों को जबरी छुट्टी के दौरान भुगतान करने के सभी सम्भव प्रयास किए जाने चाहिएं। सर्वोच्च निकाय में नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच इस सहमति के बावजूद सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि अब भी कहीं-कहीं जबरी छुट्टी और छंटनी की जा रही है। आपको याद होगा कि सरकार ने पहले ही यह घोषणा कर रखी है कि सरकार इस बात को बहुत गम्भीर मानती है और कानून बना कर कदम उठाये जायेंगे। सरकार इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है।

श्रीमती सावित्री श्याम : मैंने विशेष रूप से यह पूछा था कि तालाबन्दियों और जबरी छुट्टी की घटनाओं की अलग-अलग संख्या क्या है? मैं उनके उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं। आप मन्त्री महोदय से यह आंकड़े बाद में देने को कहें। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार उन उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है जिन्होंने तालाबन्दियों और जबरी छुट्टी सम्बन्धी निर्णयों का पालन नहीं किया है? इन दोनों में फर्क ही क्या है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरा नम्र निवेदन यह है कि तालाबन्दी और जबरी छुट्टी में तथा तालाबन्दी और हड़ताल में अन्तर है। इस समय हम विशेष रूप से जबरी छुट्टी, छंटनी और कारखाने बन्द होने पर चिन्तित हैं जिसका श्रमिकों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मैं बता ही चुका हूं कि तालाबन्दी और जबरी छुट्टी सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध होते ही मैं सूचित करूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : उन्होंने कहा है कि सरकार इस स्थिति के बारे में बहुत चिन्तित है और विधान बनाने की सोच रही है। क्या यह सच नहीं है कि सर्वोच्च निकाय के श्रमिक पक्ष ने सिफारिश की थी कि समुचित विधान बनने तक जबरी छुट्टी, छंटनी और कारखाने बन्द होने पर रोक लगाने के लिए अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए? और क्या सर्वोच्च निकाय ने भी यह सिफारिश नहीं की थी? क्या यह सच नहीं है कि कानपुर में लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, स्वदेशी मिल्स और कानपुर उद्योग, इन तीन मिलों में गत एक वर्ष से ताले पड़े हुए हैं और दस हजार श्रमिक बेकार हैं?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इन प्रश्न के दो पहलू हैं। एक है अध्यादेश के बारे में जो शीर्षस्थ निकाय द्वारा सिफारिश प्राप्त समझा जाता है। वास्तव में सर्वोच्च निकाय की बैठकों की कार्यवाही में नियोजकों के नहीं बल्कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इसका उल्लेख किया था। तथ्य के रूप में मैं यह बात बता रहा हूं। मैं बता ही चुका हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में एक घोषणा कर रखी है। सरकार इस विधान पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। अतः विधान तैयार होते ही सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। लक्ष्मी रतन तथा अन्य मिलों के बन्द होने के बारे में मैं यही कहूंगा कि सरकार की अपेक्षा सदस्य महोदय कहीं अधिक जानते हैं। उन्होंने यह मामला अनेक बार उठाया है। इस पर शीर्षस्थ निकाय कपड़ा उद्योग सम्बन्धी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति तथा केन्द्र और राज्य सरकारों ने विचार किया है और वे चिन्तित हैं।

Shri Mohammed Ismail : First of all I want to know why my notice having similar subject-matter was not admitted by him.

Secondly, whether Government are aware that employers are using unfair means towards workers on the pretext of emergency and Government is conniving with them. So that the workers might have to come to terms with the employers as has happened in the case of Ridge Hotel, Calcutta, where illegal lock-out is conttining for the past four months without Government's intervention so far Similarly 6-7 months' old lock-out is continuing in Kharda Jute Mill without assigning any reason therefor, So much so that their wages for the month of January have also not been paid to them.....

Shri Priya Ranjan Das Munsi : One worker was murdered also.

Shri Mohammed Ismail: I, therefore, want to know the Specific steps taken by Government in this regard ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को अनुचित श्रमिक प्रक्रियाओं के बारे में उत्तर देना चाहिये न कि ब्यौरे देने चाहिएं ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैंने वर्तमान तालाबन्दियों, छंटनी और कारखाने बन्द होने के बारे में बता दिया है । इस सम्बन्ध में सरकार विधान लाना चाहती है और एक घोषणा भी की जा चुकी है, जो शायद प्रकाशित भी हुई होगी । होटलों और इन सभी मामलों के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि वे राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं । इस प्रश्न का सम्बन्ध सामान्य रूप से जबरी छुट्टी, हड़तालों और तालाबन्दियों से है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । 15 मिनट बीत चुके हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी: मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या 41 पर अल्पकालिक चर्चा की आप अनुमति दें ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी: मैं भी श्री बनर्जी के इस मत से सहमत हूं । और इसीलिए इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं ।

राष्ट्रपति फोर्ड की भारत की प्रस्तावित यात्रा

*42. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रपति फोर्ड ने भारत का दौरा करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उनका यह दौरा कब होगा ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत सरकार के एक बहुत पहले के आमन्त्रण के उत्तर में राष्ट्रपति फोर्ड ने भारत की सद्भावना यात्रा पर आने का अपना इरादा जाहिर किया है । यात्रा ऐसे समय होगी जो दोनों के लिए सुविधाजनक हो और जिसकी तारीख अभी निश्चित करनी है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि यह निमन्त्रण बहुत पहले का है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अमरीकी राष्ट्रपति को यह निमन्त्रण वास्तव में कब दिया था, क्या यह उस समय दिया गया था जब श्री निकसन राष्ट्रपति थे या बाद में

जब श्री फोर्ड राष्ट्रपति बने ? क्या निमन्त्रण देते समय भारत सरकार ने अमरीकी सरकार का ध्यान उनकी अस्थिरता की घोषित नीति की ओर दिलाया था? और यदि हां, तो अमरीका सरकार के उत्तर पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण: सबसे पहले यह निमन्त्रण राष्ट्रपति फोर्ड को उस समय दिया गया था जब वे उप-राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इसे उनके राष्ट्रपति बनने पर पुनः दोहराया गया। जब डा० किसिन्जर भारत आए तब वार्ता की समाप्ति पर इसे फिर दोहरा गया। स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति फोर्ड से मैंने इस प्रश्न पर चर्चा नहीं की। हमने आपसी सम्बन्धों और उन्हें सुधारने के उपायों पर ही चर्चा की।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : हम संसार भर के लगभग सभी देशों के साथ शान्ति और मित्रता चाहते हैं और यह हमारी राष्ट्रीय नीति है, अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति फोर्ड के साथ अमरीका में हुई उनकी वार्ता में उन्होंने पाकिस्तान को शस्त्र-सप्लाई पर लगे प्रतिबन्ध हटा लेने सम्बन्धी मामला भी उठाया था और भारतीय उप-महाद्वीप में निरन्तर बने तनाव तथा हिन्द महासागर में अमरीका सरकार के अड्डे का भी मामला उठाया था जिससे इस महाद्वीप में अस्थिरता का निरन्तर खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो इस चर्चा का क्या परिणाम रहा ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में हुई चर्चाओं में भी यह प्रश्न उठाया गया था। हम समझते हैं कि इस क्षेत्र में अनावश्यक शस्त्र सप्लाई से तनाव उत्पन्न होता है और सुरक्षा की समस्यायें उत्पन्न होती हैं। इसके साथ ही अस्थिरता का भी प्रश्न उत्पन्न होता है। स्वाभाविक है कि अमरीका सरकार ने अपना निर्णय उक्त चर्चाओं के बाद लिया और जैसा कि आप जानते हैं हम इससे सहमत नहीं हैं और इसका निरनुमोदन करते हैं। मैंने यही प्रश्न अपनी वाशिंगटन यात्रा में भारत-अमरीकी संयुक्त आयोग के सिलसिले में भी उठाया था और इस मामले की विशेष रूप से चर्चा की थी मैं बस इतना ही कह सकता हूं। हमने इस उप-महाद्वीप में इसके अप्रिय परिणामों पर बल दिया है। हमें बताया गया है कि जो भी शस्त्र सप्लाई किए गए हैं वे नकद भुगतान के आधार पर किए गए हैं और प्रत्येक मामले में गुणदोषों पर ध्यान रखा गया है। इससे हमारा सन्तोष नहीं हुआ है क्योंकि अन्ततः पाकिस्तान को शस्त्र पहुंचे हैं। हम स्थिति पर निरन्तर नज़र रखे हुए हैं।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या उन्होंने राष्ट्रपति फोर्ड का ध्यान उनकी इस घोषणा की ओर दिल दिलाया है कि भारत के लोगों ने 1947 में जो भी पाया था वह 1975 में आपात स्थिति के बाद खो दिया है, यदि हां, तो उनका उत्तर क्या है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह प्रश्न भी हमारी वार्ता में आया था और राष्ट्रपति फोर्ड ने कहा था कि वह अन्य देशों को भी उसी प्रकार अच्छा या बुरा मानते हैं जो उनके अपने देश के लिए अच्छा या बुरा होता है। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा था कि इससे उनका आशय भारत की आलोचना करना नहीं था। तथापि मैंने उन्हें कहा था कि ऐसी आलोचना, और वह भी सार्वजनिक घोषणा के रूप में, का अर्थ हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है। उन्होंने बताया कि इसे आलोचना के रूप में न लिया जाये और वह नहीं चाहते कि ऐसी कोई बात दोनों देशों के सम्बन्धों में बाधक हो।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मन्त्री महोदय ने कहा है कि राष्ट्रपति फोर्ड का आशय हमारे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उनकी अमरीका यात्रा के बाद राष्ट्रपति फोर्ड ने एक वक्तव्य दिया है

कि अमरीका की सुरक्षा के हित में सी० आई० ए० जैसी एजन्सियों के माध्यम से अन्य देशों के मामलों में हस्तक्षेप करना उनका सर्वमान्य अधिकार है और क्या वह डीगो गार्शिया के अड्डे के प्रश्न पर अमरीकी रवैये से परिचित हैं ? क्या उन्होंने यह प्रश्न उठाए थे और यदि हां, तो उक्त राष्ट्रपति ने उन्हें क्या आश्वासन या उत्तर दिया ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : आपने मेरी बैठक के बाद उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य का उल्लेख किया है। स्वाभाविक है कि मैं उनसे इन बातों पर चर्चा नहीं कर सका।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : किन्तु राजनयिक माध्यम तो आपके पास है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने डिगो गार्शिया के प्रश्न पर उनसे बात की थी और स्पष्ट रूप से इसका विरोध किया था जब मैंने अमरीकी विदेश मंत्री से यह मामला उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप समझते हैं कि इस प्रश्न का ठीक उत्तर दे दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले प्रश्न के लिए कह चुका हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मंत्री महोदय ने बताया है कि उक्त वक्तव्य इनकी यात्रा के बाद दिया गया था परन्तु प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न तो यह है कि क्या यह मामला कूटनीतिक स्तर पर उठाया गया है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार सहमत हो तो इसका उत्तर दे सकती है। मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर प्रश्नकाल क्यों रखा गया है ?

श्री पी० जी० मावलंकर : आप इन प्रश्नों को निपटाने में इतनी शीघ्रता क्यों बरत रहे हैं ? पूरक प्रश्न भी तो महत्वपर्ण हैं।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा समान किराया प्रणाली का पुनरीक्षण

*43. **श्री राम सहाय पांडे** :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम हाल में आरम्भ की गई समान किराया प्रणाली का पुनरीक्षण करने का विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली परिवहन निगम के विचराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Shri R.S. Pandey : According to press-reports the D T.C. is contemplating 30 Paise ticket from one point to another. Whether there is any such proposal ? If so, the nature thereof ?

Shri Dalbir Singh: There is no proposal at present to change the system introduced from October last and we are still watching its performance. We do not intend to change it so soon.

Shri R.S. Pandey : What is its impact on return and efficiency of Service ?

Shri Dalbir Singh: I can hardly say any thing about its performance as it has been introduced very recently on 22nd October. Proper assessment can be made only after some more time has passed and only then I can tell whether it is successful or not.

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या डी० टी० सी० वर्तमान स्थिति में भारी वित्तीय घाटा उठा रही है ? वर्तमान दरें गैर-किफायती हैं, इसे देखते हुए क्या सरकार इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए किराए बढ़ाएगी ।

श्री दलबीर सिंह : मैं सदस्य महोदय से पूर्णतया सहमत हूं कि डी० टी० सी० को काफी हानि उठानी पड़ रही है । इसके अनेक कारण हैं लगभग सभी वस्तुओं के मूल्य जैसे तेल, टायर ट्यूब आदि के मूल्य बढ़ रहे हैं । घाटे के और भी कई कारण हैं । डी० टी० सी० की वित्तीय स्थिति सुधारने के प्रयास जारी हैं । और इसलिए नई प्रणाली लागू की गयी है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : डी० टी० सी० ने समान किराए की नई व्यवस्था लागू की है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने दिल्ली के लोगों को बसों में स्थान पाने में हो रही असीम कठिनाई के बारे में भी सोचा है ? जो भी बसें चल रहीं हैं वे यात्रियों की संख्या को देखते हुए काफी नहीं हैं । यात्रियों को घण्टों पंक्तियों में खड़े रहना पड़ता है । यात्रियों द्वारा सरकार को अनेक शिकायतें की गयीं हैं परन्तु उन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या सरकार ने कुछ किया है ?

श्री दलबीर सिंह : सरकार को लोगों को हो रही कठिनाईयों का पता है । बसों में बहुत भीड़ रहती है । इसके कई कारण हैं जिनमें जनसंख्या का बढ़ना भी है । डी० टी० सी० इसके लिए लिए प्रयास कर रही है । मेरे विचार में नई प्रणाली से सुधार होगा । नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और त्रुटियां दूर की जा रही हैं । आशा है कि भविष्य में स्थिति काफी सुधार जाएगी ।

Shri Shashi Bhushan : I want to know whether after emergency when sabotage has stopped and after the introduction of the new system, the D.T.C. has started showing some profit and whether the improvement in the situation as seen by smaller queues is the result of this policy or due to some other reason.

Shri Dalbir Singh: It is true that emergency has brought discipline and commuters have started forming queues. The law and order position has improved, there are no incident of sabotage. There is no complaint from Students. All there things have improved the working of D.T.C. On the other hand simultaneous with the introduction of new fare system Winter has set in and I am told that every year in winter the earnings decline. We, therefore hope that position will improve in coming months.

कोचीन में शिपयार्ड

*44. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन में तेल घाट (आयल वर्फ) की स्थापना करने में सरकार को कितना समय लगेगा;

(ख) इस समय कोचीन में हिन्दुस्तान शिपयार्ड किस स्थिति में है; और

(ग) इसमें कार्य आरम्भ होने में कितना समय लगेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एन० त्रिवेदी) : (क) स्वीकृत हो जाने के बाद लगभग साढ़े तीन वर्ष ।

(ख) उत्पादन शुरू करने के लिए आवश्यक सुविधायें पुरी हो गई हैं । पहले जहाज के निर्माण का कार्य नवम्बर, 1975 में शुरु हुआ ।

(ग) शिपयार्ड के 1976 के अन्त तक पूरी तरह से पूरे हो जाने की संभावना है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि मंजूरी के बाद इसमें साढ़े तीन वर्ष लगेंगे । इस प्रकार प्रश्न का उत्तर टाल दिया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंजूरी दे दी गयी है और यदि नहीं तो विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : इस परियोजना पर मंत्री मण्डल विचार कर रहा है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इसे तो मंत्री-मण्डल द्वारा विचार करते तीन वर्ष से भी अधिक हो रहे हैं । इस के कुछ मूलभूत पहलू हैं । कुल परिव्यय 36 करोड़ है जिसमें से सरकार नए सिरे से उपजाऊ बनायी गयी भूमि बेचकर 10 करोड़ रुपए वसूल कर सकती है । प्रश्न केवल 26 करोड़ रुपए के व्यय का ही है । अब लोगों के मन में यह भय है, और इसे समाचार पत्रों में भी व्यक्त किया गया है, कि सरकार इसे छोड़ देगी । क्या मंत्री महोदय लोगों के मन से यह भय दूर करेंगे कि ऐसा नहीं किया जायेगा और मंत्री मण्डल का निर्णय होते ही इसकी मंजूरी दे दी जायेगी ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : इस परियोजना में विलम्ब का मुख्य कारण स्थान परिवर्तन है । पहले का स्थान एरणाकुलम नहर था पर अब बदल कर बोलघाटी नहर हो गया है । साथ ही लागत बढ़ जाने के कारण इसके आर्थिक रूप से लाभप्रद होने पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है । तीसरे इस परियोजना पर विचार करने से पूर्व भी जैसा कि कुछ सदस्य जानते होंगे एक घटना घटी है और वह यह कि जब अशोधित तेल वाहक जहाज से छोटे जहाज में तेल भरने और इसे दूसरी बन्दरगाह तक ले जाने की सम्भावना के बारे में है । इन्हीं सब कारणों से ऐसा हुआ है । तथापि, इस परियोजना पर विचार करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है और जैसा कि मैं बता चुका हूं यह मामला मंत्री-मण्डल द्वारा विचार की स्थिति तक पहुंच गया है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : एक महत्वपूर्ण बात का उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री एच० एम० त्रिवदी : जैसा कि मैंने कहा, यह विचाराधीन है ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : विकल्प जो भी हों मैं माननीय सदस्य के मन से यह सन्देह दूर करना चाहता हूं कि इस समय इसे स्थगित नहीं किया गया है ।

श्री वयालार रवि : परिवहन मंत्रालय ने अनेक अजीब विचार व्यक्त किए हैं । मैं यह सुन कर बहुत हैरान हुआ जब एक अधिकारी ने सुझाया कि कांडला से कोचीन तक पांच सौ मील लम्बी पाईप लाईन बिछायी जा सकती है । और अब छोटे तेलवाहक जहाज की बात की जा रही है । कुछ अधिकारियों के इन सभी अजीब विचारों पर ध्यान देने की बजाय, जो इसके विरुद्ध हैं, इस परियोजना को

शीघ्र मंजूरी दी जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या परिवहन मंत्रालय इस परियोजना को अपने जिम्मे लेगा या नहीं . . . .

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री वयालार रवि : परिवहन मंत्रालय यह कहे कि यह परियोजना उनकी है ऐसा मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि मुझे पता लगा है कि परिवहन मंत्रालय इसी पर आनाकानी कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या इस परियोजना के अन्तिम नक्शे मंत्री महोदय द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : परियोजना सम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है।

श्री श्रीकान्तन नायर : क्या इसकी स्वीकृति दे दी गई है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : मैं केवल इसकी पुनरावृत्ति कर सकता हूं कि परियोजना विचाराधीन है।

श्री वयालार रवि : आपके समर्थन के बगैर यह मंत्रिमंडल में कैसे जा सकता है। यह सर्वथा विवादास्पद है।

आग लगने के कारण बम्बई पत्तन न्यास को हुई हानि

*46. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:--

(क) क्या बम्बई पत्तन न्यास के गोदाम में 24 सितम्बर, 1975 को लगी आग दो दिन से भी अधिक लगी रही ;

(ख) इससे कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) ऐसी विनाशकारी आग के क्या कारण थे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं। आग 24 सितम्बर, 1975 को लगभग प्रातः 7.15 बजे दिखाई दी और 25 सितम्बर को 2 बजे अपराह्न को बुझा दी गई।

(ख) बम्बई पत्तन न्यास ने बताया है कि संरचनात्मक क्षति का 15 लाख रुपए का अनुमान है और माली नुकसान का जायजा उस समय तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि बीजकों से मूल्य की जांच नहीं कर ली जाती।

(ग) आग का संभाव्य कारण गोदाम में एकत्रित रासायनिक पदार्थों की रासायनिक प्रतिक्रिया थी।

Shri Jagnnath Mishra: Sir, the Hon. Minister in his reply has stated that the fire did not continue for two days, but in his reply he has stated also that the fire was noticed in the

entire godown at about 7 15 A.M. on 24th September, 1975. and next day *i.e.* the 25th at about 2 P.M. the fire was extinguished. It means the fire continued for two days. I would like to know the reasons or unneccessary dealy in controlling the fire.

At the same time I would like to know whether this fire incident was not more devastating than the previous fire incidents. I would like to know the quantity of goods belongings to the passengers in godown in addition to the Government Goods there and whether all the goods were gutted in the fire. I want to know the value of the goods gutted in fire and the amout of compensation paid therefor.

श्री एच० एम० त्रिवेदी : प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर में दो दिन का अर्थ 48 घंटे हैं । आग 48 घंटे तक नहीं लगी रही ।

दूसरे

श्री मूलचन्द डागा : व्यावहारिक रूप से ।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : आग बुझाने के लिए बम्बई पत्तन न्यास तथा बम्बई नगर निगम के पास उपलब्ध सभी आग बुझाने वाले इंजिनों को काम में लाया गया । आरम्भ में ऐसा लगा कि आग पर आग बुझाने के कुछ ही इंजिनों से नियंत्रण पाया जा सकता है । किन्तु जब आग पर काबू नहीं पाया गया तो बम्बई नगर निगम से सभी उपलब्ध आग बुझाने के इंजिन मांगे गए ।

जहां तक गोदाम में पड़े सामान का सम्बन्ध है, इसमें केवल वही वस्तुएं थी जो कि सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं पहुंचाई गई थी । जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, पत्तन न्यास कुछ दिनों तक सामान को निशुल्क रख लेता है और उसके बाद यदि वहां से सामान नहीं हटाया गया तो फिर वह सामान वस्तु भंडारण में रख लिया जाता है । इस भंडारण में न केवल सरकारी सामान ही रखा जाता है अपितु वाणिज्यिक सामान भी रखा जाता है ।

एक विशेषज्ञ समिति ने क्षति का अनुमान लगाया है । इस समिति ने संकेत दिया है कि कुछ प्रतिशत हानि वाणिज्यिक वस्तुओं को भी हुई है किन्तु जैसा कि मैंने अपने उत्तर में बताया है, हानि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है क्योंकि पैकेटों को सीमा शुल्क प्राधिकारियों की उपस्थिति में खोलना होता है और देखना होता है कि प्रत्येक का बीजक कितने मूल्य का है । तभी सही अनुमान लगाया जा सकता है ।

Shri Jagannath Mishra: Mr. Speaker, as a result of fire in godown, Government suffered a loss to the time of Rs. 2 crores. I would like to know the steps taken by the Hon. Minister for averting such fire incidents in godown in future.

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा, इस सम्बन्ध में एक जांच समिति की नियुक्ति की गई है जिसने कुछ संरचनात्मक परिवर्तनों की सिफारिश की है जिन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए और आग सम्बन्धी अतिरिक्त एहतियात बरती जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह अनुमानित क्षति के बारे में भी जानना चाहते हैं ।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जहां तक बम्बई पत्तन न्यास का सम्बन्ध है, जो भी क्षति हुई है, इसके लिए यह जिम्मेदार नहीं है क्योंकि भंडारण में रखी हुई वस्तुएं ऐसी थीं जो निःशुल्क अवधि के उपरान्त भी वहां से हटाई नहीं गई थीं । दूसरे शब्दों में इस तरह की क्षति के लिए सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं होती ।

Shri M.C. Daga: The fire broke out on the 24th September. Even after four month's period you are not able to state the loss suffered thereby. Is it the way in which work is being done during emergency ? I would like to know as to how many persons have claimed for compensation and what is the total amount of Compensation. Even after four month's period you could not find out how much Cargo was cutted in fire. How will you find cut the value of cargo against the invoices ?

Mr. Spcaker : He has replied that he has no such information.

श्री धामनकर : बम्बई के कुछ समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि आग तोड़-फोड़ के कारण लगी है । क्या मैं जान सकता हूं कि आग वहां रखे हुए रसायनों से लगी है अथवा तोड़-फोड़ के कारण ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : बम्बई के पुलिस आयुक्त ने इस मामले की जांच की थी और कहा है :—

"24 सितम्बर को लगी आग तोड़फोड़ या शरारत से लगाई गई है, इसका कोई प्रमाण सामने नहीं आया है ।"

चिकित्सा-शिक्षा में आमूल परिवर्तन

*47. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट को सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है जिसमें देश में चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की पारम्परिक पद्धति में तत्काल आमूल परिवर्तन करने की सिफारिश की गई है ताकि यह शहरी विशिष्ट वर्ग की तुलना में ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं को अधिक से अधिक पूरा कर सके; और

(ख) इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) श्रीवास्तव समिति के सुझावों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है । इनमें से कुछ एक सुझावों को कैसे कार्यरूप में लाया जाए इसके लिए एक विस्तृत रूप-रेखा तैयार की जा रही है और उसे जल्दी ही राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाएगा । आशा है इस वर्ष अप्रैल में होने वाली केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की अगली बैठक में इस मामले को अंतिम रूप दे दिया जाएगा ।

श्री राजदेव सिंह : प्रतिवेदन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस पर अंतिम रूप से विचार कब तक कर लिया जायेगा ।

डा० कर्ण सिंह : हमने प्रतिवेदन पहले ही राज्यों की सरकारों में परिचालित कर दिया है । कुछ राज्यों ने अपने विचार भी दिये है । अब हम कार्यवाही की व्यापक योजना पर कार्य कर रहे हैं । हमने वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से गहरा सम्पर्क कायम किया हुआ है और मुझे आशा है कि इस वर्ष अप्रैल में, जब केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

की बैठक होगी, हम मामले को अंतिम रूप दे देंगे । इस बैठक में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित होते हैं ।

श्री राजदेव सिंह : इस योजना से गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जायेगा और ग्रामीण समुदाय की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एकक का न्यूनतम कार्य क्षेत्र क्या होगा ?

डा० कर्ण सिंह : इस प्रतिवेदन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारी स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का अधिकाधिक विस्तार कैसे किया जाये । यह कार्य स्वयं समुदाय द्वारा यहां तक कि उन लोगों द्वारा आरम्भ कराया गया है जिनका यह व्यवसाय नहीं है । दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि डा० फ्लीचर के सिद्धान्त के आधार पर ग्रामीण समुदाय की कुछ प्रारम्भिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को उसी समुदाय लोगों द्वारा पूरा किया जाना है । उन्हें केवल कुछ प्रशिक्षण देना है । ग्रामीण समुदाय के लोगों में एक नया सिद्धान्त पैदा किया जा रहा है । उदाहरण के लिए प्राइमरी स्कूल के अध्यापक चिकित्सक नहीं है किन्तु वे देश के प्रत्येक गांव में फैले हुए हैं और यदि कुछ प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम उन्हें उपयोग में ला सकें तो उनसे यह काम भी लिया जा सकता है । इस प्रकार बहु उद्देश्यीय कार्यकर्त्ता हो जायेंगे जो गांवों में ऐसा कार्य कर सकेंगे । उप-केन्द्र, प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र, तालुक अस्पताल-जिला अस्पताल, तथा मेडीकल कालेजों को एक एकीकृत एकक बनाया जा रहा है और हम विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी चीजों का विकास करना चाहते हैं ।

श्री राज देव सिंह : श्रीवास्तव समिति का प्रतिवेदन स्वास्थ्य मंत्रालय को पेश कब किया गया था ?

डा० कर्ण सिंह : अप्रैल 1975 में ।

श्री एन० के० पी० साल्वे : कहा गया है कि परिवार नियोजन की एक महान सफलता यह है कि बच्चे पैदा न होने की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि डा० कर्णसिंह पैदा न हुए बच्चों की गिनती किस आधार पर करते हैं ।

डा० कर्ण सिंह : शायद श्री साल्वे अपनी प्रवीणता के आधार पर कुछ सुझाव दे सकते हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान हाल ही में वाल्टेयर में इंडियन साइंस कांग्रेस की बैठक में आस्ट्रेलिया के डा० स्टोपलीटन द्वारा दिए गए भाषण की ओर गया है, जिन्हें ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए चीनी लोगों के कार्यक्रम का अत्यधिक अनुभव है । कहा गया है कि भारत भी कुछ तरीकों को अपना सकता है । वहां कुछ लोगों को चिकित्सा प्रशिक्षण दे दिया जाता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में भलीभांति कार्य करते हैं । क्या प्रतिवेदन की बातों को अंतिम रूप देते समय इस अनुभव को ध्यान में रखा जायेगा ?

डा० कर्ण सिंह : हां, अवश्य । हम केवल चीनी तथा सोवियत संघ के प्रयोगों को ही नहीं वरन् इस विषय पर की गई उन्नत विचारधारा को भी ध्यान में रखेंगे । इवान

इलिचे ने अपनी विवादस्पद पुस्तक 'मेडिकल नेमेसिस' में चिकित्सा व्यवसाय पर प्रहार किया है । कहा गया है कि स्वास्थ्य सेवा अधिक व्यवसायी हो गई है और आधुनिकतम खर्चीले उपकरणों पर अधिक निर्भर हो गई है । हम इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे । श्रीमान आपकी अनुमति से मैं इस प्रतिवेदन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रखना चाहूंगा । मेरा सदस्यों से निवेदन है कि वे इसका अध्ययन करें । उन्हें यह प्रतिवेदन अत्यधिक रुचिकर लगेगा ।

बिक्री योग्य इस्पात का रिकार्ड तोड़ उत्पादन

*49. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच समेकित उत्पादकों द्वारा 1974–75 में किये गये बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन ने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं; और

(ख) क्या क्षमता का भी सर्वाधिक उपयोग किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदव प्रसाद) : (क) जी, हां । वर्ष 1974–75 में पांच सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों ने 49 लाख टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया ।

(ख) कुल क्षमता का 72.8% उपयोग हुआ जो सर्वाधिक था ।

श्री पी० गंगादेव : आपात स्थिति की उद्घोषणा के पश्चात इस्पात संयंत्रों का कार्य बहुत अच्छा रहा है । और इसके अतिरिक्त चूंकि कई इंजीनियरी एकक बन्द हो गए हैं अत: मैं जानना चाहता हूं कि विक्रय योग्य इस्पात के उत्पादन तथा इसकी बिक्री पर इसका कहां तक प्रभाव पड़ा है ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । माननीय सदस्य को अप्रैल से दिसम्बर तक के छः महीनों के आंकड़े देखकर हर्ष होगा । ये संयंत्र लक्ष्यों की लगभग 100 प्रतिशत प्राप्ति कर गए हैं ।

श्री पी० गंगादेव : मंत्री महोदय को बधाई देते हुए मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस्पात के उत्पादन में किसी तरह का परिवर्तन हुआ है । अर्थात क्या एक प्रकार के इस्पात में परिवर्तन करके दूसरे प्रकार के इस्पात का उत्पादन किया गया है । मिश्रित इस्पात का, जिसका देश में उत्पादन किया जा रहा है व्यापार तथा थोक विक्रय पर, क्या प्रभाव पड़ा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य को इस बारे में जानना रुचिकर लगेगा । मिश्रित इस्पात के सम्बन्ध में देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही हम कार्यवाही कर रहे हैं और उत्पाद मिश्रित में देश की आवश्यकताओं के अनुसार जो परिवर्तन संभव है, उसके लिए हम सभी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

डा० एच० पी० शर्मा : यद्यपि समेकित इस्पात संयंत्रों में क्षमता के उपयोग में हुआ सुधार संतोषजनक है छोटे इस्पात संयंत्रों की स्थिति पूर्णतया इसके विपरीत है । थोक

विक्रता एकक लगभग बन्द हो गए हैं और देश इस बारे में अत्यधिक चिंतित है क्योंकि हमने इनमें बहुत धन का निवेश किया है । उनमें पुनः उत्पादन करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : हम इस मामले पर ध्यान से विचार कर रहे हैं । छोटे इस्पात संयंत्रों की कठिनाइयों का सरकार को पूरा पता है । मैंने उनके प्रतिनिधियों तथा ऐसोसियेशनों से काफ़ी चर्चा की है और उनकी कठिनाइयों का हमें ध्यान है।

इनकी कठिनाइयों तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन संयंत्रों में तैयार किया जाने वाला इस्पात अधिकांशतः निर्माण कार्यों में लगाया जाता है, निर्माण कार्यों पर लगाए गए कुछ प्रतिबन्ध हटा दिए गए हैं ताकि लोग इन संयंत्रों से इस्पात ले जा सकें । इसके अतिरिक्त सरकार ने इन छोटे इस्पात संयंत्रों को प्रति क्विंटल पर 150 रुपये के उत्पादन शुल्क की राहत दी है ।

मैंने मेकन तथा दस्तूर के उच्च परामर्श दाताओं की दो समितियां नियुक्त की हैं और उन्हें कहा गया है कि वे छोटे इस्पात संयंत्रों की समस्याओं पर विचार करें और सुझाव दें कि उनकी सहायता कैसे की जा सकती है । हमारा विचार है कि ये छोटे इस्पात संयंत्र विशेष इस्पात का उत्पादन भी करें, जिसका कि उपयोग किया जा सके । किन्तु नरम इस्पात की जरूरत बहुत कम है फिर भी हमें आशा है कि देश में भवन निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, इसलिए उनकी कठिनाई दूर हो जायेगी ।

फिलहाल हमने उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए दो समितियों की नियुक्ति की है । मेरा विचार है कि ज्योंही हमें इन समितियों की सिफारिशें मिलेंगी, हम तदनुसार कार्यवाही करेंगे ।

नेपाल के प्रधान मंत्री का वक्तव्य

***50. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल के प्रधान मंत्री द्वारा भारत-नेपाल संबंधों के बारे में हाल में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) 3 दिसम्बर, 1975 को काठमंडू अस्थानिक भारतीय पत्रकार से बात करते हुए नेपाल के प्रधान मंत्री, डा० तुलसी गिरि ने दूसरी बातों के अलावा यह इच्छा भी व्यक्त की कि वे स्पष्ट राजनीतिक वार्ता शुरू करने को तैयार हैं । पड़ौसी देशों के साथ अपने सम्बन्ध सुधारने एवं सुदृढ़ करने की अपनी नीति के अनुरूप भारत सरकार इस वक्तव्य का स्वागत करती है ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : डा० तुलसी गिरि ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच कोई निश्चित नीति न होने का उन्हें खेद है । उन्होंने यह भी कहा कि आपसी

सम्बन्धों में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए नेपाल भारत के साथ राजनीतिक स्तर पर वार्ता करने में पहल करने का इच्छुक है और परम्पराओं तथा वास्तविकता के बीच संतुलन रखकर सम्बन्धों को मजबूत करना चाहता है।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि द्विपक्षीय सम्बन्ध पूर्णतया द्विपक्षीय आधारों पर होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन-कौन से विषय हैं जिन पर हमारे विदेश मंत्री अपनी प्रस्तावित यात्रा के दौरान डा० तुलसी गिरि से वार्ता करेंगे।

उन्होंने द्विपक्षीय आधारों पर द्विपक्षीय सम्बन्धों का उल्लेख किया है क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या भारत नेपाल के साथ मित्रता और सहयोग के आधार पर कोई द्विपक्षीय समझौता करने जा रहा है जैसा कि हमारा कई पड़ौसी देशों के साथ है?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमें पहले ही यह नहीं सोचना चाहिए कि किन-किन विषयों पर बातचीत होगी। किन्तु हमें आशा है कि हमारी बातचीत मित्रता के आधार पर होगी जो कि अब भी है और जैसा कि आप सब जानते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, मैं स्वाभाविक रूप से हां कहूंगा।

Shri Narsingh Narain Pandey: Nepal have time and again repeated that Nepal should be declared a peace zone and they have offered to have dialogue with India. They have expressed these views to have peace in Asia. I would like to know from the Hon. Minister as to what is his reaction towards the definition of peace zone.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं पहले ही यह नहीं बताना चाहता कि वे कौन-कौन सी बातें उठाने जा रहे हैं। जहां तक आप द्वारा व्यक्त विचार का सम्बन्ध है, इस समय मैं अपनी प्रतिक्रिया के बारे में यही कह सकता हूं कि हमें इसमें कोई उद्देश्य नहीं दिखाई देता।

यह कहकर मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अगले दो या तीन सप्ताहों के अन्दर मेरा विचार नेपाल की यात्रा करने का है। मेरी यात्रा के बारे में विस्तृत चर्चा न की जाये।

आल आसाम वेनीर प्लाईवुड एण्ड सा मिल मजदूर यूनियन को वेतन समिति में शामिल न किया जाना

*51. **श्री समर मुखर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि आल आसाम वेनीर प्लाईवुड एण्ड सा मिल मजदूर यूनियन को, जो अधिकांश श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति में शामिल नहीं किया गया है ; और

(ख) क्या इससे मजदूरी निर्धारित करने के बारे में अधिकांश श्रमिकों को सलाह मशविरा के मामले से वंचित किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) हमारे पास आल आसाम बेनीर प्लाईवुड एण्ड सा मिल मजदूर यूनियन की प्रश्नाधीन मजदूरी समिति से अभिकथित बाहर

रखने के बारे में कोई सूचना नहीं है। यहां मामला आवश्यक रूप से राज्य क्षेत्राधिकार में आता है और उसे असन्तुष्ट संघ द्वारा राज्य सरकार के पास उठाया जा सकता है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने भी इस मामले को राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया है।

श्री समर मुखर्जी : आप यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में कब लाये और क्या आपको वहां से कोई उत्तर मिला है अथवा नहीं ? क्या यह सही है कि इस यूनियन को, जो बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है, मजूरी समिति में सम्मिलित नहीं किया जाना है ? क्या यह भेद-भाव का मामला नहीं है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : हम इस मामले को राज्य सरकार के ध्यान में हाल ही में लाए हैं। मुझे तिथि याद नहीं है। यह मामला पूर्णतया राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है और यूनियन को अधिकार है कि वह इस मामले पर राज्य सरकार से बातचीत कर के अपनी शिकायत दूर करवा ले।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास

*52. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल, बिहार तथा अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए मकान तथा दूकान गिराये जाने के कारण अनेक लोग निराश्रय हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रभावित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) माननीय सदस्य द्वारा जिन निर्मित ढांचों को गिराये जाने का उल्लेख किया गया है वे सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्रतीत होता है। जब राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निजी भूमि तथा उस पर बने मकान आदि का अधिग्रहण किया जाता है तो भारत सरकार सम्बन्धित व्यक्तियों को उचित मुआवजा देती है ताकि वे पुर्नवास की व्यवस्था कर सकें। परन्तु मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमणों को हटाने के लिए कोई मुआवजा स्वीकार्य नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उत्तर बहुत असन्तोषजनक है। अब नौवहन और परिवहन मंत्रालय का कार्यभार डा० ढिल्लों ने ले लिया है। क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में ग्रांड ट्रंक रोड, बैरकपुर तथा जेसोर रोड के विस्तार के कारण सैकड़ों परिवार हटा दिये गए हैं। ये लोग भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान अब बंगला देश के शरणार्थी हैं। उन्हें बेघरबार कर दिया गया है। उनमें से कुछ ने आत्म-हत्या कर ली है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये हैं। इस सम्बन्ध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को किसी तरह का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री डा० जी० एस० ढिल्लों : मुझे माननीय सदस्य से एक पत्र प्राप्त हुआ है । मैंने स्थिति पर विचार किया और जैसा कि उप मंत्री ने कहा है वे गैर-सरकारी मकानों के लिए क्षतिपूर्ति देते हैं किन्तु जहां तक अतिक्रमण का सम्बन्ध है, दुर्भाग्य से इसके लिए कोई उपबन्ध नहीं है । जिन लोगों को वहां से हटाया गया है, उनके साथ तथा आपके साथ मेरी सहानुभुति है । इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं और कोई चारा नहीं है । मैंने कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया था । किन्तु दुर्भाग्य से जहां तक अतिक्रमण का सम्बन्ध है . . .

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं उत्तर प्रदेश, बिहार तथा दिल्ली की भी बात कर रहा हूं । लाखों लोगों को वहां से हटाया गया है । इन लोगों का पुनर्वास करते समय तीन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । पहला साथ लगे किसी स्थान पर उन्हें आवास के लिए भूमि दी जाये, उन्हें जीविका कमाने के लिए कोई साधन उपलब्ध किया जाये और जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाये । जब तक ये तीन काम नहीं किए जाते तब तक पुनर्वास का कोई लाभ नहीं । मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से प्रत्येक बात पर सरकार क्या करने का विचार करती है । यदि हां, तो कब ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं इसके लिए कोई उपबन्ध नहीं है । आप जानते हैं कि किसी राज्य में जब कोई राजमार्ग बनता है तो यह उनकी ही जिम्मेदारी होती है । आपने अपने पत्र में स्थान का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया है । आपने केवल सड़क तथा शहर का उल्लेख किया है । यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान से हटाया जाता है, जो कि उसका है या विधि के अनुसार उसका है, तो हम निश्चित ही राज्य सरकार को मामले में हस्तक्षेप करने तथा कुछ कार्यवाही करने के लिए लिखेंगे किन्तु अतिक्रमण के मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते ।

श्री डी० एन० तिवारी : श्रीमान, सरकार राज्य मार्गों के निर्माण पर बहुत धन व्यय करती है और विस्थापित होने वाले लोगों को बड़ी मात्रा में क्षतिपूर्ति भी देती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार का कोई ऐसा अभिकरण है जो हानि तथा भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति का अनुमान लगाता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि क्या सड़कों के निर्माण में अच्छी कोटि की सामग्री प्रयुक्त की जा रही है ?

श्री दलबीर सिंह : श्रीमान्, केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्गों के लिए इन विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए कार्यकारी अभिकरण राज्य सरकार होती है । हम उन्हें 9 प्रतिशत अभिकरण शुल्क देते हैं। वे केन्द्रीय सरकार के अभिकरण हैं और वे ही निश्चित करते हैं कि कितनी क्षतिपूर्ति दी जाये। किसे यह क्षतिपूर्ति देनी है और कौनसी भूमि अर्जित करनी है आदि ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश में डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सेवा

***45. श्री आर० के० सिन्हा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैजाबाद और लखनऊ को डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सेवा द्वारा सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में उन अन्य स्टेशनों के क्या नाम हैं जिन्हें डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की सेवा द्वारा सम्बद्ध किये जाने की सम्भावना है तथा ऐसा कब तक किया जायेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) इस मार्ग को वर्ष 1976 में चालू करने की योजना है ।

(ग) 5वीं योजना के दौरान निम्नलिखित मार्ग चालू करने की योजना है ।

1. मिर्जापुर-वाराणसी
2. देहरादून-दिल्ली
3. बरेली-दिल्ली
4. बरेली-शाहजहांपुर
5. मुरादाबाद-दिल्ली
6. सीतापुर-लखनऊ
7. रायबरेली-कानपुर
8. परस्पर डायल करने के लिए मेरठ, मोदीनगर, मुजफ्फरनगर, हापुड और सहारनपुर ।
9. लखनऊ-आगरा
10. बुलन्दशहर-नई दिल्ली
11. अलीगढ़-नई दिल्ली
12. आगरा-धौलपुर
13. आगरा-भरतपुर
14. कानपुर ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज से जुड़े कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी शहर दिल्ली ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज से जुड़े दिल्ली, आगरा और जयपुर शहरों को डायल कर सकेंगे ।

बेगार प्रथा के विरुद्ध उपबन्धों का लागू किया जाना

*48. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों ने बेगार प्रथा के विरुद्ध उपबंधों को कहां तक क्रियान्वित किया है; जैसे कि प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है; और

(ख) क्या उन्हें बिहार राज्य में क्रियान्वित किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) राष्ट्रपति जी ने 24-10-1975 को एक केन्द्रीय अध्यादेश, अर्थात् बंधक ग्रस्त श्रमिक प्रथा (उन्मूलन) अध्यादेश, 1975 प्रख्यापित किया था जो 25-10-1975 से लागू हुआ । राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को, राज्यों में अधिकारियों

को ऐसी शक्तियां प्रदान करने और कार्य भार सौंपने के लिए अध्यादेश की संबंधित धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया। जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि अध्यादेश के उपबन्ध उचित रूप से लागू हो सकें। निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने बताया है कि उनके क्षेत्राधिकारों में बंधक ग्रस्त श्रमिक नहीं हैं :—

1. महाराष्ट्र
2. हरियाणा
3. जम्मू और कश्मीर
4. मनीपुर
5. मेघालय
6. नागालैंड
7. त्रिपुरा
8. अण्डामान और निकोबार प्रशासन
9. चण्डीगढ़
10. दादरा और नागर हवेली
11. दिल्ली प्रशासन
12. गोवा, दमन और दीव
13. लक्षद्वीप प्रशासन
14. पांडिचेरी प्रशासन
15. अरुणाचल प्रदेश

(ख) केन्द्रीय अध्यादेश के अन्तर्गत बंधक ग्रस्त श्रमिक प्रथा बिहार राज्य सहित सारे देश में समाप्त कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश में मिनी बसों के मालिकों पर पाबन्दी

*53. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मिनी बसों के मालिकों पर अपनी गाड़ियां चलाने पर पाबन्दियां लगा दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही करने के क्या कारण हैं और इस समस्या का क्या हल निकालने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख). सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा अपने श्रीलंका के दौरे के दौरान दिये गये भाषण

*54. **श्री हरी सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने श्रीलंका के हाल ही के दौरे के दौरान दिये गये अपने भाषणों में भारत सरकार की आलोचना की थी; और

(ख) यदि हां, तो झूठे प्रचार का खण्डन करने के लिये भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा हाल में श्रीलंका यात्रा के दौरान दिये गये भाषणों की अखबारी खबरें देखी हैं, जिनमें भारत के प्रति कुछ आपत्तिजनक एवं असंगत संदर्भ हैं।

(ख) पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के इन वक्तव्यों को पाकिस्तान सरकार द्वारा अभिप्रेरित भारत विरोधी उस प्रचार के एक अंश के अतिरिक्त और क्या समझा जा सकता है जो पिछले कुछ महीनों से वह चला रहा है। भारत सरकार ने भारत के खिलाफ लगाये गये निर्मूल आरोपों का खंडन किया है और पाकिस्तान से कहा है कि भारत-विरोधी प्रचार करते रहने से दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के कार्य को गंभीर धक्का लग सकता है।

पूर्वोत्तर क्षत्र की सीमा पर अस्थिर स्थिति

*55. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा पर स्थिति के बारे में सरकार ने क्या जायजा लिया है; और

(ख) उस क्षेत्र में अस्थिरता के कारण उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख). सरकार, राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में तथा सभी संगत कारणों को, जिनमें पड़ोसी क्षेत्रों की स्थिरता भी शामिल है, ध्यान में रखते हुए अपनी सीमा पार की स्थिति के प्रति पूर्णतया संचेत है। सरकार इस संबंध में निरंतर सतर्कता बरत रही है।

पहलेजा घाट—मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

*56. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में पहलेजाघाट–मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी–सोन बरसा सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी मिट्टी तथा ताँबे की खानों के श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी

*57. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :

[सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी मिट्टी, मिट्टी तथा सफेद मिट्टी, जिप्सम तथा बेराइटिस और तांबे की खानों में कार्यरत श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी पुनरीक्षित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे क्रियान्वित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). जी हां। जिप्सम एवं बेराइटिस खानों में वर्तमान न्यूनतम मजूरियों का संशोधन करने के लिए तथा चीनी मिट्टी, मिट्टी, सफेद मिट्टी और तांबे की खानों में न्यूनतम मजूरियों के आरंभिक निर्धारण के लिए, जैसा कि अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है, संबन्धित व्यक्तियों द्वारा सुझाव/टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव प्रकाशित किये गये हैं। प्रस्तावों को यथाशीघ्र अधिनियम में निर्धारित कार्यविधि के अनुसार अन्तिम रूप दिया जायेगा।

बोकारो इस्पात संयंत्र को चालू करना

*58. **श्री सी० के० पंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के मुख्य एकक चालू हो गये हैं और उनमें उत्पादन का लक्ष्य पूरा हो गया है; और

(ख) बोकारो इस्पात संयंत्र के सभी एककों को चालू करने मे कितना समय लगेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख). दो धमन भट्टियों, दो कोक ओवन बैटरियों, दो स्टील कन्वर्टरों और ठण्डी बेलन मिल को छोड़कर बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण की सभी मुख्य इकाइयां चालू हो गई हैं। शेष इकाइयों के इस वर्ष चालू हो जाने की सम्भावना है। 40 लाख टन के द्वितीय चरण के दिसम्बर, 1977 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

एक धमन भट्टी ने, जो काम कर रही है, लगातार अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक कार्य किया है। जहां तक स्टील मेल्टिंग शाप और स्लेबिंग मिल का सम्बन्ध है अपक्रय की कमी के कारण सीमित उत्पादन किया गया क्योंकि फिनिशिंग मिलें तैयार नहीं थीं।

विशाखापत्तनम् में एक प्राइवेट फर्म द्वारा लड़कियों की सेवाओं की कथित समाप्ति

*59. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम् में 17 लड़कियों की सेवाएं, जिनके बारे में बताया जाता है कि एक प्राइवेट फर्म में दो वर्ष के शिशिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने के अतिरिक्त एक वर्ष से अधिक समय की जिनकी सेवा थी, केवल इस लिये समाप्त कर दी गई है कि उन्होंने विवाह कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो, इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). निर्दिष्ट प्राइवेट फर्म के ब्यौरे देने से राज्य सरकार के लिए, जो कि मुख्यतः सम्बन्धित है, मामले में तुरन्त जांच करना और उचित अनुवर्ती कार्यवाही करनी सुविधाजनक हो जाती। तथापि, हमने मामले को राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया है। असंतुष्ट व्यक्ति इसकी राज्य सरकार के साथ पैरवी कर सकते हैं और राज्य औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के माध्यम से समस्या को हल करवा सकते हैं।

हिन्द महासगर की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

†60. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्द-महासागर की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन का अधिकांश बड़ी शक्तियों द्वारा बहिष्कार किये जाने की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 1974 में महासभा द्वारा पारित हिन्द महासागर संबंधी प्रस्ताव में तटवर्ती तथा पश्च राज्यों से हिन्दमहासागर पर एक सम्मेलन आयोजित करने के लिए परस्पर परामर्श करने को कहा गया था। प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तटवर्ती तथा पश्च राज्यों और तदर्थ समिति की बैठकें 1974 में हुईं। परामर्श में भाग लेने के लिए बड़ी शक्तियों तथा हिन्द महासागर का प्रमुख उपयोग करने वालों को आमंत्रित किया गया था। चीन और जापान ने इन बैठकों में भाग लिया। अमरीका और यू० के० ने भाग लेने में असमर्थ होने पर खेद प्रकट किया है। दूसरों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

(ख) सरकार प्रस्तावित सम्मेलन के लिए परामर्श के समय बड़ी शक्तियों तथा हिन्द महासागर के दूसरे प्रमुख समुद्री उपयोग करने वालों के सहयोजन का स्वागत करेगी क्योंकि उनके भाग लिये बिना कोई अर्थपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। हमारा विश्वास है कि शांति-क्षेत्र के रूप में हिन्द महासागर की घोषणा को क्रियान्वित करने के अर्थपूर्ण उपायों पर विचार-विमर्श तथा उन्हें नियत करने के लिए एक तरफ तटवर्ती तथा पश्च राज्यों के बीच और दूसरी ओर बड़ी शक्तियों के बीच अर्थपूर्ण संवाद की प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए।

खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजूरी का भुगतान

220. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातकालीन स्थिति घोषित किये जाने के बाद सभी राज्यों में खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी के भुगतान करने के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

श्रममंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : आपात की घोषणा के बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों में कृषि में नियोजन के लिए मजदूरियों की न्यूनतम दरें संशोधित की गई हैं :—

आन्ध्र प्रदेश
बिहार
हिमाचल प्रदेश
कर्नाटक
केरल
मध्य प्रदेश
मेघालय
उड़ीसा
पंजाब
त्रिपुरा

न्यूनतम मजदूरियों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही शुरू की गई है :—

गुजरात
तमिल नाडु
उत्तर प्रदेश
दिल्ली
गोवा, दमन और दीव ।

उत्तर-पश्चिमी सर्किल में एस० ए० एक्स० एक्सचेंज

221. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पश्चिमी सर्किल में चालू वित्तीय वर्ष में खोले गये एस०ए०एक्स० एक्सचेंजों के नाम क्या हैं और प्रत्येक मामले में कितने कनेक्शन कार्य कर रहे हैं;

(ख) ऐसे कितने एक्सचेंजों को मंजूरी दी गई है जो अभी तक स्थापित नहीं किये गये हैं; और

(ग) इन एक्सचेंजों को अनुमानत: कब तक स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में खोले गये एस०ए० एक्स० एक्सचेंजों की सूची और हर एक एक्सचेंज में काम कर रहे कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम संख्या	स्थान का नाम	चालू कनेक्शनों की संख्या
1.	औत	9
2.	गोहर	16
3.	मोतियामंडी इसराना	15
4.	रतिया	14
5.	कूंड	17

(ख) चौबीस ।

(ग) दो एक्सचेंज चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक चालू करने का कार्यक्रम है और बाकी एक्सचेंज उपस्कर की आवश्यक मदों के प्राप्त होने पर चालू किये जायेंगे । इस बारे में कार्यवाही चल रही है ।

डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन

222. **श्री टुना उरांव** :
श्री ए० के० किस्कु :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मार्च, 1975 में डाकघरों और सार्वजनिक टेलीफोनों की राज्य-वार संख्या क्या थी; और

(ख) देश में, राज्यवार, औसतन कितनी जनसंख्या और कितने क्षेत्र के लिये एक डाकघर है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) देश में काम कर रहे डाकघरों और सार्वजनिक टेलीफोन घरों की राज्यवार संख्याएं क्रमश: अनुबंध क और ख में दे दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०–10034/76]

(ख) देश में प्रत्येक डाकघर औसतन कितनी जनसंख्या और कितने क्षेत्र की सेवा करता है, इसका राज्यवार उल्लेख अनुबंध 'क' में कर दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०–10034/76]

वर्ष 1975 में जनदिवसों की हानि

223. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण कुल कितने जनदिवसों की हानि हुई और पिछले दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना में इसकी स्थिति कैसी है; और

(ख) भविष्य में औद्योगिक संबंधों को शान्तिपूर्ण बनाये रखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) उपलब्ध अंतिम सूचना के अनुसार, 1975 के दौरान हड़तालों और तालाबंदियों के कारण हानि हुए श्रम दिनों की संख्या 192.24 लाख थी जबकि इसकी तुलना में 1974 और 1973 के अंतिम आंकडों के अनुसार यह संख्या क्रमश: 403 लाख और 206 लाख थी।

(ख) केन्द्र और राज्यों, दोनों में ही औद्योगिक सबंध तंत्र, वर्तमान कानूनी उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, आवश्यकतानुसार अनौपचारिक मध्यस्थता, संराधन, न्यायनिर्णय या विवाचन के द्वारा कार्य-रोधों को कम करने के प्रयास करता रहता है।

सरकार ने उत्पादन और उत्पादिता बढ़ाने के विचार से देश में औद्योगिक सम्बन्धों संबंधी परिस्थिति की पुनरीक्षा करने तथा सामंजस्य और शान्ति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय (द्विपक्षीय) शिखर निकाय और औद्योगिक समितियां स्थापित की हैं। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्य स्तर पर वैसे ही निकाय स्थापित करें।

Treatment of Rayon Mills as Textile or Chemical Factories

224. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether rayon mills are treated as textile factories or chemical factories:

(b) the break-up of rayon mills in the country which are treated as (1) chemical factories and (2) textile factories like the Gwalior Rayons, Birlagram Nagda in Madhya Pradesh;

(c) whether this dual categorisation has resulted in wide disparities in the scales of pay of workers of these factories and in the matter of other facilities to them ; and

(d) if so, the steps being taken by Government to bring uniformity ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy) : (a) to (d) : Requisite information is being collected from the concerned State Governments and it will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Reconstruction of Bridge on Chambal between Dhaulpur and Morena

225. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2537 on the 6th March, 1975 regarding the reconstruction of Chambal bridge and state whether Government have undertaken the construction work of the bridge on Chambal river between Dhaulpur and Morena (M.P.) on the Agra-Bombay National Highway, keeping in view the importance and use fulness of this bridge ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh) : The tenders for wotk of repairs/reconstruction of the existing danger Chambal Bridge have been approved and the work order has been issued by the Public Works Department, Government of Rajasthan, to M/s Hindustan Construction Co. Ltd., Bomaby. The work estimated to cost Rs. 2.97 crore, is expected to be completed by the end of 1978.

बन्धक श्रमिक प्रणाली का सर्वेक्षण

226. **श्री एस० एम० सिदैया** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही बन्धक श्रमिक प्रणाली के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

(ख) यदि हां , तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित बन्धक श्रमिक प्रणाली उन्मूलन अध्यादेश के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर समितियां बना दी गई हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). बन्धक-ग्रस्त श्रमिक प्रणाली के विद्यमान होने के बारे में सर्वेक्षण निम्नलिखित राज्यों में किये गये हैं :—

आंध्र प्रदेश :—बन्धकग्रस्त श्रमिक प्रणाली का व्यवहार, जैसा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आयुक्त की वर्ष 1965–66 की रिपोर्ट में उल्लिखित है, श्री काकूलम, विशाखापत्तनम, पश्चिमी गोदावरी और पूर्वी गोदावरी के अनुसूचित क्षेत्र में प्रचलित था ।

बिहार :—बन्धकग्रस्त श्रमिक प्रणाली के विद्यमान होने को मालूम करने के लिये राज्य के विभिन्न भागों में अध्ययन किये गये हैं । अब तक, यह केवल पालामऊ जिलों में ही हैं, जहां बन्धकग्रस्त श्रमिक प्रणाली के चिह्न पाए गए हैं ।

गुजरात:—गुजरात सरकार ने 1947 और 1948 में समस्या की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की । हाली प्रणाली सूरत जिले में प्रचलित है ।

कर्नाटक :—बन्धकग्रस्त श्रमिक प्रणाली जिसे स्थानीय रूप से जोथा प्रणाली कहते हैं, धारवार जिले में विद्यमान थी ।

केरल :—राज्य में एक नमूना सर्वेक्षण किया गया था । इस से प्रतीत हुआ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के काफी संख्या में परिवारों ने कई ऋण लिये हैं और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को मासिक आय की तुलना में शेष देय-राशियों को बहुत थोड़ा नहीं समझा जा सका । अतः, इन्हें राहत देने की आवश्यकता थी ।

उड़ीसा :—1972 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संगठन के लिये आयुक्त कोरापुत जिले में एक अध्ययन किय गया था । यह देखा गया था कि गोथी प्रणाली गूनपुर तहसील में प्रचलित थी ।

उत्तर प्रदेश :—कुछ सर्वेक्षणों ने देहरादून जिले में बन्धकग्रस्त श्रमिक प्रणाली जिसे स्थानीय रूप से भाट कहते हैं, प्रकट की है । जनजातीय अनुसन्धान केन्द्र हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1971–72 में देहरादून के जोनसार-बाबर क्षेत्र में एक अध्ययन किया था ।

(ग) बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अब तक बन्धकग्रस्त श्रमिक प्रणाली (उन्मूलन) अध्यादेश, 1975 के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित समितियों का गठन किया है । अन्य राज्य समितियों का यथाशीघ्र गठन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने बताया है कि बन्धक श्रमिक प्रणाली इनके क्षेत्रायाधिकार में विद्यमान नहीं है :—

1. महाराष्ट्र
2. हरियाणा
3. जम्मू और काश्मीर
4. मणिपुर
5. मेघालय
6. नागालैण्ड
7. त्रिपुरा
8. एण्डेमान एवं निकोबार प्रशासन
9. चण्डीगढ़
10. दादरा एवं नागर हवेली
11. दिल्ली प्रशासन
12. गोवा, दमन और दीव
13. लक्षदीप प्रशासन
14. पांडिचेरी प्रशासन
15. अरुणाचल प्रदेश ।

भारत–बंगलादेश संधि की क्रियान्विति

227. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढाका में हमारे उच्च आयुक्त पर आक्रमण के पश्चात् बंगलादेश सरकार और हमारे देश की सरकार के बीच चर्चा का क्या परिणाम निकला ; और

(ख) क्या बंगलादेश सरकार ने उक्त भारत-बंगलादेश संधि की क्रियान्विति के बारे में हमें कोई आश्वासन दिया है जो बंगलादेश में शेख मुजीब के समय हुई थी ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास): (क) बंगलादेश के राष्ट्रपति एवं मुख्य मार्शल ला प्रशासक के विशेष सहायक न्यायाधीश श्री ए० सत्तार के नेतृत्व में आये प्रतिनिधि मंडल की 5 से 8 दिसम्बर, 1975 तक की नई दिल्ली यात्रा के अवसर पर भारत और बंगलादेश दोनों ने एक संयुक्त प्रेस नोट में दोनों देशों के बीच मैत्री एवं सहयोग को बढ़ावा देने की अपनी इच्छा की पुनः पुष्टि की । भारत ने शांतिपूर्ण सीमा तथा स्थिर, शक्तिशाली एवं उन्नतिशील बगलादेश की अपनी कामना को पुनः दोहराया । बंगलादेश पक्ष ने बंगलादेश सरकार की इस इच्छा की ओर ध्यान आकर्षित किया कि वह यह सुनिश्चित करने की अपनी इस नीति पर चलती रहना चाहती है कि उसके सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हों चाहे वे किसी भी जाति, मत अथवा धर्म के हों ।

(ख) बंगलादेश सरकार ने भारत और बंगलादेश के बीच की विद्यमान संधियों और करारों के सम्मान करने की अपनी वचनबद्धता को पुनः दोहराया ।

पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटों पर पोत यार्डों का निर्माण

229. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्री तटों में नये पोत यार्डों की स्थापना करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीफोन आवेदन शुल्क में वृद्धि

230. **श्री शशि भूषण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में टेलीफोन आवेदन शुल्क बहुत अधिक बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वृद्धि का औचित्य क्या है ; और

(ग) नयी प्रक्रिया के कारण दिसम्बर, 1975 तक के अन्त तक कितने आवेदकों के नाम सूची से निकाल दिये गये ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (ग) टेलीफोन कनेक्शन के लिये आवेदन शुल्क बदला नहीं गया है और वह अभी भी केवल 10 रुपये है । तथापि 1-9-75 से एक पेशगी जमा योजना शुरू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदकों को 400 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक की रकम जमा करनी पड़ती है । पेशगी जमा की रकम का निर्धारण टेलीफोन की श्रेणी पर जिसमें उन्होंने अपनी मांग दर्ज कराई हो

और सम्बन्धित टेलीफोन एक्सचेंज की श्रेणी के आधार पर किया जाता है। जमा की इन रकमों पर 8 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी मिलता है। उन आवेदकों के नाम मौजूदा प्रतीक्षा सूचियों से हटा दिये जायगे, जिन्होंने अपने नाम 1-9-75 से पहले दर्ज कराये हों और जो निर्धारित समय के भीतर जमा की रकम अदा नहीं करते। इस योजना के दो उद्देश्य हैं अर्थात् प्रतीक्षा सूचियों को अधिक यथार्थयुक्त बनाना और दूरसंचार के विकास के लिये निधियों की व्यवस्था में सहायता करना। चूंकि जमा राशि की अदायगी की समय-सीमा 3 महीने रखी गई है, इसलिये कितने आवेदकों के नाम जमा-राशि की अदायगी न करने के कारण मौजूदा प्रतीक्षा सूचियों में कट जायेंगे, इसकी जानकारी केवल मार्च या अप्रैल 1976 तक हो पाने की सम्भावना है।

Talks with Bangla Desh about Indian High Commissioner Episode

231. **Shri M. C. Daga** : Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the persons found guilty of the murderous attack on the High Commissioner for India in Bangladesh and the action taken by Bangladesh against them so far ;

(b) If no action has been taken, the reasons therefore ; and

(c) The progress made in this regard in the talks held with the Bangladesh Officials who visited India in this connection and the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das) : (a) & (b) Investigation by the Bangladesh authorities into the armed attack on our High Commissioner in Dacca is still in progress. Meanwhile, Bangladesh Police have identified all six assailants, four of whom were killed and two arrested. Their names as published in the newspapers are:

Killed : 1. Sakawat Hussain alias Asad alias Bahar
2. Hafiz Masudur Rahman alias Masud.
3. Mir Nazrul Islam alias Bachu
4. Harun of Mohammadpur.

Arrested : 5. Belal
6. Syed Baharual Hassan Ali as Sabuj.

(c) The Government of Bangladesh have expressed deep regret at the unfortunate incident and have assured that they would take all possible measures to prevent the recurrence of such incidents. They also declared on the 26th November, 1975, the day of the incident, that an immediate investigation had been ordered with a view to punishing the guilty.

भारत-श्रीलंका दूर-सम्पर्क

232. **श्री सरजू पाँडे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-श्रीलंका दूर-सम्पर्क योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क). भारत के मंडपम और श्रीलंका के मन्नार के बीच अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में एक रेडियो लिंक पहले से ही काम कर रहा है। इस प्रणाली की जगह एक चौड़ी-पट्टी का माइक्रोवेव लिंक लगाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस लिंक से भारत का मदुरै और श्रीलंका का कोलम्बो परस्पर जुड़ जायेंगे।

(ख) 1973 में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी श्रीलंका के दौरे पर गई थीं। उसके फलस्वरूप भारत ने मदुरै को श्रीलंका के कोलम्बो से जोड़ने के लिए एक चौड़ी पट्टी का माइक्रोवेव

लिंक लगाने का प्रस्ताव रखा था। श्रीलंका के क्षेत्र में माइक्रोवेव रेडियो और बहुविधि (मल्टीप्लेसिंग) उपस्कर, टावर, बैटरियों और पावर संयंत्र पर आने वाला 275 लाख रुपये का खर्च भारत सरकार उठायेगी जब कि स्थानीय खर्च, जिसमें सिविल कार्यों का खर्च शामिल है, श्रीलंका सरकार को करना होगा।

भारतीय तटवर्ती नौवहन कम्पनियों द्वारा नमक का माल भाड़ा बढ़ाया जाना

233. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय तटवर्ती नौवहन कम्पनियों ने नवम्बर से नमक का माल भाड़ा बढ़ा दिया है ; और

(ख) इससे छोटे नमक व्यापारियों के व्यापार पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) सरकार ने जुलाई, 1975 के मध्य से नमक की संशोधित भाड़ा दरों को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) इस वृद्धि से पश्चिम बंगाल में, जहां कि नमक अधिक मात्रा में जाता है, नमक के फुटकर मूल्य में मामूली वृद्धि होगी। लदान पत्तनों पर भाड़ा वृद्धि के पश्चात् नमक यातायात के लिये काफी संख्या में उपलब्ध जहाजों के कारण नमक के पोत-वणिकों को सुविधा हो जाने की सम्भावना है।

नये डाकघर खोलने पर प्रतिबन्ध

234. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भारत में नये डाकघर खोलने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख). पिछड़े, आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में डाकघर खोलने पर कोई पाबन्दी नहीं है। तथापि, वित्तीय कठिनाई के कारण दूसरे इलाकों में नए डाकघर खोलने पर रोक लगाई गई है।

पाकिस्तान द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

235. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय से भारत विरोधी प्रचार आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जून 1975 से पाकिस्तान आपातस्थिति तथा बंगलादेश के साथ भारत के सम्बन्धों को लेकर समय समय पर भारत विरोधी प्रचार करता रहा है ;

(ख) सरकार ने पाकिस्तान के साथ यह मामला उठाया है तथा उसे यह बताया है कि पाकिस्तान के सरकारी प्रचार माध्यमों तथा विदेश स्थित मिशनों द्वारा लगाये गये निराधार आरोप, जैसे एक यह कि भारत-पाकिस्तान अथवा बगलादेश के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करेगा, केवल झूठे ही नहीं हैं बल्कि शिमला समझौते के अधीन प्रचार के मामलों में दोनों पक्षों के बीच जो सहमति हुई थी उसका उल्लंघन भी करते हैं। उन्हें यह भी बता दिया गया है कि इस प्रचार अभियान से सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को भी आघात पहुंचेगा ।

कोंकण–गोवा तटवर्ती यात्री सेवा का सुधार

236. **श्री धामनकर** : क्या **नौवन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई कोंकण गोवा तटवर्ती जहाज सेवा के यात्रियों की वास्तविक आवश्यकताओं तथा उन्हें होने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या सरकार को कोंकण विकास परिषद् से ऐसे कोई सुझाव प्राप्त हुये हैं कि मुगल लाइंस द्वारा उस मार्ग पर चलाये जा रहे वर्तमान जहाजों को बदल कर अथवा उनकी सेवायें समाप्त करके उनके स्थान पर छोटे आकार के जहाज चलाये जायें जो मार्ग में विभिन्न छोटे बन्दरगाहों पर रुक सकें ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में तटवर्ती सेवा जिसे असन्तोषजनक कहा जाता है, सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (ग) कोंकण तटीय सेवा की आवश्यकताओं पर भारत सरकार विचार कर रही है। मुगल लाइन्स लिमिटेड, जो एक सरकारी कम्पनी है, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से निर्धारित समय सूची के आधार पर सेवाओं का परिचालन करती है। कोंकण विकास परिषद् ने एक सुझाव दिया था कि मौजूदा जहाजों के स्थान पर छोटे छोटे तेज गति के जहाज रखें जायें। परन्तु, ऐसे करते हुये जहाज मार्किट में आसानी से नहीं मिलते और उनका निर्माण करना भी महंगा पड़ता है। अतः मौजूदा जहाजों को बदलना कोई आसान काम नहीं है। इन सेवाओं की आर्थिक सम्भाव्यता का सम्बन्ध सीधे भाड़ा स्तर से है जिसे कायम रखा जा सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, मामले पर निरन्तर नजर रखी जा रही है और जहां तक हो सकता है, एक सन्तोषप्रद सेवा की व्यवस्था करने के लिये सरकार उचित उपाय करती है ।

मलबरी एक्वेटिक प्रोड्क्ट्स लिमिटेड, मंगलौर के प्रबंधकों द्वारा तालाबंदी

237. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मलबरी एक्वेटिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मंगलौर ने 16 अगस्त, 1975 को तालाबन्दी घोषित कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इससे श्रमिकों को कठिनाई हुई है और विदेशी मद्रा की हानि हुई है;

(घ) तालाबन्दी के कारण कुल कितने उत्पादन का नुकसान हुआ है ; और

(ङ) तालाबन्दी समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) से (ङ). यह मामला आवश्यक रूप से राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है ।

भारत-चीन संबंध

238. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गत तीन महीनों के दौरान चीन के साथ भारत के सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : चीन लोक गणराज्य से सम्बन्ध सामान्य बनाने की अपनी नीति पर सरकार बराबर अनुसरण कर रही है । इस दिशा में हमने हाल में जो पहल की थी उसमें पारस्परिकता के आधार पर चीनी राजदूतावास, नई दिल्ली में सामान्य टेलेक्स लिंक का स्थापना एशिया तथा ओसेनिया के लिये यूनेस्को के राष्ट्रीय आयोगों के छठे क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिये चीन को आमंत्रित करना और एशियाई विकास बैंक के लिये चीन का प्रत्याशी के रूप में समर्थन करना शामिल है ।

चिकुरी कोयला खानों में दुर्घटनाएं

239. **श्री रानेन सेन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसनसोल में चिकुरी कोयला खानों में हुई दुर्घटनाओं के बारे में पता है जिसमें खनिकों की मौत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोयला खानों में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये, जिनकी संख्या बढ़ रही हैं, कार्यवाही करने का है ; और

(ग) सरकार का श्रमिकों के परिवारों को क्या मुआवजा देने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघु नाथ रेड्डी) : (क) 18-12-75 को चिनाकुरी 1 और 2 पिट्स कोलियरी में लम्बी दीवार के पार्श्व की छत के गिराव के कारण एक घातक दुर्घटना घटी, जिसमें तीन व्यक्ति मर गये और दो अन्य व्यक्तियों को गम्भीर चोटें लगीं ।

(ख) खानों में सुरक्षात्मक उपायों में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है । पर्यवेक्षण को सुदृढ करने और सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं । प्रबन्धकों को भी सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का दृढता से अनुपालन करने की सलाह दी गई है ।

(ग) मृत व्यक्तियों के परिवारों को 1000/- रु० का अनुग्रहपूर्वक भुगतान पहले ही कर दिया गया है । प्रबन्ध द्वारा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, जिसका प्रशासन राज्य कार्यक्षेत्र में आता है, के उपबन्धों के अन्तर्गत मुआवजा भी देय है ।

क्षय रोग के रोगियों में वृद्धि

240. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोग का उन्मूलन करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के बावजूद भारत में यह रोग बढ़ रहा है ;

(ख) भारत में क्षय रोग के रोगियों की अनुमानतः संख्या कितनी है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति से निबटने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एच० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1955--58 के दौरान किये गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों के आधार पर रेडियोलाजी की दृष्टि से सक्रिय क्षयरोगियों की संख्या लगभग 80 से 90 लाख होगी जिनमें 20 लाख संक्रामक हैं ।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से जिला क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमों को आयोजित कर बड़ी संख्या में रोगियों का पता लगाने तथा घर-घर जाकर क्षय-रोगियों का इलाज करने और कम उम्र के लोगों को बी० सी० जी० का टीका लगाने का कार्य चल रहा है ।

अमरीका के सहयोग से आयोगों की स्थापना करना

241. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी सरकार के सहयोग से आयोगों की स्थापना करने संबंधी निर्णय लिया है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस बारे में अमरीकी सरकार के साथ कोई करार तैयार किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) से (ग). आर्थिक, वाणिज्यिक वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग के विषय पर भारत-अमरीकी सम्मिलित आयोग की स्थापना के लिए एक करार पर नई दिल्ली में अक्तूबर, 1974 में हस्ताक्षर किए गए थे । इस सम्मिलित आयोग के अधीन आर्थिक और वाणिज्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी तथा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मामलों के बारे में तीन उप-आयोग बनाए गए । दोनों पक्षों का प्रत्येक उप-आयोग में प्रतिनिधित्व है । उपर्युक्त करार के अधीन भारत-अमरीकी सम्मिलित आयोग की एक बैठक 6-7 अक्तूबर 1975 को वाशिंगटन में हुई थी । भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री, श्री वाई० बी० चव्हाण ने किया और अमरीकी पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्री डा० एच० किसिंगर ने ।

दिआगो गार्सिया परमाणु अड्डे के बारे में अमरीकी सरकार के साथ बातचीत

242. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने हिन्द महासागर में दिआगो गार्सिया परमाणु अड्डे के मामले को उठाया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) दीआगो गार्सिया में सैनिक अड्डे के बारे में भारत सरकार के सुस्थिर विचारों से अमरीकी सरकार को समय-समय पर अवगत कराया जा चुका है। अक्तूबर, 1975 में विदेश मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान भी ये विचार दुहराये गए थे।

बोनस सम्बन्धी अध्यादेश

243. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों ने बोनस सम्बन्धी अध्यादेश का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में इन संगठनों अथवा शिखर निकाय से परामर्श न लेने के क्या कारण थे ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : बोनस भुगतान (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें उठाए गए प्रश्नों को नोट कर लिया गया है।

(ग) चूंकि अध्यादेश प्रख्यापित किया जाना था, इसलिए इस प्रकार का विचार विमर्श आवश्यक नहीं समझा गया था।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 की मरम्मत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऋण मांगा जाना

244. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने कोलाबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (वेस्ट कोस्टस रोड) की मरम्मत करने के लिये ऋण तथा आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि की मांग की है,

(ख) वर्ष 1974-75 और 1975-76 के दौरान कितनी राशि दी गई है अथवा देने का प्रस्ताव है, और

(ग) क्या इस मरम्मत के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और उनके रख-रखाव और मरम्मत पर हुआ व्यय सीधे भारत सरकार द्वारा

वहन किया जाता है और इन कार्यों के लिए राज्य सरकारों को कोई राज सहायता अथवा ऋण नहीं दिया जाता ।

जनवरी, 1975 में महाराष्ट्र सरकार ने कोलाबा जिले में पड़ने वाले पश्चिमी तट सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 की टूटी हुई सीमेंट कंक्रीट की पटरी को फिर से ठीक करने के लिए 134.07 लाख रुपये का अनुमान भेजा था । जांच करने के बाद यह 117.27 लाख रुपये का अनुमान जून, 1975 में स्वीकृत किया गया । इस अनुमान में मौजूदा टूटी हुई सीमेंट कंक्रीट की पटरी को हटाकर दोगली की चौड़ाई में फिर से तैयार करके तरवाली बनाने की व्यवस्था है । महाराष्ट्र सरकार ने इस कार्य के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 58 लाख रुपये की मांग की है । इसे आबंटित कर देने का विचार हैं । यदि धन उपलब्ध हुआ तो पुनर्निर्माण के कार्य का जून, 1977 तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

कोजो कोड लौह अयस्क निक्षेपों के बारे में भारतीय भू-सर्वेक्षण की रिपोर्ट

245. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण ने कोजोकोड जिले में लौह अयस्क निक्षेपों के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) इसका उपयोग करने के बारे में सरकार द्वारा किए गए अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई आगे अध्ययन करने का भी विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : इस जिला क्षेत्र में अब तक प्रारम्भिक चरण तक ही खोज कार्य हुआ है, ताकि इस अयस्क के अनुमानित और संभावित भण्डार का निर्धारण किया जा सके और ग्रेड का व्यापक अनुमान लगाया जा सके । वर्तमान अनुमानों से संकेत मिलता है कि आक्सीकृत लौह अयस्क कुल संभावित भंडार 365 लाख टन तथा गैर-आक्सीकृत लौह अयस्क के 419.20 लाख टन भंडार हैं । औसत लौह अयस्क तत्व लगभग 35 प्रतिशत है । इन अयस्कों की वाणिज्यिक खुदाई को आर्थिक उपादेयता का निर्धारण करने के लिए व्यापक परीक्षण और आगे अध्ययन करना आवश्यक होगा ।

गैर-सरकरी क्षेत्र में सप्ताह में सात दिन कार्य

246. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की राष्ट्रीय केन्द्रीय संस्था ने सप्ताह में सात दिन काय करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या लाभ तथा हानियां हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) : जी हां, इसने कुछ मार्गदर्शनों की शर्त पर प्रस्ताव को सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिया है ।

(ख) उद्योग में उप्ताह में सात दिन कार्य करने से उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की संभावना है, विशेषत: जबकि यह श्रमिकों/संघ (संघों) की सहमति से आरम्भ किया जाना है।

नियोक्ताओं द्वारा जबरन छुट्टी तथा छंटनी

247. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० आई० टी० यू० सी० ने सरकार का ध्यान सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय के निर्णय के उल्लघन में नियोक्ताओं द्वारा किये जा रहे 'बन्द' जबरन छुट्टी तथा छंटनी की ओर दिलाया है ; और

(ख) नियोक्ताओं के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) : जी हाँ। ए० आई० टी० यू० सी० की महापरिषद् द्वारा पारित किए गए संकल्पों में से "आपात के लाभ और हानि पर" नामक संकल्प में, नियोजकों द्वारा जबरी छुट्टी, बन्दियों और छंटनियों आदि का मार्ग अपनाने के संबंध में उल्लेख किया गया है।

(ख) मामला सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय के समक्ष पेश किया गया था जिसने मामले के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया और नियोजकों और कर्मचारियों द्वारा एकतरफी कार्यवाही को रोकने के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत किया।

देश में चेचक का पुन: फैलना

248. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में चेचक पुन: फैल गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण तथा तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :
(क) 5 जुलाई, 1975 से भारत में किसी व्यक्ति के चेचक से ग्रस्त होने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पोत निर्माण यार्डों की स्थापना

249. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पोत निर्माण यार्डों की स्थापना करने की व्यवहार्यता के बारे में परामर्शदाताओं की सिफारिशों के ब्यौरे का अध्ययन करने के लिये गठित अन्तर्मंत्रालयी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) (क) और (ख): विदेशी परामर्शदाताओं द्वारा दी गई प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्टों पर अन्तर्विभागीय परामर्श के माध्यम से विस्तृत जांच की जा रही है।

इस्पात संयंत्रों की स्वायतता में स्टील ऑथोरिटी आफ इंडिया लि० का कथित हस्तक्षेप

250. **श्री मधु दंडवते :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका घ्यान पी० टी० आई० द्वारा दुर्गापुर से 14 मई, 1975 को प्रेषित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के भूतपूर्व महाप्रबन्धक श्री बागाराम तुलपुले ने यह आरोप लगाया है कि स्टील अथोरिटी आफ इन्डिया लि० सरकार द्वारा इसके गठन के समय घोषित नीति के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है और इस्पात संयंत्रों की स्वायतता में अनावश्यक हस्तक्षेप हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित आरोपों को सरकार स्वीकार नहीं करती है ।

पुर्तगाल द्वारा शासित तिमार के बारे में संयुक्त राष्ट्र के संकल्प पर भारत का दृष्टिकोण

251. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 दिसम्बर, 1975 को संयुक्त राष्ट्र की न्यासधारिता समिति ने एक संकल्प पारित किया जिसमें पुर्तगाल द्वारा शासित तिमोर में इंडोनेशिया द्वारा सैनिक हस्तक्षेप करने की भर्त्सना की गई है और उससे कहा गया है कि वह इस क्षेत्र से अपनी सेनायें अविलम्ब हटा ले ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत, ईरान, मलेयेशिया, सऊदी अरब तथा थाईलैंड उन देशों में से थे जिन्होंने इस संकल्प का विरोध किया था ;

(ग) क्या इस संकल्प के समर्थक देशों में सोवियत संघ, बंगला देश, चीन तथा कुछ अफ्रीकी देश भी शामिल थे ; और

(घ) यदि हां, तो भारत द्वारा इस संकल्प के विरुद्ध मतदान करने के क्या कारण थे ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) : जी हाँ। चौथी समिति ने, जो न्यास एवं गैर स्वायत्तशासी राज्यों से संबंधित है, 11-12-1975 को ऐसा एक प्रस्ताव स्वीकार किया था । बाद में यह प्रस्ताव पूर्णाधिवेशन में भी स्वीकार किया गया ।

(ख) भारत, ईरान, मलेयेशिया, सऊदी अरब और थाईलैंड सहित 11 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था।

(ग) सोवियत संघ, बंगला देश, चीन और कुछ अफ्रीकी देशों सहित 69 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।

(घ) भारत द्वारा इस प्रस्ताव के विरोध में मत देने का कारण यह था कि यद्यपि इस प्रस्ताव में लोगों के आत्म-निर्णय के अधिकार की पुष्टि तो होती है परन्तु यह लोगों द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करने में बहुत सहायक नहीं होगा । कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर भारत ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव का मसौदा प्रस्तुत किया था जिसका उद्देश्य किसी भी पक्ष के कार्य की आलोचना किये बिना सब का सहयोग प्राप्त करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करना था । दुर्भाग्य से इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका ।

लघु इस्पात संयंत्र

252. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मंत्रालय ने लघु इस्पात संयंत्रों का अध्ययन करने के लिए धातुकार्मिक तथा इंजीनियरिंग परामर्शदाताओं तथा दस्तूर एंड कम्पनी को नियुक्त करने का निर्णय किया था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : जी, हाँ। हाल में इस बारे में एक फैसला किया गया है।

सूती मिल मजदूर एकता समिति, जयपुर से ज्ञापन

253. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूती मिल मजदूर एकता समिति, जयपुर से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें श्रमिकों पर गुटबाज व्यक्तियों द्वारा हमलों को रोकने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). यह मामला आवश्यक रूप से राज्य के कार्य-क्षेत्र में आता है और राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया गया है।

Bonus Review Committee

254. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether the report of the Bonus Review Committee had been submitted to Government long ago;

(b) if so, the reasons for delay in taking decision thereon; and

(c) the time by which Government proposed to take decision in this regard ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy): (a) to (c). The final report of the Bonus Review Committee was received by Government on the 14th October 1974, and an Ordinance, namely The Payment of Bonus (Amendment) Ordinance, 1975 was promulgated on the 25th September, 1975 to give effect to the decisions taken by Government on the recommendations made in the Report.

ब्रिटेन में भारतीय चिकित्सा डिग्री की वैधता

255. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय चिकित्सा डिग्रियों के ब्रिटेन में अब वैध न रहने के क्या कारण हैं ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) ब्रिटेन की जनरल मेडिकल काउन्सिल की इस कार्यवाही के कारणों के बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) ब्रिटेन की जनरल मेडिकल काउन्सि की इस कार्यवाही पर भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा विचार किया गया था और उनके सुझावों के परिणामस्वरूप 12 नवम्बर, 1975 से सभी

ब्रिटिश चिकित्सा अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की द्वितीय अनुसूची से निकाल दिया गया है। वैसे ये अर्हताएं तीसरी अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित कर दी गई हैं जिससे कि यदि भारतीयों के पास ये अर्हताएं हों तो केवल उनके मामले में इन्हें मान्य समझा जाता रहे। भारतीय चिकित्सा परिष वारा जा ी किए गये प्रेस नोट की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० ी०—10035/76]

पश्चिम बंगाल में इण्डियन टेलीफोन्स इण्डस्ट्रीज का नया यूनिट

256. **श्री शक्ति कुमार सरकार :**
श्री शंकर नारायण सिंह देव :
श्री ए० के० किस्कु :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज पश्चिम बंगाल में अपना नया युनिट स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) इस बारे में अद्यतन क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए जाने वाली इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के प्रस्तावित नये एककों के स्थान का प्रश्न विचाराधीन है।

ठेका श्रमिक प्रथा का उत्सादन

257. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ठेका श्रमिक प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं।

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 नामक एक केन्द्रीय कानून पहले से ही विद्यमान है जिसमें, जहां व्यवहार्य है, ठेका श्रम के प्रतिषेध की और जिन मामलों में इसका उत्सादन व्यवहार्य नहीं है, उनमें ठेका श्रमिकों के नियोजन के विनियमन की व्यवस्था है। जहां तक केन्द्रीय कार्य क्षेत्र में उद्योगों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार कोयला खानों में रोजगारों की पांच श्रेणियों में ठेका श्रम प्रणाली का पहले ही उत्सादन कर चुकी है। जहां तक अन्य रोजगारों में, जहां इस प्रकार का उत्सादन, व्यवहार्य है, इसके उत्सादन का संबंध है, सरकार इस बारे में स्थिति की लगातार पुनरीक्षा कर रही है और वह इस प्रकार की पुनरीक्षाओं की रोशनी में मामले में उचित कार्यवाही करेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

258. **श्री ए० के० किस्कु :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने के लिये कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख). सरकार की पहले से ही एक योजना चल रही है जिसके अधीन इलाज की सुविधायें देने वाले स्वैच्छिक संगठनों को उपकरणों के लिये शत प्रतिशत तथा निर्माण कार्य के लिये 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रीय कुष्ट नियंत्रण, कार्यक्रम के अधीन स्वैच्छिक संस्थानों को सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार के लिये आवर्ती और आनवर्ती अनुदान भी दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, हाल ही में एक और योजना चलाई गई है जिसके अधीन स्वैच्छिक संस्थानों/संगठनों को देहातों में नये अस्पताल / औषधालय खोलने के लिये अनावर्ती वित्तीय सहायता दी जाती है और इस काम पर जो खर्च होगा उसे सम्बन्धित स्वैच्छिक संगठन, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार बराबर-बराबर वहन करेंगी। इस योजना को 25 जनवरी, 1975 को राज्य सरकारों को भेजा गया और उनसे अनुरोध किया गया कि वे इसका खूब प्रचार करें और पात्र संस्थानों के आवेदन पत्र भेजें। आन्ध्र प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों के माध्यम से दो प्रस्ताव मिले हैं और उन पर इस समय विचार किया जा रहा है।

न्हावा-शेवा, बम्बई में उप-पत्तन

259. **श्री वसंत साठे :**
श्री धामनकर :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के निकट न्हावा-शेवा में एक उप पत्तन का प्रस्ताव काफी समय से निपटान के लिये पड़ा हुआ है और महाराष्ट्र सरकार में बम्बई पत्तन में हुये जमाव को दूर करने के लिये योजना पर शीघ्र निपटाये जाने के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या वर्ष 1976–77 की वार्षिक योजना में कोई व्यवस्था की गई है

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवदी) : (क) तथा (ख). न्हावा-शेवा में उप-पत्तन पर टिप्पणी लोक निवेश बोर्ड के विचारार्थ परिचालित किया गया है। आशा है कि सम्बद्ध मंत्रालयों के विचारों को अभिनिश्चय करने के बाद शीघ्र ही बोर्ड इस पर विचार करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने योजना की शीघ्र निर्णय स्वीकृति के लिये जोर दिया है और वर्तमान स्थिति से अवगत कर दिया है।

(ग) 1976–77 की वार्षिक योजना के लिए 4.35 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में संचार व्यवस्था

260. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान सामान के कुल आंवंटन में से ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने हेतु कितने प्रतिशत सामान का उपयोग किया गया है तथा नगरीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत सामान का उपयोग किया गया हैं ; और

(ख) क्या नगरीर क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने हेतु अधिकांश सामान आवंटित किये जाने का विचार है और इससे दूर-संचार सुविधाओं के प्रसारण में ग्रामीण क्षेत्रों को अपना हक प्राप्त किये जाने से वंचित किया जायेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख). देहाती और शहरी इलाकों में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला साज-सामान है--खम्भों पर लगाई गई लाइनें और तार सामग्री दूर संचार सर्किलों को इस साज-सामान का नियतन थोक में किया जाता है जो उनकी मांगों और साज-सामान / निधियों की उपलब्धता की शर्त पर आधारित होता है। देहाती और शहरी इलाकों में डाक-तार सुविधायें देने के लिये सर्किल इस साज-सामन का इस प्रकार उपयोग करते हैं कि उससे सार्वजनिक सेवा और विभाग को अधिक से अधिक लाभ मिल सके ।

उत्तर-पश्चिमी सर्किल में सार्वजनिक टेलीफोनों सी० ओज० के लिये सामान की कमी

261. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पश्चिमी सर्किल में सार्वजनिक टेलीफोन सी० ओज० और टेलीफोन एक्सचेंज लगाने हेतु समान की भारी कमी है ; और

(ख) सरकार ने सामान की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) उत्तर-पश्चिमी सर्किल में विशेष रूप से कोई साज-सामान की कमी नहीं है। फिर भी, समूचे देश में सार्वजनिक टैलीफोन घर और संयुक्त डाक-तार घर खोलने के लिये जरूरी लाइन निर्माण करने के साज-सामान की कुछ मदें बजट में रखी गई जरूरतों से कम उपलब्ध हैं ।

(ख) बजट में रखी गयी जरूरतों की पूर्ति के लिये अब पर्याप्त आर्डर दे दिये गये हैं और साज-सामान की सप्लाई की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। सर्किलों को भी यह सलाह दी गई है कि वे, जहाँ व्यवहार्य हो, लकड़ी/ कंक्रीट के खंम्भों का इस्तेमाल करें ।

लक्षद्वीप द्वीप समूह में संचार सुविधाएं

262. श्री पी० एम० सईद : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत और लक्षदीप द्वीप समूह के बीच तथा द्वीपों में आपस में संचार सुविधायें अभी असन्तोंषजनक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं में सुधार करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) लक्षद्वीप द्वीप समूह में निम्नलिखित स्थान कालीकट के बेतार केन्द्र के जरिये मुख्य भूमि से जुड़े हैं :--

	खुलने की तारीख
1. अगाठी	12-1-63
2. अभेनी	17-3-60

	खुलने की तारीख
3. एण्ड्रोथ	17–3–60
4. चेटलेंट . .	24–12–62
5. कदमठ . .	1–1–63
6. कल्पेनी	18–5–62
7. करवरथी . . .	17–3–60
8. किल्तान	18–12–62
9. मिनिकाय	1–1–41

ये स्थान आपस में भी जुड़े हुये हैं। हालांकि इन सर्किटों पर किन्हीं गम्भीर खराबियों की रिपोर्ट नहीं आयी है, फिर भी पुराने उपस्कर को बदल देने का प्रस्ताव ह क्योंकि फालतू पुर्जे फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) संचार व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से बित्रा द्वीप में एक नया बेतार केन्द्र खोलने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है और भारत इलेक्ट्रोनिक्स, बंगलूर को उपस्कर के लिये आर्डर दे दिया गया है। कालीकट-एण्ड्रोथ, कालीकट, मिनिकाय, मिनिकाय-करवरथी और बनग्राम-अगाथी के बीच रेडियो टैलीफोन सर्किट देने का भी प्रस्ताव है जिसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Cities of Madhya Pradesh linked with Delhi and Bombay under STD System

263. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the names of the cities in Madhya Pradesh which have been linked with Delhi and Bombay through STD system and the names of such cities as are proposed to be so linked during 1976-77 ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma): At present, no city in Madhya Pradesh is linked with Bombay or Delhi through STD. However, the following cities in Madhya Pradesh are proposed to be linked to Bombay and Delhi by S.T.D. in 1976:—

1. Bhopal—Delhi
2. Bhopal—Bombay.
3. Indore—Bombay.

Mini Steel Plants set up during 1975-76

264. **Dr. Laxminarayan Pandeya:**

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the number of mini steel plants set up in the country during 1975-76, the number out of these in which steel production has started and of those which are under construction;

(b) the number of plants which have closed down after starting the production; and

(c) the reasons for which these plants have closed down?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Increase in Cancer Patients in the Country

265. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the number of Cancer patients in India has increased considerably during the last five years;

(b) the location of existing cancer research and treatment centres in the country ; and

(c) the steps taken by Government for treatment of cancer and to check the incidence of this disease ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque) : (a) No country-wide survey on the prevalence of Cancer in India has been conducted.

(b) A list of Cancer Research and Treatment Centres as reported by the State Authorities in the country is enclosed. [Placed in the Library. *See* No. LT-10036/76]

(c) A provision of Rs. 3 crores has been earmarked during the 5th Five Year Plan for development of 4 Regional Cancer Research and Treatment Centres at New Delhi, Calcutta, Madras and Bombay and for providing Central Assistance for establishment of 20 Cobalt Therapy Units at different places in the country particularly in the far-flung areas.

बंगला देश के उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधिमंडल का दौरा

266. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश से आये एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिनिधिमण्डल ने हाल में प्रधान मंत्री तथा अन्य विशिष्ट मंत्रियों और भारत सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या भारत सरकार और बंगला देश मित्रतापूर्ण सम्बन्धों को और मजबूत करना चाहते हैं ; और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुये दोनों देशों की सरकारों द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिनपाल दास) : (क) और (ख). जी हां । बंगलादेश के राष्ट्रपति एवं मुख्य मार्शल ला प्रशासक के निदेश सहायक, न्यायाधीश ए० सत्तार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें बंगलादेश के विदेश सचिव, श्री तबारक हुसैन भी शामिल थे, 5 से 8 दिसम्बर, 1975 तक नई दिल्ली की सरकारी यात्रा पर आया था ।

इस यात्रा के दौरान न्यायाधीश श्री सत्तार ने प्रधान मंत्री से भेंट की । शिष्टाचार के नाते उन्होंने भारत के मुख्य न्यायधीश से भी मुलाकात की ।

दोनों पक्षों ने आपसी हित के मामलों पर विस्तारपूर्वक और निःसंकोच बातचीत की । भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय की नीति नियोजन समिति के अध्यक्ष श्री जी० पार्थसारथी ने किया और उसमें विदेश सचिव श्री केवल सिंह तथा प्रधान मंत्री के सचिव, प्रो० पी० एन० धर भी शामिल थे ।

(ग) और (घ). जी हां। दोनों पक्षों ने यह बताया कि बेहतर समझ-बूझ के लिये उचित वातावरण तैयार करने तथा मित्रता और सहयोग बनाने के लिये वे क्या-क्या कदम उठाना आवश्यक समझते हैं। इस बीच, व्यापार और अर्थ-व्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति, तथा दूसरे क्षेत्रों में भी सहयोग और आदान-प्रदान निरन्तर चल रहा है।

अस्पतालों के कर्मचारियों को सजा देना

267. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति की उद्घोषणा के बाद दिल्ली प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली तथा देश के विभिन्न भागों में स्थित केन्द्रीय सरकार के विभिन्न अस्पतालों के कुछ कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया है, बर्खास्त किया गया है और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बैठक

268. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी पाकिस्तान के रक्षा एवं विदेश-कार्य मंत्री के साथ हाल ही में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक का क्या परिणाम निकला है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विपिन पाल दास) : (क) और (ख). विदेश मंत्री न्यूयार्क में पाकिस्तान के रक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री, श्री अजीज अहमद से सितम्बर, 1975 में मिले थे। यद्यपि यह मुलाकात अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के लिये व शिष्टाचार के नाते हुई थी, फिर भी अवसर का लाभ उठाते हुये द्विपक्षीय हित के कुछ मामलों पर विचार-विनिमय भी किया गया।

'समान किराया' पद्धति से दिल्ली परिवहन निगम को हुई आय

†269. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने 30 पैसे और 60 पैसे की समान किराया-पद्धति लागू की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस किराया-पद्धति के आरम्भ होने से दिसम्बर, 1975 तक कितनी आय हुई और इस समान किराया पद्धति के शुरू होने से पहले के छः महीनों में निगम को कितनी आय हुई थी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम ने 22-10-1975 से दो दर वाली समान किराया पद्धति शुरू की थी । निगम की कुल आय से सम्बन्धित माहवार आंकड़े 1-4-75 से 31-12-75 तक की अवधि के लिये निम्न प्रकार से हैं :--

माह	कुल आय (रु० लाखों में)
अप्रैल, 75	111.26
मई, 75	117.31
जून, 75	110.80
जुलाई, 75	129.53
अगस्त, 75	136.51
सितम्बर, 75	140.28
अक्तूबर, 75	150.42
नवम्बर, 75	147.15
दिसम्बर, 75	147.91

इस्पात वितरण नीति

270. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गत वर्ष मई मास में घोषित इस्पात वितरण सम्बन्धी नीति में कोई फेर-बदल करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). उत्पादन और उपलब्धि में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये इस्पात के वितरण की नीति में दिसम्बर, 1975 में संशोधन किया गया था । प्लेटों, क्वायल्स और फोर्जिंग क्वालिटी इस्पात भी शामिल है, का आवंटन इस्पात प्राथमिकता समिति के अधिकार क्षेत्र से निकाल दिया गया है और संयुक्त संयंत्र समिति के कार्यों की सूची में जोड़ दिया गया है । फिर भी उत्पादक यह सुनिश्चित करेंगे कि सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र की इकाइयों की पूर्ण आवश्यकताएं पूरी की जायें । इस काम के लिये संयुक्त संयंत्र समिति को उचित मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने को कहा गया है ।

दिल्ली परिवहन निगम को रात्रि सेवा चलाने के कारण हानि

271. **श्री राम सहाय पाण्डे** :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम दिल्ली में रात्रि सेवा चला रहा है ;

(ख) क्या उससे हुई आय, रात्रि सेवा चलाने के खर्च से कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली परिवहन निगम ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(i) अलाभप्रद किलोमीटर दूरी कम करने की दृष्टि से रात्रि बस सेवाओं का समय दो घंटे कम कर दिया है ।

(ii) आय में वृद्धि करने के लिये इन सेवाओं का किराया प्रति वयस्क यात्री एक पया और बच्चों के लिये 50 पैसे कर दिया है । व्यक्तिगत सामान पर इसके अलावा 60 पैसे प्रति नग लिया जाता है ।

बेगार प्रथा को समाप्त करना

272. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री राजा कुलकर्णी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिये राज्य सरकारों ने प्रधान मंत्री के 20—सूत्री कार्यक्रम को किस सीमा तक क्रियान्वित किया है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसे क्रियान्वित कर दिया है और बेगार प्रथा के बन्धन से कितने मजदूरों को मुक्ति दिलायी गई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को इसके लिये राजी करने का है जिन्होंने इस दिशा में काई कार्यवाही नहीं की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) राष्ट्रपति द्वारा 24 अक्तूबर, 1975 को प्रख्यापित किया गया बंधकग्रस्त श्रमिक प्रथा (उन्मूलन) अध्यादेश, 1975, 25 अक्तूबर, 1975 से प्रवर्तित हुआ और यह सारे भारत पर लागू होता है । बन्धकग्रस्त श्रमिक प्रथा उस तारीख से समाप्त कर दी गई है । राज्य सरकरों और संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि राज्य के प्राधिकारियों को ऐसी शक्तियां प्रदान करें और ऐसे कार्यभार सौंपे जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हों कि अध्यादेश के उपबन्ध उचित ग से कार्यान्वित हों । कुछ राज्य सरकारों ने बन्धकग्रस्त श्रमिक प्रथा को समाप्त करने के लिये आवश्यक आदेश जारी किये हैं और अन्य मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । निम्नलिखित राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों ने उनके क्षेत्राधिकारों में बन्धकग्रस्त श्रमिक प्रथा की विद्यमानता से इन्कार किया है :—

1. महराष्ट्र
2. हरियाणा
3. जम्मू और काश्मीर
4. मनीपुर

5. मेघालय

6. नागालैण्ड

7. त्रिपुरा

8. अण्डमान और नीकोबार प्रशासन

9. चण्डीगढ़

10. दादरा और नागर हवेली

11. दिल्ली प्रशासन

12. गोवा, दमन और दीव

13. अरुणांचल प्रदेश

14. लक्षद्वीप प्रशासन

15. पाण्डिचेरी प्रशासन ।

(ख) बिहार सरकार ने बन्धकग्रस्त श्रमिक प्रथा को समाप्त करने लिये कार्यवाही की है और अब तक 525 श्रमिक मुक्त किये हैं ।

(ग) जी हां ।

Import of Steel

273. Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the quantity of steel available and its requirement in the country;

(b) the quantity of steel imported;

(c) the time by which our country will attain self sufficiency in steel production ; and

(d) the names of countries with which India has entered into agreement for import & export of steel ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) Production of saleable steel from the main producers this year is targetted at 5.7 million tonnes. In addition, imports will be about 3 lakh tonnes. Domestic demand is estimated at 5.5 million tonnes.

(b) Imports by Hindustan Steel Limited and SAIL International Limited during 1975-76 till 1-1-1976 add upto 175,800 tonnes in respect of steel items canalised through them. Minerals and Metals Trading Corporation's imports during April-November, 1975 was 23,261 tonnes. In addition, there are some imports by the actuals users/Registered Exporters and their nominees.

(c) In aggregate tonnage a position of self sufficiency has been achieved already. Some matching quantities and sophisticated varieties will continue to be imported and our surpluses will be exported.

(d) Hindustan Steel Limited/SAIL International Limited imports contracts are mainly with Japan, U.K., West Germany, Czechoslovakia, Italy, Poland, South Korea, Australia, Sweeden, Hungary and France. Export contracts are with Shri Lanka, Japan, Indoneasia, Pakistan, Iran, Yugoslavia, UA.E., Egyt, Libiya, Czechoslovakia, Mauritius, Aden, Jordan, Tanzania, Kenya, Thailand, Syria, Kuwait, Iran and South Korea.

सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने हेतु विश्व बैंक का सुझाव

274. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययन में बताया गया है कि विकासशील देशों में सार्वजनिक परिवहन पर्याप्त नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या-क्या उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विश्व-बैंक द्वारा किये गये अध्ययन में मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—

(i) परिवहन सुविधाओं का अधिक मुक्तिसंगत उपयोग विशेषत: भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सड़क स्थानों पर ;

(ii) परिवहन उपक्रमों की कार्यकुशलता और उनके समन्वय में आवश्यक सुधार ; और

(iii) परिवहन आवश्यकताओं को शहरी भौतिक नमूने पर सुधार करने के लिये पास-पास की सम्बद्ध परिवहन आवश्यकतायें कम करना ।

उक्त अध्ययन में, विकासशील देश, जिनमें भारत भी शामिल है, की शहरी परिवहन समस्यायें शामिल हैं । विश्व-बैंक की सिफारिशें सामान्य प्रकार की है और उनका कार्यान्वयन सम्बन्धित शहरों की स्थितियों पर निर्भर करता है । जहां तक भारत में शहरों का सम्बन्ध है, इन सिफारिशों पर निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकारों को लेना है ।

पूर्वी तीमोर के इंडोनेशिया में विलय के बारे में राष्ट्र संघ का प्रस्ताव

275. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने पूर्वी तीमोर के इंडोनेशिया में विलय का समर्थन किया ;

(ख) यदि हां, तो पूर्वी तीमोर के इंडोनेशिया के साथ विलय का अन्य किन-किन देशों ने समर्थन किया ; और

(ग) इस समर्थन के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय परिवहन परमिट योजना लागू करना

276. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन परमिट योजना जिसे वर्ष 1975 के अन्त तक लागू किया जाना था, लागू कर दी गयी है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अपने कोटे के लिये आवेदन पत्र मांगने को कहा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार राष्ट्रीय परिवहन परमिटों की संख्या क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय परमिट योजना की अधिकतम संख्या, जिसे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जारी कर सकते हैं निम्न प्रकार है :—

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राष्ट्रीय परमिटों की सं०
(i)	आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, देहली और गोआ, दमन और दियू ।	प्रत्येक 250
(ii)	हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा ।	प्रत्येक 200
(iii)	मणिपुर, मेघालय, नागालैंड सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, मिजोराम और पाण्डिचेरी ।	प्रत्येक 50

अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार पश्चिमी बंगाल के सिवाय किसी भी राज्य ने कोई राष्ट्रीय परमिट जारी नहीं किया है । इस राज्य ने इन परमिटों को देने के लिए 244 आवेदनकर्त्ताओं को चुना है और उनमें स 230 को प्रस्ताव भेजा हैं

दक्षिण एशिया में परमाणु-मुक्त जोन की स्थापना

277. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश** ंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 4 दिसम्बर, 1975 को संयुक्त राष्ट्र ंघ की मुख्य राजनैतिक समिति में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान ने भारत को दक्षिण एशिया के लिये परमाणु मुक्त जोन की स्थापना पर विचार-विमर्श के लिये वचनबद्ध कराने का प्रयास किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारत ने खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि इस बारे में पाकिस्तान अब जिस किसी भी परामर्श का प्रस्ताव करेगा उसमें वह भाग लेनेमें अ समर्थ होगा । सामान्यतया स्वीकृत कार्य पद्धति के अनुसार दक्षिण एशिया में परमाणु अस्त्र मुक्त क्षेत्र की स्थापना तथा घोषणा के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप से उठाने से पहले इस प्रश्न के बारे में पाकिस्तान को सम्बद्ध

देशों से पहले विचार-विमर्श करना चाहिए था । इसके अलावा, भारत का यह मत है कि पाकिस्तान का यह प्रस्ताव राजनीति से अभिप्रेरित और इसका स्वरूप प्रचारात्मक है । दक्षिण एशिया, एशिया और प्रशान्त महासागर का उप-क्षेत्र है । एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में परमाणु हथियारों का होना तथा हिन्द महासागर में विदेशी सैनिक अड्डों की उपस्थिति ने दक्षिण एशिया के उप-क्षेत्र में परमाणु हथियारों से मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए अनुपयुक्त स्थिति बना दी है ।

Registration of Names for New Telephone Connections in U.P.

278. Shri Hari Singh :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of applicants in Uttar Pradesh who got their names registered with the Department upto 20th December, 1975, for new telephone connections; and

(b) the time by which they would get new telephone connections ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (a) 24,456.

(b) It is expected that the applications under OYT category which number about 550 will be cleared by August, 1976 and those under non OYT categories will be cleared progressively with the increase in the capacity of the telephone exchanges.

Bullet Shots at Indian High Commissioner in Bangladesh

279. **Shri Hari Singh:**
Shri Arjun Sethi:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) Whether the Indian High Commissioner in Bangladesh was recently injured by bullet shots; and

(b) If so, the facts of the incident and the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) Yes, Sir.

(b) The High Commissioner was shot below the joint of right arm and shoulder by one of the armed intruders. High Commissioner was taken to hospital and the bullet lodged in his shoulder was removed. He was discharged from hospital on 27th November afternoon. He is making steady progress towards full recovery.

In a statement issued on the 26th November, 1975, the Government of India expressed their deep shock at the armed attack on the life of the Indian High Commissioner and condemned it in the strongest possible terms. The Bangladesh Government was again reminded of their responsibility to provide adequate protection to the Indian High Commission staff, their families as well as to other Indian nationals in Bangladesh. The Government of Bangladesh was also asked to institute an inquiry into this incident to expose the conspiracy behind it and to punish the offenders.

Opening of New Post Offices in U.P. during 1975

280. **Shri Hari Singh :**

Will the Minister of **Communications** be pleased to state the number of new Post Offices opened in Uttar Pradesh in 1975 ?

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma): 73.

यहूदीवाद को जातिवाद के बराबर समझने का राष्ट्र संघ का संकल्प

281. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ महा सभा के गत सत्र में यहूदीवाद को जातिवाद के बराबर समझने के संकल्प को समर्थन करने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के तीसरे अधिवेशन में पारित यहूदीवाद संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया था । यह हमारी तत्संबंधी नीति के अनुरूप था । 1973 में हमने संयुक्त राष्ट्र महासमा के उस प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें "दक्षिण अफ्रीकी जातिवाद और यहूदीवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन की निन्दा की गई थी ।" हमने 1974 में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष पर मेक्सिको की घोषणा का समर्थन किया था जिसमें "यहूदीवाद जातीय पृथवासन और जातीय भेदभाव का उन्मूलन" करने की बात कही गई थी । अगस्त, 1974 में लोमा में संपन्न गुट-निरपेक्ष सम्मेलन की अन्तिम घोषणा में "सभी देशों से कहा गया था कि वे एक जातिवादी और साम्राज्यवादी विचारधारा के रूप में यहूदीवाद का विरोध करें" । प्रस्ताव का समर्थन करने का अभिप्राय यहूदीवाद विरोध का समर्थन करना नहीं है । यह तो इस तथ्य की स्वीकृति मात्र है कि पश्चिम एशिया में यहूदीवादी अधिग्रहण और दमन के परिणामों से पीड़ित लोगों पर प्रभाव का जहां तक प्रश्न हैं, यहूदीवाद जातीय भेदभाव का ही एक रूप है ।

नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा केन्द्र

282. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली को संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा केन्द्र बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : नई दिल्ली को संयुक्त राष्ट्र का केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

बंगला देश में हुई दुर्घटनाएं

283. **श्री हरि किशोर सिंह** :
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बंगला देश में हुई घटनाओं विशेषकर उस देश में सम्मानित नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों की नृशंस हत्याओं के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : भारत सरकार ने शेख मुजीबुर-रहमान, उनके परिवार तथा बंगला देश के अन्य सम्मानीय नेताओं की हत्या पर गहरा शोक और दुःख प्रकट किया है । कोई भी देश अपने पड़ौस में हुई राजनीतिक उथल-पुथल से यद्यपि अप्रभावित और उसकी ओर से बेखबर नहीं रह सकता, फिर भी बंगला देश में हुई इन दुखद घटनाओं को भारत उस देश का अन्दरुनी मामला समझता रहा है ।

हजीरा, गुजरात में शिपयार्ड का निर्माण

284. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सूरत के समीप हजीरा शिपयार्ड बनाने के लिये चुने गये स्थलों में से एक है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) और (ख): दो नये शिपयार्डों को स्थापित करने के लिए पांचवीं योजना प्रस्ताव के सम्बन्ध में हजीरा विचाराधीन निर्माण-स्थलों में से एक है ।

श्रमिकों को बोनस की अदायगी

285. **श्री पी० जी० मावलंकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक तथा कारखाना श्रमिकों को बोनस की अदायगी संबंधी अपनी नीति में आमूल-चूल परिवर्तन किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या श्रमिकों तथा मजदूर संघों ने बोनस की इस कटौती के विरुद्ध रोष प्रकट किया हैं और आन्दोलन किए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : स्थिति का स्पष्टीकरण 25 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित बोनस (संशोधन) भुगतान अध्यादेश, 1975 के पश्चात जारी की गई प्रेस प्रतिलिपि संलग्न विज्ञाप्ति में किया गया है । [ग्रन्थालय में रखी गई/**देखिए संख्या** एल० टी०—10037/76]

(ग) बोनस (संशोधन) भुगतान अध्यादेश, 1975 के कुछ उपबन्धों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें दिए गए आशयों को नोट कर लिया गया है ।

भारत-पाकिस्तान संबंध

286. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 के उत्तरार्द्ध में भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में कोई सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः सामान्य राजनयिक सम्बन्ध कब तक स्थापित होने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) और (ख) : पाकिस्तान द्वारा लगातार भारत-विरोधी प्रचार करते रहने के कारण पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया की गति धीमी पड़ गई हैं। भारत ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि यह चार अभियान बन्द किया जाना चाहिए ताकि वार्ता पुनः शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण बन सके।

(ग) जैसा कि शिमला समझौते में सोचा गया था सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों का कुछ आधार तो होना ही चाहिए जिससे राजनयिक संबंधों का फिर से शुरु करना अर्थपूर्ण बने।

ढाका में भारतीय उच्चायुक्त पर हमला

287. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 के अन्तिम भाग में ढाका में भारतीय उच्चायुक्त पर किये गये बर्बरतापूर्ण हमले पर सरकार ने तुरन्त कठोर शब्दों में विरोध प्रकट किया था ;

(ख) क्या बंगला देश सरकार ने सम्पूर्ण घटना की जांच की है, तथा उसके परिणामो से सरकार को अवगत कराया है ; और

(ग) क्या बंग-बन्धु शेख मुजीबुर्रहमान और उनके परिवार और निकट सम्बन्धियों की दुखद और अमानवीय हत्या के पश्चात् भारत और बंगला देश के सम्बन्ध बिगड़े हैं अथवा उनमें सुधार हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी, हां।

(ख) ढ़ाका में हमारे हाई कमिश्नर पर हुए सशस्त्र हमले के बारे में बंगलादेश प्राधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल अभी जारी है। इस बीच बंगला देश पुलिस ने छहों हमलावारों को पहचान लिया है जिनमें से चार मारे गए थे और दो गिरफ्तार कर लिये गए थे।

(ग) भारत सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान, उनके परिवार और निकट साथियों की हत्या पर गहरा शोक और दुःख प्रकट किया था।

यद्यपि भारत अपने पड़ौस में हुई राजनीतिक उथल-पुथल से अप्रभावित और उसकी ओर से बेखबर नहीं रह सका फिर भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हम ऐसी दुखद घटनाओं को सदैव बंगला देश का अन्दरूनी मामला समझते रहे हैं।

जहां तक भारत का संबंध है, हम अपने सभी पड़ौसियों के साथ शांति, सामजस्य और सहयोग को बुनियादी महत्व देते है। यह हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम उपमहाद्वीप में मैत्री बढ़ाने और पूरी तरह से शांति स्थापित करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहेगे।

हम बंगला देश सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों का स्वागत करते है जिसमें उन्होंने भारत के साथ हाल में हुए द्विपक्षीय संधियों और करारों का पालन करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने और आगे बढ़ाने का वादा किया है।

288. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the amount of crores of rupees incurred on the 90 thousand army personnel of Pakistan detained in India, has been realised from Pakistan ;

(b) if not the reasons therefor and the progress made in this regard; and

(c) whether Government of India will be in a position to realise this amount from the Pakistan Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) No, Sir.

(b) & (c) As already mentioned in the House, Government of India had formally approached Pakistan Government for reimbursement of the amount spent in payment of advance of pay to Prisoners of War and monetary allowances to civilians under Protective Custody, which are recoverable in accordance with the Geneva Conventions. An *aide memoirs* on the subject was handed over to Pakistan Government in April 1974 and that Government has been reminded from time to time.

Indian Ocean Free from Rivalry and Tension

289. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's policy is to keep the Indian Ocean free from big powers rivalry and tension; and

(b) if so, the steps taken by Government of India to restrain U.K. and U.S.A. from establishing a naval base in Diego Gracia; and the results achieved ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) Yes, Sir.

(b) India's opposition to the base on Diego Garcia is well-known and has been conveyed to those concerned. Further, India has given strong support, at the United Nations and elsewhere, to the move for eliminating foreign military bases from the Indian Ocean. However despite deep concern expressed by most of the littoral and hinterland states, the military build-up on Diego Garcia continues.

Action taken for Practising Bonded Labour

290. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state whether all the States have abolished bonded labour system declaring it illegal ?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy): The Bonded Labour System (Abolition) Ordinance, 1975 promulgated by the President on the 24th October, 1975 came into force with effect from the 25th October, 1975 and is applicable to the whole of India. The bonded labour system stands abolished throughout India with effect from that date. The State Governments and Union Territories have been requested to confer such duties on the State Officials as may be necessary to ensure that the provisions of this Ordinance are properly carried out.

A few State Governments have issued necessary orders under the Ordinance and others are taking necessary action in the matter.

Enforcement of Law relating to equal Wage for Men and Women

291. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state:

(a) whether in view of the provision made for equal wages for men and women, the law relating to it has since been enforced at all levels in all the States; and

(b) if so, the total number of persons convicted for non-compliance of this law and the punishment given in each case?

The Minister of Labour (Shri Raghunatha Reddy): (a) The Equal Remuneration Ordinance, 1975 was made applicable to employments in Plantations on 15th October, 1975 and to employments in Local Authorities on 1st January, 1976. All the State Governments and Administrations have been requested to implement the provisions of the Ordinance in these employments.

(b) No cases of conviction for violation of the provisions of the Ordinance have so far been reported.

बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

292. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं ;

(ख) गत 6 महीनों में उद्योगों में जबरन छुट्टी और तालाबन्दी के कारण कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए ; और

(ग) इन व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) देश में बेरोजगारी संबंधी यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 अक्टूबर, 1975 को देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या 92.73 लाख थी।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसके प्राप्त हो जाने के पश्चात् सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

293. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 के दौरान उड़ीसा में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये है ; और

(ख) क्या प्रत्येक खण्ड-मुख्यालय में एक-एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) उड़ीसा में वर्ष 1975 में 34 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर और 9 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गए हैं।

(ख) कुल 312 ब्लाक मुख्यालयों में से 222 में सार्वजनिक टेलीफोन घर काम कर रहे है।

एशियाई सुरक्षा व्यवस्था

294. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एशियाई देशों के साथ एशियाई सुरक्षा व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर विभिन्न देशों की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन

295. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का जितना उनके मंत्रालय से संबंध है, उसका किस सीमा तक क्रियान्वियन हुआ है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : श्रम मंत्रालय से संबंधित मद्दो के बारे में अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल० टी०-10038/76]

कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी

296. **श्री एस० एम० सिद्दय्या :**
श्री राजा कुलकर्णी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी का हाल ही में पुनरीक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख) 1975-76 के दौरान कृषि मे रोज़गार के सम्बन्ध में किए गए मजूरी संशोधनों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया/**देखिए** संख्या एल० टी०-10039/76]

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1972 का लागू किया जाना

297. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1972 को लागू करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) कितनी राज्य सरकारों ने ठेका श्रम संबंधी मामलों पर कार्यवाही तथा निर्णय करने के लिए बोर्डों की स्थापना की है?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी, अपने अपने संबंधित कार्य क्षेत्रों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें हैं। संलग्न विवरण वह प्रगति दर्शाता है जो केन्द्रीय कार्य क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा किये गये निरीक्षणों, पकड़ी गई अनियमितताओं, आरम्भ किये गये अभियोजनों आदि के बारे में हैं।

(ख) अनुमानत: संकेत उन राज्य सलाहकार बोर्डों की ओर है जो ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा इसलिए गठित किये जाने हैं कि वे, उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ इस अधिनियम के प्रशासन से पैदा होने वाले मामलों के बारे में सलाह दें। 13 नवम्बर, 1975 को हुई केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड की गत बैठक के संबंध में एकत्र की गई सूचना के अनुसार, इस प्रकार के बोर्ड आठ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा गठित किये गये हैं, जब कि शेष राज्य सरकारों में से अधिकांश ने या तो यह कहा था कि ऐसे बोर्ड अधिनियम के अन्तर्गत नियमावली को अंतिम रूप दिये जाने के बाद गठित किये जायेंगे या फिर यह कि मामला उनके विचाराधीन है।

विवरण

ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत केन्द्रीय कार्यक्षेत्र के संबंध में केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों, पता लगाई गई अनियमितताओं, चलाए गए अभियोजनों आदि के सम्बन्ध में की गई प्रगति

(i)	30–9–75 को ऐसे मुख्य नियोजकों की संख्या जिन्होंने पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हैं	2156
(ii)	30–9–75 को ऐसे ठेकेदारों की संख्या जिन्हें लाइसेंस जारी किये गये हैं	3970
(iii)	30–9–75 को ठेकेदारों के श्रमिकों की संख्या, जो लाइसेंसों के अन्तर्गत आते हैं	2,81,707
(iv)	31–10–75 तक किये गये निरीक्षणों की संख्या . .	8956
(v)	31–10–75 तक पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या .	87796
(vi)	31–10–75 तक सुधारी गई अनियमितताओं की संख्या .	65,637
(vii)	31–10–75 तक चलाये गये अभियोजनों की संख्या .	7,102
(viii)	31–10–75 तक प्राप्त की गई दोष-सिद्धियों की संख्या .	2973
(ix)	31–10–75 तक दायर किये गये दावा मामलों की संख्या	161

भारत-बंगला देश वार्ता

298. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में भारत–बंगलादेश उच्चस्तरीय वार्ता हुई थी;

(ख) क्या इस संबंध में कोई संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) जी हां।

(ख) एक संयुक्त प्रैस नोट जारी किया गया था।

(ग) इस प्रेस नोट की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है।

महिलाओं तथा पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान मजूरी

299. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों ने महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान मजूरी संबंधी अध्यादेश को किस सीमा तक क्रियान्वित किया है; और

(ख) क्या तमिल नाडु सरकार ने बागान तथा कृषि क्षेत्रों में महिला श्रमिकों के लिए इसे क्रियान्वित किया है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). समान पारिश्रमिक अध्यादेश, 1975 बागान में रोजगारों पर 15 अक्तूबर, 1975 को स्थानीय प्राधिकरणों में रोजगारों पर पहली जनवरी, 1976 को लागू किया गया था। तमिलनाडु सरकार सहित सभी राज्य सरकारों/प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे इन रोजगारों में इस अध्यादेश के उपबन्धों को लागू करें।

आपातकालीन घोषणा के पश्चात् से हड़तालों और तालाबदिन्यों की घटनाएं

300. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंतरिक आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् दिसम्बर, 1975 तक कितनी हड़तालें हुईं और हड़तालों की संख्या और जन-दिवसों की हानि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) नियोजकों ने कितनी बार तालाबन्दी की घोषणा की तथा जबरन बेकार रहे श्रमिकों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में इन हड़तालों और तालाबन्दियों के दौरान उत्पादन की कितनी हानि हुई ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

राउरकेला में एस० ई० सी० ओ० एन० परियोजना

301. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राउरकेला अथवा जमशेदपुर के समीप आदित्यपुर में मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लिमिटेड के अन्तर्गत 30 करोड़ रु० की लागत की एक परियोजना की स्थापना का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). सम्भवत: अभिप्राय स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा इस्पात कारखानों के लिए फालतू पुर्जों के निर्माण के लिए केन्द्रीय कर्मशाला स्थापित करने के प्रस्ताव से है। इस प्रायोजना के लिए मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स (इंडिया) लि० द्वारा एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस समय यह शक्यता प्रतिवेदन स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के विचाराधीन है। अभी तक इस बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

धर्म का विचार किए बिना अनिवार्य परिवार नियोजन

302. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कानून बनाना अब आवश्यक हो गया है; और

(ख) क्या परिवार नियोजन को देश में प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों के लिए अनिवार्य बनाया जायेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख). परिवार नियोजन एक स्वैच्छिक कार्यक्रम रहा है और इसे देश के सभी धर्मों के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। फिलहाल परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाने का कोई विचार नहीं है।

शिमला समझौते के प्रति पाकिस्तान के रवैये में परिवर्तन

303. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**
श्री के० लकप्पा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार अब भी शिमला समझौते का पालन कर रही है;

(ख) क्या पाकिस्तान ने अपना रवैया बदल दिया है जैसा कि श्री भुट्टो द्वारा हाल ही में श्रीलंका में दिये गये भाषण से प्रकट होता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिपिन पाल दास) : (क) और (ख). पाकिस्तान दूसरे देशों में तो यह प्रभाव डालने की कोशिश करता है कि वह शिमला समझौते के अनुरूप भारत के साथ सच्चे हृदय से संबंध सामान्य बनाना चाहता है परन्तु पाकिस्तानी नेताओं के वक्तव्य और उनका भारत विरोधी निरन्तर प्रचार उनके इस कथन के प्रतिकूल बैठता है।

(ग) हाल ही में पाकिस्तान को भेजे गये पत्रादि में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत-विरोधी नकारात्मक प्रचार से सामान्योकरण की प्रक्रिया को धक्का लगने की संभावना है; और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिसमें कि आगे बातचीत हो सके।

बेगम अख्तर की स्मृति में स्मारक डाक टिकट

304. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसिद्ध संगीतज्ञ दिवंगत बेगम अख्तर की स्मृति में स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए अनेक व्यक्तियों तथा संगठनों ने निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री डा० शंकर दयाल शर्मा : (क) जी हां।

(ख) यह प्रस्ताव तारीख 21-11-74 और फिर 16-12-75 को फिलाटली सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया था, परन्तु समिति ने इसकी सिफारिश नहीं की।

रत्नगिरि में एल्यूमिनियम कारखाना

305. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नगिरि में एल्युमिनियम कारखाने की स्थापना की दिशा में 1974-75 में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को त्यागने का या पूरा करने का है; और

(ग) यदि सरकार का विचार इसे पूरा करने का है तो तत्संबंधी समयावधि क्या है और इस परियोजना के कार्य की गति धीमी करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) अप्रैल, 1974 में सरकार ने रत्नगिरि (महाराष्ट्र) एल्युमिनियम परियोजना को मंजुरी दी थी, उस की उस समय अनुमानित लागत 78.825 करोड़ थी। परन्तु बजट सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण 1974-75 में केवल 1 करोड़ रुपये तथा 1975-76 में केवल 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। परियोजना के लिए पूरे वित्तीय साधनों का निर्धारण हो जाने के बाद परियोजना का व्यापक कार्यान्वयन और उस का वार्षिक प्रावस्था क्रम शुरू किया जाएगा।

इस्पात की छड़ों का जमा होना

306. **श्री सी० एच० मोहम्द कोया :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस्पात की छड़ों के जमा हो जाने तथा इस के फलस्वरूप इस्पात बेलन (रोलिंग) मिलों में हुई जबरी छुट्टी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) और (ख) उत्पादन में वृद्धि होने तथा वितरण व्यवस्था को दोषरहित बनाने के फलस्वरूप देश में इस्पात की छड़ों की उपलब्धि आवयकता से अधिक है। सेल इंटरनेशनल लि० ने छड़ों का निर्यात बढ़ाने के लिए भी उपाय किए हैं। इस्पात पुनर्वेलन मिलों में जबरी छुट्टी के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों में तकनीशियनों और कारीगरों को रोजगार

307. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि केरल राज्य में भारी संख्या में तकनीशियन और कारीगर बेरोजगार हैं;

(ख) क्या सऊदी गरब और खाड़ी के देशों में उन्हें रोजगार मिल सकता है; और

(ग) उन्हें रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी):(क) इस संबंध में यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध सूचना केरल राज्य के रोजगार कार्यालयों में "दस्तकार और उत्पादन प्रक्रिया श्रमिक" के रूप में दर्ज नौकरी चाहने वालों (जो सभी अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं हैं) के संबंध में है। 30 जून, 1975 को इन की संख्या 39,290 थी।

(ख) हाल के वर्षों में इन देशों में उन भारतीय नागरिकों के लिए कुछ अवसर प्राप्त हुए हैं जिन के पास अपेक्षित अनुभव और योग्यताएं हैं।

(ग) हमारी सरकार इन देशों के सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी उपक्रमों से प्राप्त सभी अनुरोधों पर शीघ्र यथोचित कार्यवाही करती है और भर्ती में उन्हें सभी आवश्यक तथा पर्याप्त सहायता प्रदान करती है और उस के साथ साथ भर्ती किए गए व्यक्तियां के हितों की रक्षा भी करती है।

उड़ीसा में फेरो-बेनेदियम संयंत्र

308. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **इस्पात और खान** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के मयूरगंज जिले में फेरो–वेनेडियम संयंत्र को चालू करने के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) उपर्युक्त संयंत्र में कुल कितनी पूंजी लगी है; और

(ग) आज तक क्या आरम्भिक कार्य पूरे किये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० के निदेशक मंडलने 10 नवम्बर 1975 को उड़ीसा राज्य के मयूरगंज जिले में फेरोबेनिडियम का एक संयंत्र लगाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। पूंजी निवश के बारे में निणंय के लिए अब यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) उपर्युक्त संयंत्र पर लगभग 16 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान हैं।

(ग) मैसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया गया है। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक दल ने भूवैज्ञानिक पूर्वेक्षण आंकड़ों की जांच की है जिससे यह पता चलता है कि उड़ीसा राज्य के मयुरगंज जिले तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में वनेडी-फैरस खनिज के खनन योग्य भंडार है।

देश में छोटे इस्पात संयंत्रों की संख्या

309. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि

(क) देश में राज्यवार कितने छोटे इस्पात संयंत्र स्थापित किये गये हैं; आज तक इन संयंत्रों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है; और इन संयंत्रों की राज्यवार अधिष्ठापित क्षमता कितना है;

(ख) आज तक राज्यवार कितने संयंत्र बन्द हो गये हैं;

(ग) संयंत्र बन्द होने से कुल कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(घ) संयंत्रंत्र बन्द होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बरोजगारी, छंटनी आदि की समस्या को हल करने के लिए एक सर्वोच्च निकाय की स्थापना

310. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरोजगारी, छंटनी, जबरल छुट्टी आदि की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने एक सर्वोच्च निकाय की स्थापना की है जिसमें कुछ चुने हुए केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों सरकार और नियोजकों के प्रतिनिधि ये हैं और जिसके चेयरमैन श्री बी० भगवती हैं।

(ख) यदि हां, तो उस निकाय के निदेश पद क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने दिसम्बर, 1970 में श्री भगवती की अध्यक्षता में बेरोजगारी संबंधी एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति ने 12 फरवरी, 1972 को अपना अन्तरिम प्रतिवेदन और 15 मई, 1973 को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था; और

(ङ) उन प्रतिवेदनों पर अब तक यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) भारत सरकार ने एक राट्रीय सर्वोच्च निकाय की स्थापना की है, जिसमें राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा के श्रमिक प्रतिनिधि तथा भारतीय नियोजक महासंघ, अखिल भारतीय निर्माता संगठन एवं अखिल भारतीय नियोजक संगठन के नियोजक प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। इस निकाय में भारतीय लघु उद्योग संघों के महासंघ का एक प्रतिनिधि भी शामिल है। श्री भगवती इस सर्वोच्च निकाय में राष्ट्रीय

मजदूर कांग्रेस के पांच प्रतिनिधियों में से एक हैं। इस के चेयरमैन का नामांकन सर्वोच्च निकाय के सदस्यों द्वारा श्रमिक और नियोजक संगठनों में से बारी बारी से किया जाता है ।

(ख) देश में औद्योगिक संबंधों का पुनरीक्षण करनेके लिए स्थापित राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय के विचारार्थ विषय सामंजस्य एवं शांति बढ़ाना है, जिस से वर्तमान आपात्कालीन स्थिति के दौरान उत्पादन और उत्पादकता को बढ़या जा सके। ऐसा करते समय निकाय काम बन्दी, छंटनी, जबरन छुट्टी आदि जैसे मामलों को भी हल करता है ।

जहां तक बरोजगारी के विशिष्ट प्रश्न का संबंध है, 5 नवम्बर, 1975 को केन्द्रीय रोजगार समिति की एक स्थायी समिति का गठन किया गया ताकि अन्य बातों के साथ साथ देश में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति तथा रोजगार-अवसरों को बढ़ाने के उपायों का पुनरीक्षण किया जा सके।

(ग) और (घ) जी हां ।

(ङ) विवरण संलग्न है : (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी–10040–76).

इस्पात बाजार में माल की अभूतपूर्व प्रचुरता

311. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री पी० एम० सईद :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल की अभूतपूर्व प्रचुरता का हाल में इस्पात बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रचुरता का स्वरूप और उस के कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) उत्पादन में वृद्धि होने, वितरण व्यवस्था को दोषरहित बनाने और दु पयोग के विरुद्ध की गई प्रतिरोधक कार्यवाई के फलस्वरूप बाजार में इस्पात सामग्री की उपलब्धि बहुत सुगम हो गई है ।

Increased Production in Public Sector Steel Plants

312. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether production has increased in the public sector steel plants after the proclamation of emergency in the country;

(b) if so, the increased registered in each of these steel plants ; and

(c) the reasons for the increase in production and the action proposed to be taken by Government to achieve further progress in this direction ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) Yes, Sir.

(b) The following table indicates the production of saleable steel at the public sector steel plants during periods, July-December, 1975 and January-June, 1975, and the increase in production :—

(in '000 tonnes)

Plant	Production of Saleable Steel		Increase in production
	July-Dec. 1975	January-June, 1975	
Bhilai .	969	836	133
Durgapur	365	278	87
Rourkela	559	407	152
Bokaro	104	4	99
TOTAL	1997	1525	471

(c) The increase in production is mainly due to improved availability of inputs including coal and power, a marked improvement in industrial relations, greater discipline among the workers and closer cooperation between labour and management.

A further improvement in production is expected in the remaining months of this financial year and the next year as a result of better utilization of existing capacity, closer participation of workers at the shop floor level and in production programmes and the commissioning of the remaining units of Bokaro Steel Plant.

Out-Break of Cholera in various Parts of the Country

313. **Shri Ramavatar Shastri:**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether some persons have died of cholera in Bihar, Uttar Pradesh and other parts of the country during the last few months;

(b) if so, the causes of the out-break of cholera;

(c) the State-wise number of persons who died of cholera; and

(d) the scheme formulated by Government to check the spread of this epidemic and the results achieved by way of its implementation ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): (a) & (c) Yes. A statement showing the number of deaths State-wise due to Cholera for the period January to 27th December, 1975 is enclosed.

(b) The major causes of the outbreak of Cholera are contamination of water by floods, bad sewarage disposal methods and lack of personal hygiene and sanitation.

(d) A National Programme for control of Cholera is being implemented. The Programme is executed by the State Governments with assistance from the Central Government. Under the Programme, isolation and treatment of patients, anti-cholera inoculation drives, disinfection of water resources, health education, etc. are carried out. As a result of the implementation of the Programme, the number of recorded Cholera cases has come down from over 40,000 in 1973 to about 21,000 in 1975. The number of recorded deaths due to the disease has also come down from 5306 in 1974 to 2194 during 1975.

Statement

Deaths due to Cholera from the period January, 1975 to 27-12-1975

State/U.T.	Deaths
Andhra Pradesh	928
Assam	3
Bihar	203
Gujarat	12
Haryana	—
Himachal Pradesh	—
Jammu & Kashmir	—
Karnataka	30
Kerala	6
Madhya Pradesh	395
Maharashtra	159
Manipur	—
Meghalaya	—
Nagaland	—
Orissa	116
Punjab	—
Rajasthan	2
Tamilnadu	66
Tripura	—
Uttar Pradesh	45
West Bengal	223
A & N Islands	—
Arunachal Pradesh	—
Chandigarh	—
Dadra & Nagar Haveli	—
Delhi	6
Goa, Daman & Diu	—
Lakshadweep	—
Mizoram	—
Pondicherry	—
	2194

कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शन के लिये लंबित आवेदन

314. श्री टुना उराँव :
श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री ए० के० किस्कु :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में टेलीफोन के लिये लाखों आवेदन लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1975 में विभिन्न श्रेणी में लम्बित आवेदनों की संख्या क्या है; और

(ग) क्या 43700 लाइनों के प्रस्तावित अतिरिक्त उपकरण इस वर्ष चालू हो गये हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख). अप्रैल, 1975 में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत बकाया अर्जियों की संख्या इस प्रकार है :–

ओ० वाई० टी० श्रेणी	13,833
विशेष श्रेणी	4,777
सामान्य श्रेणी	55,001
योग	73,611

(ग) वर्ष 1975–76 के दौरान 12,400 लाइनों का उपस्कर चालू करने का कार्यक्रम है। इस में से अभी तक 3,700 लाइनें चालू की जा चुकी हैं। आशा है कि मार्च, 1976 के अन्त तक बकाया 8700 लाइनें चालू हो जाएंगी ।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक/तार/टेलीफोन संचार के लिए विशेष कार्यक्रम

315. श्री टुना उराँव :
श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री ए० के० किस्कु :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक, तार और टेलीफोन संचार की अपेक्षाकृत अच्छी सुविधाएं देने की कोई विशेष व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर आज तक क्या कार्रवाई की गई है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :

(क) जी हां ।

(ख) डाक सेवाएं

(i) देहाती इलाकों में डाक सेवा के क्षेत्र में विस्तार करने और डाक सेवाओं में सुधार लाने की दृष्टि से डाकघर खोलने और उनका दर्जा बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नए डाकघर खोलने पर अगस्त, 1973 में जो पाबंदी लगाई गई थी, वह पिछड़े इलाकों में डाकघरों पर लागू नहीं की गयी हैं जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी और पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं। मौजूदा नीति के अनुसार शर्तों में जो ढील दी गई है उसके अनुसार बहुत ही पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलने के बारे में विचार किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में नए डाकघरों से 10% न्यूनतम आय और बहुत पिछड़े इलाकों से 15% आय की उम्मीद की जाती है जब कि सामान्य इलाकों में आय की यह सीमा 25% रखी गई है। बहुत पिछड़े इलाकों में नए डाकघर खोलने के लिए घाटा उठाने की स्वीकृत सीमा 1000/– रुपए है (या विशेष मामलों में 2500/– रुपए हैं)। जब कि सामान्य इलाकों में घाटे की रकम 500/– रुपए या 750/– रुपए निश्चित की गई है।

(ii) 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान (नवम्बर 1975 तक) कुल 993 डाकघर खोले गए या उनका दर्जा बढ़ाया गया था। इनमें से 735 डाकघर देहाती इलाकों में खोले उनका दर्जा बढ़ाया गया है।

दूर संचार सेवाएं :

किसी भी स्थान पर लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर और संयुक्त डाक तारघर सामान्य रूप से तभी खोला जाता है जबकि वह योजना लाभकर पाई जाए। घाटे की स्थिति में यदि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाला घाटा भरने के लिए तैयार हो तो टेलीफोन और तार की सुविधायें किराए और गारंटी के आधार पर दी जा सकती हैं। किन्तु ग्रामीण/अविकसित इलाकों में इन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से, विभाग ने एक नीति अपनाई है, जिसके अनुसार कुछ श्रेणी-गत स्थानों पर घाटा उठाकर भी ये सुविधायें दी जा सकती हैं। इस संबंध में उनके प्रशासनिक महत्व जनसंख्या और सामान्य दूरसंचार जाल से उनकी दूरी को आधार बनाया जाता है। एक सीमित संख्या में तीर्थ स्थानों, पर्यटन केन्द्रों, कृषि और सिंचाई परियोजना स्थलों और टाउनशिपों में भी घाटा उठाकर ये सुविधायें देने के बारे में विचार किया जाता है। इन सभी मामलों में, सामान्य इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का कम से कम 25% पिछड़े इलाकों में 15% और पहाड़ी इलाकों में 10% अनुमानित राजस्व होना चाहिए।

मौजूदा नीति के अनुसार पांचवीं योजना अवधि के दौरान अर्थात् 1–4–74 से 31–3–79 तक अधिक से अधिक कुल 80 लाख पए का घाटा उठाकर सार्वजनिक टेलीफोन घर और संयुक्त डाक तारघर खोले जा सकते हैं। इस नीति के मुताबिक 31–12–75 तक कुल 652 सार्वजनकि टेलीफोन घरों और 61 तार घरों की मंजूरी दे दी गई है।

नेपाल को वित्तीय सहायता

316. **श्री वीरभद्र सिंह** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में अब तक नेपाल को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) उक्त सहायता से नेपाल में किस विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) ऐसी सहायता प्राप्त करने के बारे में नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिपिनपाल दास) : (क) पिछले तीन वर्षों में नेपाल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता नीचे लिखे अनुसार है :—

1972–73—7.20 करोड़ रु०

1973–74—8.30 करोड़ रु०

1974–75—9.35 करोड़ रु०

(ख) भारतीय सहायता का उपयोग नेपाल के आधारित-संरचना के निर्माण में किया गया है। सहायता का अधिकांश भाग सड़कों तथा सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं के विकास पर खर्च हुआ है। पिछले तीन वर्षों में, निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी हुई हैं और नेपाल की सरकार को सौंप दी गई हैं :—

1. पूर्व-पश्चिम राजमार्ग परियोजना (पूर्वी क्षेत्र)।
2. काठमाण्डू-गोदावरी सड़क सुधार।
3. जनकपुर और झापा के टेलीफोन केन्द्र।
4. त्रिभुवन विश्वविद्यालय—बाठनी ब्लाक, रिसर्च स्कालर क्वार्टर।
5. काठमाण्डू स्थित परोपकार मैटर्निटी भवन का विस्तार।
6. उद्यान-विज्ञान-कीर्तिपुर में कॉतघर, पुर्फा और जुमला में दमक उद्यान-विज्ञान भवन, जुमला में पशु-चिकित्सालय, घुनिबेस फार्म तथा परपथांग में जल-संभरण।
7. गुलामी, इलाम और तेराथान में अस्पताल।
8. पाटन में हस्तकला अभिकल्पना केन्द्र।

निम्नलिखित प्रयोजनाओं पर काम चल रहा है :—

1. नेपालगंज और धारन में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना।
2. पूर्व-पश्चिम राजमार्गों (बुटवल-नेपालगंज क्षेत्र) के केन्द्रीय क्षेत्र।
3. त्रिशुली हाइडल परियोजना के डिसिल्टिंग बेसिन का निर्माण।
4. गोइत्र कण्ट्रोल के लिए आयोडाइज्ड नमक की आपूर्ति।
5. कमला नदी पर पुल का निर्माण।
6. चतरा नहर।
7. त्रिशुली हाइडल परियोजना का अनुरक्षण।
8. कोसी क्षेत्र की सड़कें।
9. काठमाण्डू-त्रिशुली सड़क की ब्लाक टार्पिंग तथा सुधार।
10. बिराटनगर में टेलीफोन केन्द्रों का निर्माण।

उपर्युक्त परियोजनाओं में से निम्न परियोजनाएं चालू वित्त-वर्ष यानी 1975–76 में पूरी हुई और नेपाल की सरकार को सौंप दी गई हैं :—

1. त्रिशुली हाइडल परियोजना तथा उसका डिसिल्टिंग बेसिन ।
2. चतरा नहर ।

(ख) नेपाल की सरकार अपने विकास के कार्यक्रमों में भारतीय सहायता की सराहना करती रही है जो कि दोनों देशों के मैत्री तथा सहयोग के सम्बन्धों को परिलक्षित करती है ।

तटवर्ती नौवहन में कमी

317. **श्री धामनकर** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तटवर्ती नौवहन द्वारा माल की ढुलाई तथा यात्रियों के लाने-ले जाने में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में तटवर्ती नौवहन के विकास के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख) तट पर सूखे माल में मुख्यत: कोयले और नमक की ढुलाई होती है । 1970 के बाद ढुलाई किए गए कोयले और नमक की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(लाख टनों में)

	कोयला	नमक
1970	2.51	3.03
1971	5.08	5.18
1972	5.28	5.31
1973	6.52	4.98
1974 . .	4.92	2.52
1975 (जनवरी से नवम्बर)	6.03	1.79

अलाभ कर तटीय भाड़ा दरों और ढुलाई के लिए माल को विशेषकर कोयले को निश्चित मात्रा के मिलने के आश्वासन के अभाव का ढोए गए माल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । तट पर यात्री यातायात मुख्यत: कोकंण तट पर ही होता है । यहां, 1969–70 के मौसम में ढोये गए 3.44 लाख यात्रियों की संख्या में कमी होकर 1974–75 के मौसम में 1.88 लाख यात्रियों की ही संख्या रह गयी है । इस का मुख्य कारण नियमित और तीव्रगति की प्रतियोगितात्मक भाड़े की सड़क परिवहन सेवाओं की उपलब्धता है ।

(ग) 1-12-1975 की स्थिति के अनुसार तट पर चलने वाले 3.56 लाख जी० आर० टी० के 69 जहाज हैं। 15 जुलाई, 1975 से तटीय भाड़ा दरों में संशोधन करने के अतिरिक्त, सरकार ने तटीय जहाजों की पर्याप्तता और नियमितता में सुधार करने के लिए उपाय किए हैं। 1978-79 तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना का 6 लाख जी० आर० टी० का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी जारी है।

इस्पात का उत्पादन

318. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही के महीनों में इस्पात के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, जमशेदपुर (टिस्को) तथा बर्नपुर (इस्को) के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का जुलाई-दिसम्बर 1975 का विक्रेय इस्पात का कुल उत्पादन 29.90 लाख टन था। यह पिछले 6 मास अर्थात् जनवरी-जून 1975 के उत्पादन से 4,86,000 टन अर्थात् 19.4 प्रतिशत अधिक था।

Continued Expansion of U.S. Base at Diego Garcia

319. **Dr. Laxminarain Pandey:**

Shri Samar Mukherjee:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether many big powers are opposed to the idea of maintaining the Indian Ocean as a peace-zone;

(b) whether U.S.A. continues to expand its base at Diego Garcia; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Bipinpal Das): (a) & (b) Yes, Sir.

(c) Government of India have consistently opposed the establishment and the expansion of the Diego Garcia base. Their views on the subject have been publicly stated and have been communicated to all concerned.

दुकानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और सुधरी सेवा शर्तें

321. **श्री वसंत साठे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में दुकानों तथा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तथा अन्य कल्याण सुविधायें नहीं दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे राज्यों में जहां पर न्यूनतम वेतन नियत नहीं किए गए हैं, न्यूनतम वेतन नियत करने का विचार है ; और

(ग) दुकानों तथा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए सुधरे वेतन तथा सेवा शर्तें सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा - 27 के अधीन राज्य सरकारों को दुकानों और प्रतिष्ठानों में रोजगार और कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरियां निर्धारित/संशोधित करने को अनुसूची में सम्मिलित करने की शक्तियां हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार यह निम्नलिखित राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में किया गया है :—

आन्ध्र प्रदेश

गुजरात

हरियाणा

केरल

मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

पंजाब

उत्तर प्रदेश

दिल्ली

(ग) दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने तथा काम करने की शर्तों को नियमित करने के लिए बनाये गए कानून लगभग सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में लागू हैं और यह उनके लिए विचारणीय होगा कि क्या कानूनी उपबन्धों में किसी दिशा में सुधार करने की आवश्यकता है ।

परिवार नियोजन ढांचे को नया रूप देना

322. **श्री वसंत साठे**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश में परिवार नियोजन के ढांचे को नया रूप देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के दौरान स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सेवाओं को परस्पर मिलाने का दृष्टिकोण है । बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने की एक योजना पहले ही बना ली गई है और इसे कार्यान्वित करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है । पहले 10,000 जनसंख्या के पीछे एक बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्त्री को लगाने का विचार था । इस योजना के अंतर्गत उसके स्थान पर अब धीरे-धीरे आठ-आठ हजार जनसंख्या के पीछे एक-एक कार्यकर्त्री को लगाया जाएगा । वर्तमान एक-उद्देशीय कार्यकर्ताओं को विषय-परिचायक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे बहु-उद्देशीय कार्यकर्ताओं के कार्य को सम्भाल सकें । आशा है कि कार्य-नीति में इस परिवर्तन से स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों में लगाए गए स्टाफ का बेहतर उपयोग हो सकेगा और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

बोनस संदाय नियम, 1975 और श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड (संशोधन) नियम, 1975

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बोनस संदाय नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2367 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** एल० टी० संख्या 10010/76]

(2) श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 20 की उपधारा (3) के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2428 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** एल० टी० संख्या 10011/76]

पारादीप पत्तन, कांडला पत्तन और विशाखापटनम पत्तन न्यास के वर्ष 1973–74 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन, नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, और वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन अधिसूचना ।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०च० एम० त्रिवेदी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) पारादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1973–74 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** एल० टी० संख्या 10012/76]

(दो) कांडला पत्तन न्यास के वर्ष 1973–74 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** एल० टी० संख्या 10013/7

(तीन) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1973–74 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** एल० टी० संख्या 10014/76]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** एल० टी० संख्या 10015/76]

(3) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2284–85 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** एल० टी० संख्या 10016/76]

(4) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मास्टरों तथा मेटों की परीक्षा (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2421 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) वाणिज्यिक पोत परिवहन (व्यापार पोत में इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 27 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2447 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) वाणिज्यिक पोत परिवहन (समुद्री सेवा में शिक्षुता) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 25 अक्तबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2585 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) नौवहन विकास निधि (ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता) नियम, 1975 जो दिनांक 25 अक्तूबर 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 539 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) नौवहन विकास निधि (ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता) संशोधन नियम, 1975 जो दिनांक 19 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 561 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । **देखिए** एल० टी० संख्या 10017/76]

आखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 और 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन, खाद्य अपमिश्रण (दूसरा संशोधन) नियम, 1975 भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन (तीसरा संशोधन) नियम और गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम के अधीन अधिसूचनाए ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रहता हूं :—

(1) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० संख्या 10018/76]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान टेलेक्सड लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974–75 के वर्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** एल० टी० संख्या 10019/76]

(3) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण दूसरा (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 508 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** एल० टी० संख्या 10020/76]

(4) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (निर्वाचन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 सितम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2350 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** एल टी० संख्या 10021/76]

(5) औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री-अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषध तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री (तीसरा) संशोधन नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2655 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** एल० टी० संख्या 10022/76]

(6) गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति नियम, 1975 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2543 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति नियम, 1975 जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2544 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये एल० टी० संख्या 10023/76]

सिक्किम के सम्बन्ध में तारयंत्र तार विधिविरुद्ध कब्जा निवारण तथा तारयंत्र तार (विक्रय और क्रय की अनुमति) नियम, 1974 तथा भारतीय तार (संशोधन) नियम, 1975

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या सां० आ० 416 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 4 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा तारयन्त्र तार विधिविरुद्ध कब्जा निवारण तथा तारयंत्र तार (विक्रय और क्रय की अनुमति) नियम, 1954 सिक्किम राज्य पर लागू किये गये हैं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 10024/76]

(2) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय बेतार तार (संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 23 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2286 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 28 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 468 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये एल० टी० संख्या 10025/76]

एल्युमीनियम (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1975, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के संशोधन के बारे में अधिसूचना और भारत गोल्ड माइंस लिमिटड के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवदन

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत एल्युमीनियम (नियन्त्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 25 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 446 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 10026/76]

(2) खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 584 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए एल० टी० संख्या 10027/76]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 10028/76]

कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन स्कीम के वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन, दिनाँक 2–11–74 की अधिसूचना संख्या सा० साँ० नि० 1184 का शुद्धिपत्र, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन अधिनियम और कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन स्कीम के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 10029/76]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2529 की एक प्रति जो दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 2 नवम्बर, 1974 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1184 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 10030/76]

(3) समान पारिश्रमिक अध्यादेश, 1975 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समान पारिश्रमिक नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति

जो दिनांक 18 अक्तूबर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 530 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 10031/76]

(4) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 2 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 984 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 30 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2321 में प्रकाशित हुई थी :—

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये एल० टी० संख्या 10032/76]

(5) कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन तथा बोनस स्कीम, अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान कुटुम्ब पेंशन (शोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 1 नवम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2631 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) कोयला खान भविष्य निधि (दूसरा संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2772 में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 2773 में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम 1975 जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2774 में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) नेवेली कोयला खान भविष्य निधि (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1975 जो दिनांक 6 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 2775 में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये एल० टी० संख्या 10033/76]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

82वां प्रतिवेदन

श्री आर० के० तिन्हा (फैजाबाद) : मैं सीमेंट की उपलब्धता तथा वितरण के बारे में प्राक्कलन समिति के 60वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में भूतपूर्व औद्योगिक विकास मन्त्रालय के सम्बन्ध में समिति का 82वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

74वाँ प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं भारतीय राजकीय फार्म निगम लिमिटेड के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 54वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 74वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

42वाँ और 43वाँ प्रतिवेदन

श्री धरणीधर बसुमतारी (कोकराझार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्रालय (शिक्षा विभाग)—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण, और उनका नियोजन तथा विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये उपलब्ध प्रवेश सम्बन्धी और अन्य सुविधाएं—सम्बन्धी 42वां प्रतिवेदन ।

(दो) गृह मन्त्रालय—परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद—सम्बन्धी 43वां प्रतिवेदन ।

रेल अभिसमय समिति

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

9वाँ प्रतिवेदन

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालापुरम) : मैं भारतीय रेलों के सामाजिक दायित्व के बारे में रेल अभिसमय समिति का 9वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

समितियों के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEES

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं डा० जी० एस० ढिल्लों की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के पुनर्गठन की तारीख से बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करते हैं ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) (क) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के पुनर्गठन की तारीख से बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करते हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4(झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी के निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में से एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 5 जनवरी, 1976 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं ।' "

श्री के० लकप्पा अपना भाषण जारी रखें ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : कल मैं आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बारे में बोल रहा था। विपक्ष ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा को असंवैधानिक कहा है। आपातकालीन स्थिति संविधान की धारा 352 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग द्वारा घोषित की गयी है। इस धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति घोषित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। विरोधी दल शुरू से ही सरकार की समाजवादी नीतियों का विरोध करते आ रहे हैं।

प्रधान मन्त्री द्वारा देश की समृद्धि के लिये आपातकालीन स्थिति की घोषणा करना तथा संविधान में संशोधन करने की बात सोचना उचित ही है। भारत के इतिहास में यह पहला अवसर है कि जब देश को आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाया जा रहा है।

20 सूत्री कार्यक्रम भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। देश के अन्दर कुछ विघटनकारी ताकतें आज़ादी के नाम पर प्रजातन्त्र को नष्ट करने का षड्यन्त्र कर रही हैं। आज़ादी के नाम पर वे संसद् तथा विधान सभाओं में आते हैं। प्रधान मन्त्री ने आपात स्थिति की घोषणा करके प्रजातन्त्र को सही दिशा प्रदान की है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद समाज के हर वर्ग में अनुशासन की भावना आयी है। आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बावजूद भी प्रतिक्रियावादियों ने अनेक संस्थाओं तथा सरकारी मशीनरी में घुसपैठ कर ली है। फासिस्ट संस्थाएं तथा उनके एजेण्ट अब भी सक्रिय हैं। नौकरशाही को निर्वाचित संविधिक समितियों द्वारा नियन्त्रित किया जाना चाहिये। यदि वर्तमान नौकरशाही देश के हित में काम नहीं करती तो इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये। इसी कारण हमने संविधान की धारा 311 का संशोधन करने का सुझाव दिया है।

क्षेत्रीय संस्था के नाम पर शिव सेना स्थिति से लाभ उठा रही है। महाराष्ट्र में शिव सेना ने आतंक का वातावरण फैला दिया है। इस प्रकार की फासिस्ट ताकतें अब भी अपना सिर उठा रही हैं। अतः इन क्षेत्रीय फासिस्ट संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिये। 20 सूत्री कार्यक्रम में रुकावटें डालने वाली संस्थाओं के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में आपातकालीन स्थिति तथा 20 सूत्री कार्यक्रम पर प्रकाश डाला है। 20 सूत्री कार्यक्रम को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने से ग्रामीणों को बहुत लाभ पहुंचेगा। आज तक बड़े बड़े ज़मींदार गरीब लोगों का शोषण करते आये हैं। वे इन लोगों से 50 प्रतिशत दर पर भी ब्याज लेने में संकोच नहीं करते।

यदि सरकार 20 सूत्री कार्यक्रम को उचित ढंग से कार्यान्वित करती है तो मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। जमाखोरों तथा तस्करों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का मैं समर्थन करता हूं। 1500 करोड़ रुपये के काले धन का पता लगाने के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। सरकार को काले धन की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिये उचित कार्यवाही करनी चाहिये। सिंचाई तथा बिजली के कार्यक्रमों में हमें ढील नहीं आने देनी चाहिये। देश में बहुत से क्षेत्र सूखे तथा अकाल से ग्रस्त हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी अकाल तथा सूखे से ग्रस्त है। गोदावरी जल विवाद को सन्तोषजनक ढंग से हल करने के लिये सरकार बधाई की पात्र है।

वसूली नीति के दोषपूर्ण होने के फलस्वरूप किसानों को काफी नुकसान सहना पड़ रहा है। अनेक किसानों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपनी पैदावार को निश्चित वसूली मूल्य से भी कम दर पर बेचने के लिये बाध्य होना पड़ता है।

[श्री पी० के० देव]

आपातकालीन स्थिति ने निस्सन्देह देश में अनुशासन की भावना पैदा की है । लेकिन इसका उपयोग विरोधी दलों तथा विरोधी विचारधाराओं का दमन करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये । विरोधी दलों के सदस्यों को अकारण जेल में डालना उचित नहीं है । उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिये ।

श्री जय प्रकाश नारायण को जेल से बहुत ही नाजुक हालत में रिहा किया गया है । अब वे कृत्रिम गुर्दे से जिन्दा हैं । अन्य बन्दियों की हालत भी ऐसी ही नाजुक है ।

मैं अपने दल की ओर से अपने देश के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की निन्दा करता हूं । अफ्रीकी देश अंगोला के लोगों को स्वयं अपनी आकांक्षाओं के अनुसार अपने भविष्य का निर्णय करने दिया जाना चाहिये । वहां किसी प्रकार का विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । हमें कृषि विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये । कृषि विकास के लिये सस्ते ऋण, तकनीकी सहायता, किसान को अपनी पैदावार के लिये लाभप्रद मूल्य आदि की व्यवस्था करना जरूरी है । भूमि की हदबन्दी शीघ्र लागू की जानी चाहिये । हमें जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगानी चाहिये । शिक्षा प्रणाली में सुधार करने की ओर भी हमें ध्यान देना चाहिये ।

स्थानीय उद्यमियों को सभी प्रकार के साधन प्रदान किये जाने चाहियें । राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि न होने से 20 सूत्री कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं ।

मैं सरकार से संविधान में संशोधन करने के सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं । मैं यह आश्वासन भी चाहता हूं कि न्यायालयों को संविधान की धारा 32 अथवा धारा 226 के अन्तर्गत सुनवाई करने तथा संविधान की व्याख्या करने के अपने अधिकारों से वंचित नहीं किया जायेगा । ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि संविधान में बुनियादी परिवर्तन किये जा रहे हैं । हमें पूर्ण आश्वासन चाहिए कि अब तक जो स्वतन्त्र रही है, उसकी और संविधान के अन्तर्गत दिये गये विभिन्न व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करेगी । साथ ही संविधान में देश के प्रति हमारे कर्तव्यों की परिभाषा होनी चाहिए । हम अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं किन्तु कर्तव्य भुल जाते हैं ।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : In his Address the President has given a review of the National and International Situation during the last year and has expressed concern about the atmosphere of violence that prevailed in the country'. The burning of buses on the streets, frequent hunger strikes and Satyagrahas and the Call given to the army and police to revolt gave a clear indication of the evil intentions of those behind the agitation. If their evil desjgns have been frustrated it was only due to the timely action taken by our Prime Minister.

A Member from Gujarat stated yesterday that in that State there was no violence and that the people there were pea e-loving. Do the Members not remember what happened in that state when the Prime Minister had gone there to address election meetings ?

The behaviour of some of the leaders of the opposition has been really deplorable. They refused to Cooperate with the Prime Minister when the latter invited them to suggest as to what should be done to put an end to corruption. They wanted to overthrow the present Government and to achieve their objective, they were prepared to go to any extent.

So far as the activities of the Anand Margis are concerned, I would like to know from the Prime Minister whether she has received any information through the Home Ministry that these people have been hatching a plot to kill the top leaders of the Country ?

Those who input motives to the Prime Minister in regard to the proclamation of emergency are wrong. The Prime Minister only wants to maintain peace and order and defend democracy. She wants to take the country to the path of development and reconstruction through the implementation of the 20 point economic programme. She wants to restore peace, law and order and unity in the Country. Keeping in view the external dangers, whatever the Prime Minister has done is laudable. After emergency we have been able to unearth an amount of 1500 crores of rupees of black money. She is taking concrete steps to save democracy in the country. The public is thankful to her for showing such foresight.

The people have welcomed emergency as it has shown wonderful results. We have achieved some positive gains after the imposition of emergency.

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) : यूं तो आपात स्थिति पहले ही चल रही थी किन्तु 26 जून को आन्तरिक आपात स्थिति की उद्घोषणा भी कर दी गई और तब से सर्वत्र आपात स्थिति के औचित्य पर चर्चा हो रही है। सत्तारूढ़ दल ने निर्णय किया है कि आपात स्थिति जारी रहेगी। हमने पहले भी आपात स्थिति का विरोध किया है।

आपात स्थिति की घोषणा से सत्तारूढ़ दल को असीम शक्तियां मिल गई हैं। हम 1962 से 1969 तक आपात स्थिति के अधीन रहे हैं और केवल $1\frac{1}{2}$ वर्ष आपात स्थिति समाप्त की गई थी किन्तु पुनः आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई। अब सरकार के पास विरोधी पक्ष को समाप्त करने के लिए हर प्रकार की शक्ति है। चण्डीगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन में यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आपात स्थिति जारी रहेगी और चुनाव स्थगित कर दिए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 183 के अन्तर्गत लोक सभा के चुनाव एक वर्ष तक के लिए स्थगित किए जा सकते हैं।

सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का अत्यधिक उल्लेख किया गया है। आपात स्थिति की उद्घोषणा के पश्चात् जब जुलाई में लोक सभा की बैठक हुई तो विरोधी पक्ष के उन सदस्यों तथा नेताओं को छोड़कर, जो जेल में थे, सबने कहा था कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इनमें से कई बातों का निर्णय तो सरकार बहुत पहले ही कर चुकी थी।

देश ने देख लिया कि इन छः महीनों में क्या हुआ है, और 20 सूत्री कार्यक्रम किस तरह कार्यान्वित किया जा रहा है। अनेक सदस्यों ने कहा है कि कार्यक्रम जानबूझकर लागू नहीं किए जा रहे हैं। अधिकारी वर्ग और निहित स्वार्थ वाले लोग रोड़े अटका रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मध्याह्न भोजन के पश्चात अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

मुझे सभा को बताना है कि वाद-विवाद आज सारे दिन जारी रहेगा और मैं माननीय प्रधान मन्त्री को कल प्रश्न काल के पश्चात बुलाऊंगा।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha adjourned for lunch till 14.00 of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बज कर 3 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव--जारी

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री त्रिदिव चौधरी : मैं यह कह रहा था कि जहां तक आपके 20 सूत्री कार्यक्रम का सम्बन्ध है उसके कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बद्ध मुद्दों का विरोध केवल निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा ही किया जा रहा है। शासन तन्त्र के कुछ अधिकारी भी इस कार्यक्रम को क्रियान्विति में पूरी रुचि नहीं ले रहे हैं। मैं यहां यह स्पष्ट कर दूं कि यदि सरकार ने इस कार्यक्रम को भली भांति क्रियान्वित न किया, इस बारे में मात्र थोथे प्रचार से कुछ होने वाला नहीं है। इस कार्यक्रम में और भी नई मदें जोड़ने की आवश्यकता है। न तो आप सभी भूमिहीनों को जमीनें दे सकते हैं और न ही केवल ऐसा करने मात्र से समस्या का समाधान हो सकता है। गरीब जनता को बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन कर जाने का खतरा है। जिससे समस्त सामाजिक ढांचा संकट में पड़ सकता है। अतएव सामाजिक सहकारिता के आधार पर भूमि प्रणाली के सम्बन्ध में और अधिक सुधारवादी कदम उठाना जरूरी है।

20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के सिलसिले में मंत्रियों ने इस बात का श्रेय लेने का प्रयत्न भी किया है कि अब औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे हैं। जब आपने प्रदर्शन, हड़तालें तथा अन्य इसी प्रकार के रोष प्रकट करने वाले सभी मार्ग बन्द कर रखे हैं तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि रोष है ही नहीं। बोनस अध्यादेश के बारे में केन्द्रीय मजदूर संघ कलकत्ता में राज्यपाल के पास अपना प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहता था तो उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। सरकार को इस अध्यादेशी युग में तालाबन्दी तथा जबरन छुट्टी के बारे में अध्यादेश लाकर समाज के कमजोर वर्ग को कुछ राहत दिलानी चाहिये।

समाचारपत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुये हैं कि कांग्रेस दल की कुछ समितियों ने बजट और विधान आदि पर विचार करने के लिए कुछ समितियां बनाने का सुझाव दिया है। यह भी कहा गया है कि सदन में बजट आदि पर केवल सामान्य चर्चा ही होगी तथा मुख्य रूप से समितियों में ही चर्चा हुआ करेगी। सरकार को इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि वह संसद् के अधिकारों को कम करने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठायेगी।

अन्त में मैं सरकार को पुनः याद दिला दूं कि इस समय सभी प्रकार के अपेक्षित अधिकार उसके हाथ में हैं, वे 25 जून से पहले भी उसी के हाथ में थे और यदि अब भी सरकार ने लोगों की आवश्यक समस्याओं को न सुलझाया तो इसका दोष केवल सरकार को ही दिया जायेगा। श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने पत्र में श्रीमती गांधी को यही लिखा है कि यदि आप वास्तव में आम जनता की भलाई के लिए कृत संकल्प हैं तो सभी विरोधी दल आप को सहयोग देने को तैयार हैं, इस कार्य के लिए आपको लोकतन्त्र समाप्त नहीं करना चाहिये। अब समय आ गया है जबकि सरकार तथा विरोधी दलों के बीच बातचीत के लिए मार्ग प्रशस्त हो।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी): मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं क्योंकि उसमें जनसाधारण की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आश्वासन विद्यमान है। देश की आम जनता इस बात पर प्रसन्न है कि मुद्रा स्फीति काबू में आ गई है। अब आवश्यक वस्तुओं का अभाव नहीं रहा और न ही उनके

मूल्यों में वृद्धि हो रही है। तथ्य तो यह है कि अब मूल्यों में गिरावट आ रही है। यदि कुछ वर्गों द्वारा मंत्री तथा उत्पादकों को हानि का झूठा प्रचार न किया जाता तो सम्भवत: मूल्यों में और अधिक कमी आ जाती। उदाहरणार्थ आज देश में टायर आसानी से मिल रहे हैं। यदि उनपर एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर लगी रोक को हटा दिया जाये तो इनका रहा-सहा अभाव भी समाप्त किया जा सकता है। आज देश में कपड़ा और चीनी उद्योगों में यह झूठा भय फैलाया जा रहा है कि उनमें मन्दी आ रही है तथा उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार को उत्पादकों को केवल इस तर्क पर संरक्षण नहीं देना चाहिये कि उनमें मन्दी आ रही है या उनके उत्पाद की मांग कम हो रही है।

श्री पी० एम० मेहता : सरकार ने कपड़ा उद्योग को पहले ही कुछ रियायतें दे दी है।

श्री पी० आर० शिनाय : यदि उन्हें रियायतें दी गई है तो उसका कुछ कारण होगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में निर्धन तथा भूमिहीन लोगों को मकानों के प्लाट आवंटित करने के कार्य की प्रगति का उल्लेख भी किया गया है। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में यहां निवेदन करना चाहता हूं कि केवल प्लाटों के आवंटन से कुछ नहीं होगा। सरकार को रिहायशी मकान बनवाने के लिये कोई व्यापक योजना बनानी चाहिये जिसके अनुसार राज्य सरकारें यदि चाहें तो जीवन बीमा निगम आदि से ऋण लेकर मकान बनवा सकें।

आज देश में हजारों इंजीनियर, तकनीशियन तथा स्नातक स्वनियोजन के प्रयत्न में इस आशा से लगे हुए हैं तो यह उनके और देश के दोनों के हित में होगा। परन्तु खेद की बात है कि ऋण प्रतिबन्धों, ब्याज की ऊंची दरों तथा इसी प्रकार की अन्य प्रारम्भिक बाधाओं के कारण उन्हें अनेक वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार को युवा उद्यमियों की समस्याओं पर गौर करने के लिए एक अलग विभाग बनाना चाहिये।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उल्लेख भी किया गया है। कर्नाटक तथा अन्य अनेक राज्यों में इस कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए जिला स्तर की कोई शक्तिशाली समिति नहीं बनाई गई है। इतना ही नहीं, उनके लिए ताल्लुक स्तर की भी कोई समिति नहीं है। जब तक 20 सूत्रीय कार्य कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए शक्तिशाली तन्त्र का गठन नहीं किया जाता तब तक नौकरशाही उसे पूर्णरूप से सफल नहीं होने देगी।

भारत ईरान के वर्तमान सम्बन्ध अच्छे हैं। इन्हें दृष्टिगत रखते हुए हमें ईरान को लौह अयस्क का निर्यात करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

संवैधानिक सुधारों की चर्चा भी की गई है। हमारा संविधान लचीला तथा आवश्यकता के अनुसार इसमें अपेक्षित परिवर्तन किये जा सकते हैं। अत: इसके आमूल परिवर्तन की अभी मुझे कोई आवश्यकता नजर नहीं आती यदि हम चाहें तो अपनी वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में अपेक्षित परिवर्तन कर सकते हैं।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : सरकार की ओर से अनेक बार गुजरात राज्य की कानून व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि वहां तरह–तरह की हिंसात्मक घटनायें हुईं परन्तु इसके बावजूद भी कांग्रेस को पंचायत के चुनावों में 80 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए। यह आरोप निश्चय ही आश्चर्यजनक है। इतना ही नहीं यह भी कहा गया है कि यदि वहां चुनाव निष्पक्ष ढंग के होते तो कांग्रेस को और भी अधिक स्थान मिल सकते थे। इन आरोपों का खंडन गुजरात के मुख्यमंत्री ने सशक्त शब्दों में किया है। उन्होंने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा है कि इनकी जांच के लिए संसद सदस्यों का दल गुजरात भेजा जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने देश के पत्रकारों को भी वहां आकर स्थिति का स्वयं जायजा लेने को कहा

है। यदि सरकार के आरोप में दम है तो वह इस चुनौति को स्वीकार क्यों नहीं करती? परन्तु वास्तविकता यह है कि यह सब झूठ है।

मुझे पता चला है कि मार्च में होने वाले चुनावों को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है या नहीं, इस बात का मुझे पता नहीं। यदि उन्हें 80 प्रतिशत सीटें जीतने के बारे में पूरा विश्वास है तो उनके अनुसार गुजरात में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव में वे काफी सीटें जीत सकते थे। चुनाव न कराने के क्या कारण हैं? ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि वे विरोधी दलों के उम्मीदवारों को निराश नहीं करना चाहते यदि वे हार जाते हैं। आज सदन में उनका दो तिहाई बहुमत है। चुनाव में अनिश्चितता होती ही है। कुछ भी हो सकता है। पासा पलट भी सकता है! यदि चुनाव करायें जाते हैं और यह दावा किया जाता है कि ये चुनाव स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष होंगे तो आपात-स्थिति समाप्त करनी पड़ेगी। आपात-स्थिति लगे अधीन प्रतिबन्ध हटाने पड़ेंगे। जेलों में बन्द व्यक्तियों को रिहा करना पड़ेगा। प्रेस को समाचार देने तथा टिप्पणी करने की स्वतन्त्रता देनी होगी। ऐसा करने से कुछ खतरा हो सकता है।

20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इसकी क्रियान्विति कैसे हो और यह क्रियान्विति कैसे प्रभावकारी होगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण विकास और इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश में बहुत गरीबी है और इसे रातों–रात दूर नहीं किया जा सकता और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम चालू किये जा रहे हैं। 28 वर्षों में पहली बार कृषि को गणना की गई है और इससे यह पता चला है कि देश में 7 करोड़ कृषि जोते हैं और इनमें से 50 प्रतिशत जोतें हेक्टेयर से कम हे। 25 वर्ष पूर्व ऐसी जोतें की संख्या बहुत कम थी। इसका अर्थ रह हुआ कि जोतों की संख्या बढ़ ही है। जोतों की अधिक संख्या आर्थिक दृष्टि से कम लाभदायक होती जा रही हैं। जोतें कतिपय सीमा से नीचे नहीं जानी चाहिये क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि कृषि जोत पर सीमा होनी चाहिये।

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun) : In the very beginning of his Address the President has explained the developments prevailing in the country before emergency. Demonstrations, burning of buses, strikes, etc. were the order of the day. Emergency was imposed to deal with those opposition parties and forces which were bent upon making the functioning of the Government impossible. Everyone has now seen it for himself as to how the climate in the country has taken a new turn bringing about discipline and order in every walk of life after the imposition of emergency. The Government and the Prime Minister deserved all praise for he prompt action taken against the disruptive forces.

As a result of the implementation of the 20-point programme a declining trend has been seen in prices, but caution has to be exercised to see that there is no abnormal fall. 80 per-cent of country's population lives in villages and their main occupation is agriculture. The farmer should be ensured an adequate price for his produce.

Sugarcane prices are fixed in the month of November every year. In January the Punjab Government has fixed the price at Rs. 14·35P per quintal whereas it has been fixed at Rs. 11-25P in the Meerut Commissionary of Uttar Pradesh. It has also been stated that its price will be that as fixed by the Central Government. Arrears worth Rs. 20 crore in respect of sugarcane pertaining to last year are outstanding. Steps should be taken to ensure payment of arrears due to sugarcane growers. We cannot strengthen our economy by ignoring the farmer community.

There are some positive gains from the emergency but most of them are confined only to urban areas. The benefits of emergency should reach the rural areas also where the law and order situation is still not very satisfactory.

So far as our foreign policy is concerned, India has more friends today than ever. This goes to the credit of the present government.

With these words I support the Motion on the Address.

श्रीमति पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मुझे इस बात से निराशा हुई है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातस्थिति के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के शीघ्र क्रियान्वयन के बजाय आत्म-सन्तोष व्यक्त किया गया है। मेरे विचार में यह अधिक खतरनाक है जिसका मुख्य कारण यह है कि गत 6 महीने में वास्तव में बहुत कम काम किया गया है। निस्संदेह कई बहुत अच्छी बातें भी हुई हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन और बन्धुआ मजदूरी को समाप्त करने सम्बन्धी अध्यादेशों को कानून के रूप में बदलने के लिए सभा में उन्हें लाया जा रहा है। ये सब चीजें बहुत पहले होनी चाहिये थीं। हम सबने इनका स्वागत किया है और इन्हें वास्तव में लागू किया जाना चाहिये। श्रमजीवी वर्ग को आपातस्थिति की भावना से, उत्पादन बढ़ाने और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए कहा गया है। वे अपनी डयूटी में असफल नहीं रहे। उन्होंने हर सम्भव तरीके से सहयोग दिया है। उन्हें इसके बदले में क्या मिला? बोनस सम्बन्धी अध्यादेश से उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा। बोनस अध्यादेश ने इनसे वह भी छीन लिया जो इनके पास था। सरकार ने उसी तत्परता के साथ उन मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जो उत्पादन को क्षति पहुंचा रहे हैं, जो ऐसे उपाय कर रहे हैं जिनसे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था प्रभावित होती है। कहा गया है कि आपातस्थिति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के बहुत से उद्योगों में कर्मचारियों की जबरी छुट्टी तथा छंटनी में वृद्धि हुई है। हम बार-बार इस बात के लिये मांग कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में कानून बनाया जाये ताकि उन नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके जो जबरी छुट्टी, कारखाने बन्द करने आदि के दोषी हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

कानपुर की लक्ष्मी रतन काटन मिल्स तथा अर्थटन वेस्ट मिल्स अभी भी बन्द हैं। राज्य सरकार, राज्य शीर्षस्थ निकाय तथा सूती कपड़ा की राष्ट्रीय औद्योगिक समिति के प्रयासों के बावजूद भी ये मिलें अभी बन्द हैं। तमिलनाडू में चीनी मिलों में मजदूरों की जबरी छुट्टी तथा छंटनी अब भी जारी है। ईरोड की शक्ति चीनी मिल में 600 मजदूरों को 1 अक्तूबर, 1975 से 3 महीने की जबरन छुट्टी दी गई है और 350 मजदूरों की छंटनी की गई है। चीनी उद्योग का यह हाल है जबकि हम अपनी विदेशी मुद्रा बढ़ाने के उद्देश्य से चीनी के निर्यात की बात करते हैं।

रिजर्व बैंक के बूलेटिन में भी बताया गया है कि गैर-सरकारी कारपोरेट सेक्टर में 1650 कम्पनियां केवल 15·8 प्रतिशत श्रमिक लागत के रूप में व्यय कर रही है और हमें बताया जा रहा है कि कर्मचारी और मांग कर रहे हैं और उन्हें बहुत कुछ दिया जा रहा है।

तमिलनाडू राज्य में जहां की सरकार का दावा है कि वहां 20-सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया है, कुछ दिन पूर्व 20-सूत्री कार्यक्रम का लागू करने, वहां पर भारी पैमाने पर हो रही बेदखली को रोकने तथा राहत की मांग करने के बारे में एक शान्तिपूर्ण आंदोलन हुआ। परन्तु इसका क्या हुआ? वहां की सरकार ने ऐसी मांग करने वाले 10,000 लोगों को जेलों में डाल दिया।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में 20-सूत्री कार्यक्रम के उत्साहपूर्वक क्रियान्वित किये जाने का उल्लेख किया है। किन्तु तमिलनाडू में जब जनता इस कार्यक्रम की क्रियान्विति

[श्रीमति पार्वती कृष्णन्]

की मांग करती है तो लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। राज्य स्तर पर पार्टी का एक सम्मेलन हो रहा है तथा सारा प्रशासन उसके लिये धन-संग्रह कर रहा है। छोटे-छोटे दुकानदारों को धमकाया जाता है।

श्री सी० टी० दन्डपाणि (धारापुरम) : यह गलत है। मैं सम्मेलन का सचिव था। माननीय सदस्य को झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिएं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : यह सभी समाचार पत्रो में प्रकाशित हुआ है, अतएव मुझे इस बारे में बोलने का अधिकार है।

प्रत्येक उद्योग में आपात स्थिति के नाम पर बड़े पैमाने पर छंटनी की जा रही है। पन्द्रह–बीस वर्ष से काम कर रहे कर्मचारियों तक को निकाला जा रहा है। इसी प्रकार 1974 की हड़ताल के दौरान जिन 1000 के लगभग कर्मचारियो को दंडित किया गया था वे भूखे मर रहे हैं। नौकरशाही द्वारा आपात स्थिति का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

स्वास्थ्य मन्त्री ने आज बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। आज देश में औषधियों की कमी है और विदेशी बहु-राष्ट्रीय औषधि निर्माता निगम औषधियों के मूल्य बढ़ रहे हैं। ये लोग औषधियों को काले बाजार में बेचने के लिये छिपे तरीके से भेज रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करती हूं कि औषधियों की स्थिति सुधारे।

श्री राजा कुलकर्णी (बंबई–उत्तर पूर्व) : मैं अन्य सदस्यों की भांति आपात स्थिति अथवा 20-सूत्री कार्यक्रम के संचालन से असन्तुष्ट नहीं हूं। इन उपायों को राजनीतिक अथवा आर्थिक किसी भी दृष्टि से श्रमिक विरोधी नहीं कहा जा सकता। गत छ: मास में सरकार ने मजदूर वर्ग एवं जनता के हितों के लिये अनेक कार्य किये हैं। मूल्यों का बढ़ना रोक दिया गया है जब कि अन्य देशों में मूल्य वृद्धि अभी भी चल रही है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में कुछ विशिष्ट मदें शामिल की गई हैं जो समूचे मजदूर वर्ग के लिये लाभ-कारी है। बन्धक मजदूरी व्यवस्था को समाप्त करके उन श्रमिकों को सामान्य श्रमिक वर्ग में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार कृषि श्रमिकों के लिये कानून द्वारा न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था की गई है। जिन राज्यों में पहले से न्यूनतम मजदूरी नियत थी वहां उसकी दर बढाई गई है। श्रमिक संगठन व्यवस्था जो पिछले 60–70 वर्षों से औद्योगिक श्रमिकों तक ही सीमित रही है। अब इन उपेक्षित मजदूर वर्गों के लिये भी उपलब्ध की जा रही है।

संगठित मजदूर वर्ग को 20-सूत्री कार्यक्रम में विशिष्ट स्थान मिला है। मिलों के प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा भाग लेने के बारे में योजना बनाई गई है। इन लाभों के महत्व को कम नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी कोई धारणा उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए कि 20-सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन तथा आपात स्थिति के बाद की गई कार्यवाही मजदूर विरोधी है।

20-सूत्री कार्यक्रम सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा में प्रजातन्त्रात्मक ढंग से उठाया गया एक कदम है। राष्ट्रपति ने कहा है कि शासन-तन्त्र की प्रक्रियाओं और क्षमता में सुधार करने के लिए बराबर उपाय किये जाते रहेंगे। यह सही दिशा में की गई अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यवाही है। इससे समाज के सामाजिक–आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आ रहा है। परन्तु नौकरशाही के इरादे नेक नहीं हैं। वे सामाजिक दृष्टिकोण तथा तत्परता का महत्व ही नहीं समझते। इसलिये सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धकों के रवैयों तथा प्रक्रियाओं में बड़े पैमाने पर परिवर्तन की आवश्यकता है और इसके बिना मिलों के प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा भाग लिया जाना सफ़ल नहीं हो सकता। इस बारे में नौकरशाही तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के रवैये में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये। ऐसा करने से ही 20-सूत्री कार्यक्रम सफ़ल बनाया जा सकेगा।

श्रीमती एम० गोडफ्रे (नामांकित आँग्ल–भारतीय) : आंगल-भारतीय और ईसाई समुदाय के उन लोगों ने जिनकी रुचि शिक्षा और समाजिक कार्यों में है आपात स्थिति का हृदय से स्वागत किया है। 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन से स्कूलों और कालेजों में अनुशासन आ गया है। अनुशासनहीनता अतीत की बात लगती है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जनता में उत्साह एवं आशा की भावना का संचार हुआ है। मुझे भावी पीढ़ी के बच्चों के बारे में चिंता थी। परमात्मा तथा प्रधान मन्त्री को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि हालात पर समय रहते काबू पा लिया गया है।

यद्यपि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बहुत कमी नहीं आई है। फिर भी कुछ खाद्य पदार्थों के दामों में पर्याप्त कमी आई है और अब गरीब को भोजन मिल सकेगा।

एक अन्य बड़ा परिवर्तन जो देखने को मिला है वह है कार्यालयों में समय की पाबंदी तथा सभी मामलों में तत्परता बरती जाना। लेकिन मेजिस्ट्रेटों और पुलिस को अत्याधिक अधिकार दे दिये गये हैं। इन अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाा जाना चाहिए ताकि आपात् स्थिति में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग न हो। बहुत से व्यक्तियों को जेल में रखे जाने का कारण 20-सूत्री कार्यक्रम अथवा आपात् स्थिति नहीं है अपितु मेजिस्ट्रेटों एवं पुलिस को प्रदत्त इतने अधिक अधिकारों का दुरुपयोग है।

अस्पतालों में जीवनदायी आम औषधियां भी उपलब्ध नहीं हैं। छोटे अस्पातालों में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जायें तथा गरीब लोगों में पर्याप्त दवाइयों का वितरण किया जाये।

श्री धरणीधर दास (मंगलदायी) : राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के अंतिम वाक्य में कहा है कि अब हम एक मिनट का समय भी नष्ट नहीं कर सकते। इसका यह अभिप्राय है कि जो कुछ भी कार्य हम 28 वर्षों में नहीं कर पाये उसे अब हमें शीघ्रातिशीघ्र पूरा करना है। इस समय हम इतिहास के चौराहे पर खड़े हैं। हमारे सम्मुख समाजवाद और पूंजीवाद के दो अलग–अलग रास्ते हैं। प्रश्न यह है कि हम किस रास्ते पर चलें। हमारे देश में समाजवाद का उपयोग अनुचित रूप से किया जा रहा है। इसका उपयोग पूंजीवाद को बचाने के लिये किया जा रहा है। प्रतिक्रियावादी तत्वों ने लोकतन्त्र, समाजवाद और प्रगतिशील शक्तियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है। ये लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते थे। यह लड़ाई केवल मार्मिक और सामाजिक आन्दोलन के द्वारा लड़ी जा सकती है।

[श्री धरणीधर दास]

इस विरोधी आन्दोलन का सामना करने के लिए जनता के सामने एक साधन 20-सूत्री कार्यक्रम है ।

मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था के नाम पर हमारे देश में पूंजीवादी एकाधिकार पनपने लगा था । यह चेतावनी 1962 में श्री जवाहरलाल नेहरू ने दी थी और कहा था कि यदि समाजवाद की प्रक्रिया में तेजी नहीं लाई जाती तो जनता इस शान्तिपूर्ण आर्थिक परिवर्तन के मार्ग को त्याग देगी ।

अब समय आ गया है कि समाजवाद के विकास के लिये 20-सूत्री कार्यक्रम को जोरों से लागू किया जाये । यह कार्यक्रम पिछड़े और श्रमिक वर्गों के लोगों के लिये है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

मुख्य प्रश्न यह है कि इस कार्यक्रम को किस प्रकार लागू किया जाये । पूंजीवादी ढ़ांचे को समाजवादी ढ़ांचे में बदलने का कार्य केवल नौकरशाही द्वारा नहीं किया जा सकता ।

आसाम में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी जिस की सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए । सार्वजनिक वितरण पद्धति में हम ने थोक और खुदरा व्यापारियों को समाप्त कर दिया है । ये दोनों कार्य अब व्यापक सहकारी प्रणाली द्वारा किये जाते हैं । जिस में निहित स्वार्थ वाले तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया जाता । एक सदस्य ने 20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये लोकप्रिय समितियां बनाने का सुझाव दिया । आसाम में उत्पादन, उगाही और वितरण के मामले में जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है । इन सभी संगठनों के अध्यक्ष गैर-सरकारी हैं । प्रश्न यही है कि 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये अधिकारी वर्ग पर ही निर्भर न रहा जाये अपितु इन कार्यों में जनता को सम्बद्ध किया जाये । हमें पूंजीवाद एवं समाजवाद के नियमों का अध्ययन करना होगा ताकि अभाव अथवा बहुलता में मूल्यों पर नियंत्रण रखा जा सके । सार्वजनिक वितरण पद्धति एवं भूमिहीनों को भूमि के वितरण में जनता का सहयोग लिया जाना चाहिए ।

डा० के० एल० राव (विजयवाड़ा) : हमें राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की स्थापना की घोषणा करने के लिये राष्ट्रपति का धन्यवाद करना चाहिए । कई राष्ट्रों ने ऐसी परिषदों से बहुत लाभ उठाया है ।

सिंचाई वाले क्षेत्र को दुगना कर के हम ने स्वतन्त्रता के बाद से अपने उत्पादन को दुगना कर लिया है । यह महत्वपूर्ण तथ्य है जो आने वाले विषम समय में हमारी सहायता करेगा । आगामी 25 वर्ष में हमें अपने सिंचाई वाले क्षेत्र को दुगना कर लेना चाहिए अर्थात् 40–30 लाख हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाना चाहिए । भारत उतने ही क्षेत्र में खेती करता है जितने क्षेत्र में सोवियत संघ और चीन करते हैं । परन्तु हम उन की अपेक्षा आधा ही खद्यान्न उत्पन्न कर पाते हैं । इस का कारण हमारी सिंचाई सुविधाओं की कमी ही है । देश में सिंचाई के लिये विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए ।

भारत, रूस और चीन का खेती का क्षेत्रफल बराबर है । फिर भी हमारा उत्पादन 10 करोड़ टन है जब कि उन का उत्पादन 20 करोड़ टन है । सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा एक तिहाई क्षेत्र सूखाग्रस्त रहता है । इसलिये हमारा उत्पादन कम रहता है ।

पाकिस्तान तथा मध्य प्रदेश का खेती किये जाने वाला क्षेत्रफल 1.97 करोड़ हैक्टेयर है किन्तु इस में से सिंचाई वाला क्षेत्र केवल 20 लाख हैक्टेयर है । इस की तुलना में पाकिस्तान का सिंचाई सुवि-

धाओं से युक्त क्षेत्रफल 1·20 करोड़ हैक्टेयर है। हमें मध्य प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करने चाहियें।

केरल की पम्बा तथा कालडु परियोजनाओं को 10 वर्ष पूर्व स्वीकृति दी गई थी, लेकिन अभी तक ये परियोजनाएं पूरी नहीं की हुई हैं। परियोजनाओं का लागत व्यय बढ़ता जा रहा हैं और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है। जल संसाधन परिषद् को इन मामलों पर विचार करना चाहिए।

देश में कई क्षेत्र सूखाग्रस्त हैं। इन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। सब से पहले हमें बिहार की पालामऊ, गया और शाहबाद जिलों को लेना चाहिये। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में रीवा का पठार और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं जो सब सूखाग्रस्त हैं। हमें इन क्षेत्रों के लिए विशेष राशियों की व्यवस्था करनी चाहिये।

परिषद् को देश में आने वाली गम्भीर बाढ़ों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उड़ीसा में ब्राह्मिनी तथा वैतरणी नदियां विपत्ति का कारण बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में राप्ती, शारदा और घाघरा नदियों की भी वही दशा है। उस के कारण उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में गरीबी छाई हुई है। उत्तर बिहार की बूढ़ी गंडक तथा अधवरा नदियों में हर वर्ष बाढ़ आती है। इस क्षेत्र की सहायता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन समस्याओं को हल करने के लिये हमें नया दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। स्वतन्त्रता के समय प्रति हैक्टेयर सिंचाई की लागत 500 रुपये थी जो अब 5000 रुपये हो गई है। इसलिये हमें नये तरीके से चलना होगा। हमें उसी प्रकार जन सहयोग प्राप्त करना चाहिए जैसे रूस और चीन ने किया है। इन क्षेत्रों के लोगों से अनिवार्य सेवा लेना प्रारम्भ किया जाना चाहिए। इस से परियोजनाओं की लागत भी कम आयेगी और काम भी जल्दी समाप्त होगा।

देश में बिजली की सप्लाई बिल्कुल अपर्याप्त है। हमें बिजली उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिये। बिजली के लिये हमें पंच वर्षीय योजना के स्थान पर 10 अथवा 20 वर्षीय योजना बनानी चाहिए। इस समस्या पर व्यापक रूप से विचार किया जाना और बिजली का उत्पादन सुनिश्चित करना आवश्यक है। अपने वर्तमान 2 करोड़ किलोवाट के बिजली के उत्पादन को हमें 10 गुना बढ़ाना जरूरी है। बिजली अत्यन्त महत्वपूर्ण अनिवार्य वस्तु है। हमारे देश में 70 प्रतिशत ऊर्जा लकड़ी, उपलों आदि से प्राप्त की जाती है। गोबर को उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र उद्योगों की दृष्टि से अत्यन्त विकसित प्रदेश है। मुझे आश्चर्य हुआ कि जब जल-विद्युत् केन्द्रों में पर्याप्त जल था पर्याप्त बिजली थी तब भी वहां पर बिजली की कटौती करनी पड़ी। इस का कारण यही है कि मांग उत्पादन से कहीं अधिक है। मैं ने वहां जा कर देखा कि टाटा तथा महाराष्ट्र सरकार मिल-जुल कर बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। हमें उस परियोजना को कार्यान्वित कर के 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना चाहिये। तामिलनाडु में भी बिजली की भारी कमी है। वहां के सिंगरेनी कोयला क्षेत्र में बिजली का उत्पादन किया जाना चाहिये। इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। एक आपातकालीन बिजली कार्यक्रम भी होना चाहिये।

बिहार में बिजली उत्पादन की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि वहां बिजली की बहुत कमी है। हमारे पास 10 अथवा 20 वर्षीय कार्यक्रम होना चाहिये और कम बिजली वाले क्षेत्रों के लिये तो विशेष आपातकालीन योजना होनी चाहिये।

बिजली और पानी के लिये यथा शीघ्र एक राष्ट्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का गठन किया जाना चाहिये । मैं यही कहूंगा कि बिजली और पानी के लिये नये कार्यक्रम चलाने हेतु यह उचित अवसर है ।

Shri Swami Brahmanand (Hamirpur) : I support the motion of thanks on President Address. In addition to ceiling in the rural areas, there should also be ceiling on property in the Urban areas. President has given some hint in his Address about urban ceiling.

Shrimati Gandhi has rendered her services not for the cause of congress but for the Country as a whole. She foiled all the attempts made by the opposition for subverting the democracy in the Country.

The constitution should be amended with a view to remove poverty. People as a whole will welcome this step.

Poor people are not getting justice. There is economic disparity. Panchayati Raj should be introduced throughout the Country and judicial powers should be given to the representative bodies at various levels.

There shuld also be ceiling on the size of ministries with a view to effect economy.

A cabinet of 5 to 10 elected representatives should be appointed at the Centre and also in the States for running the administrations and apprehending corrupt elements.

Our Constitution does not reflect the aspirations of the common people. We have been elected by the people and we are capable of changing this Constitution.

Following the preachings of Mahatma Gandhi, the Prime Minister Shrimati Indira Gandhi has saved India through non-violent means. She has been administering the affairs of the country through Gandian way.

Government should provide water and construct dams in the backward areas. Similar steps should also be taken for the upliftment of backward classes. There should be no place for untouchability in our country.

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्हों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विदेश नीति की चर्चा की है । मेरे विचार में आप सब इस बात से सहमत हैं कि देश की विदेश नीति के उद्देश्यों के बारे एक प्रकार की सर्व सम्मति सी है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक ऐसी महत्वपूर्ण बात का जिक्र हुआ है जो मेरे विचार में समूची विश्व स्थिति से सम्बन्धित है ।

हमने यूरोप के देशों के उस हेलसिंकी सम्मेलन का स्वागत किया है जिस में सुरक्षा की समस्याओं पर विचार किया गया था । हमने इस सम्मेलन का स्वागत इसलिये किया है क्योंकि उस में ऐसी शक्तियों के दो वर्गों ने भी भाग लिया जिन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त को अपनाया है और वे राजनैतिक तथा आर्थिक मामलों सम्बन्धी तनाव को कम करने के लिये आपस में वचनबद्ध हैं । दूसरी महत्वपूर्ण बात दक्षिण-पूर्व एशिया विशेषत: दक्षिण वियतनाम, कम्बोदिया तथा लाओस के जन-आन्दोलन का अन्त है । यह साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी ताकतों के विरुद्ध एक लड़ाई थी । यह सब वहीं के लोगों के हित में नहीं बल्कि विश्व भर के लोगों के लिये भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है । एक अन्य

महत्वपूर्ण राजनैतिक घटना अफ्रीका महाद्वीप से सम्बन्धित है जहां अनेक देश स्वतन्त्र हो गये हैं। इन मुक्ति आन्दोलनों में पराजित उपनिवेशवादी ताकतें अपनी पराजय को स्वीकार नहीं करतीं। इन्हों ने अब अपनी नीतियां तथा कार्यक्षेत्र भी बदल लिये हैं ; इन ताकतों के पास विश्व के हितों का एकाधिकार है। ये ताकतें अब नये उपाय खोज रही हैं।

अब ये ताकतें विकासशील तथा गुटनिर्पेक्ष देशों के बीच फूट डालने का प्रयास कर रही हैं। फासिस्टवाद चाहे विदेशी हो या आन्तरिक, वह फासिस्टवाद ही है। विदेशी फासिस्टवाद का आधार तंग होता है और वहां के निहित स्वार्थों के सहयोग से काम चलाता है। अंगोला में यही कुछ हो रहा है।

हम ने अंगोला और मुजाम्बिक की स्वतन्त्रता का स्वागत किया है। परन्तु आज वहां पर जो कुछ हो रहा है वह आंखे खोलने वाला है। आज दक्षिण अफ्रीका की सेनाएं अंगोला में सैनिक कार्यवाही कर रही हैं। वहां पर कुछ आर्थिक तथा निहित स्वार्थी तत्व हैं जो कि अपना प्रभाव जमा रहे हैं।

यह विरोधी शक्तियां केवल अफ्रीकी महाद्वीप में ही नहीं अपितु दक्षिणी एशिया तथा हिन्द महासागर के क्षेत्र में भी विद्यमान है।

आपात स्थिति के औचित्य तथा अनौचित्य पर तर्क दिये गये हैं। देश में पिछले कुछ वर्षों से क्या स्थिति थी। गुजरात में क्या घटनाएं घटीं।

जब स्वतन्त्रता के पश्चात् हम ने नये संविधान को स्वीकार किया था तो इस का केवल यही अर्थ नहीं था कि अंग्रेजों से सत्ता हमारे हाथ में आ गई है, अपितु यह भी था कि नये सामाजिक तथा आर्थिक निर्माण का हम ने वचन लिया है। उसी उद्देश्य से हम ने इस प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद् की स्थापना की थी। राजनीतिक दल तथा न्यायालय लोकतन्त्र के संचालन के लिये अन्य उपयोगी संस्थाएं हैं। लोकतन्त्र का मूल आधार क्या है ? सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के उद्देश्य से हम ने लोकतन्त्र को स्वीकार किया है।

जब हम विगत कुछ वर्षों की घटनाओं पर दृष्टि डालते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि सब ओर से बाधाएं पैदा की जा रही थीं। देश ने विगत 25 वर्ष में तकनीकी, वैज्ञानिक, कृषि आदि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति की है। परन्तु यह सब करने के बाद भी हम अपनी क्षमताओं, शक्तियों आदि का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। यदि हम सभी क्षेत्रों में प्रगति करने के बाद भी सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन न ला पायें तो प्रजातन्त्र की समाप्ति हो जायेगी।

कुछ लोग ऐसा समझते थे कि मनमाने ढंग से बोलने तथा मनमानी करने का नाम ही प्रजातन्त्र है। प्रजातन्त्र के इस प्रकार के मन्तव्य को समाप्त करने का साहस देश की महान नेता, प्रधान मंत्री ने किया है।

मुझे विश्वास है कि श्री पी० एम० मेहता हिंसा का पक्ष नहीं लेंगे। यदि अल्पमत वाले लोग बहुमत वाले सदस्यों को जबर्दस्ती त्यागपत्र देने पर विवश कर देते हैं तो लोकतन्त्र का अन्त हो जाता है। देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का व्यवस्थित प्रयत्न किया गया था। यह कार्यवाही न केवल गुजरात में अपितु पूरे भारत में की गई। यह हवा गुजरात से बिहार में पहुंची। यह प्रसन्नता का विषय है कि बम्बई में उसे स्थान नहीं मिल पाया।

हमारा मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाना है। निश्चय ही आपातस्थिति से कुछ लाभ हुए हैं। आज अधिक अनुशासन तथा अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। हमने

जनतांत्रिक आयोजन करने की चेष्टा की है, जिसमें हमें आंशिक सफलता प्राप्त हुई है और आंशिक असफलता। प्रगति कार्यों के लिये कुछ स्रोत प्रत्यक्ष हैं। तथा कुछ अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष साधनों में जनता की एकता एवं निष्ठा का विशेष महत्व है।

इस्पात मन्त्री की यह घोषणा सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमने निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को पूरा कर लिया है। अनुशासन के कारण प्राप्त की गई इस सफलता पर हमें गौरव है।

जो गतिविधियां देश में चल रही थीं यदि उन्हें चलने दिया जाता तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी क्या प्रतिष्ठा रह जाती। पिछले कुछ महीनों में मुझे युरोप के लोकतान्त्रिक देशों में जाने का अवसर मिला था और आपात्स्थिति के विषय पर चर्चा करने का अवसर मिला। उन लोगों को इस स्थिति की बिल्कुल गलत जानकारी है। उनका कहना था कि क्या आप हमारे कथन को महत्व नहीं देते हैं। मैंने उनसे विनयपूर्वक निवेदन किया कि हम आपके कहने को तो महत्व देते हैं परन्तु उससे भी अधिक उस बात को महत्व देते हैं जिसे हम स्वयं महत्वपूर्ण समझते हैं। आप लोग प्रजातन्त्र की, भाषण की स्वतन्त्रता, समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता, की बात करते हैं। जब आपात्स्थिति की घोषणा की गई थी तब लोगों को यह कहते सुना गया था कि ठीक इसी कार्यवाही की आवश्यकता थी। हम स्वाधीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या आपात्स्थिति जारी रखी जाये अथवा समाप्त कर दी जाये। यह स्थिति हालात पर पुनः ध्यान देने का अवसर देती है। यदि दृढ़ कार्यवाही न की जाती तो बंगला देश जैसी घटनाएं यहां भी घट सकती थीं।

गुटनिरपेक्षता की नीति का क्या हुआ, जो कि आज विश्व की लगभग 100 प्रगतिशील शक्तियों का एक संगठन है। इसके लिये संसार श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री टीटो तथा उनके साथियों का आभारी है। शुरू में इस नीति की हंसी उड़ाई गई थी। परन्तु धीरे धीरे संसार के 100 से अधिक देशों ने एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में इसे स्वीकार किया है। जब बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियों ने यह देखा कि यह नीति प्रभावशाली बन रही है तो उन्होंने दूसरे हथकंडे अपनाने आरम्भ किये। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में घुसपैठ करने का प्रयास किया गया है। हमें इस सम्बन्ध में बहुत सजग रहना चाहिए।

हम नेपाल, भुटान, बंगला देश, श्री लंका, पाकिस्तान, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान, ईरान और अन्य सबसे मित्रता रखना चाहते हैं। कुछ बड़े देश छोटे पड़ौसी देशों के बीच सन्देह के बीज बोते हैं। हम किसी पर अपनी इच्छा थोपना नहीं चाहते। हम किसी पर आक्रमण करना नहीं चाहते। हमारा देश राष्ट्रवादी देश है और हम स्वतन्त्र विदेश नीति में विश्वास रखते हैं। हमारे अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य हैं। हम उन्हें पाने के लिये कृतसंकल्प हैं। फिर चाहे इसमें कितनी भी कठिनाइयां हमारे सम्मुख आयें।

हमें बंगला देश के नेताओं की नृशंस हत्या से बड़ा धक्का लगा है। यह उनका आंतरिक मामला है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार किया गया है कि भारत बंगला देश में सैनिक हस्तक्षेप करना चाहता है। यह प्रचार पड़ौसियों के बीच सन्देह पैदा करने के लिये है। हम बंगला देश का भला चाहते हैं और उसकी स्वतन्त्रता उसकी प्रभुसत्ता बनाये रखना

चाहते हैं । हम चाहते हैं कि वह प्रगतिशील आर्थिक तथा विदेश नीति अपनाए। हम उसके गुटनिरपेक्ष बने रहने के पक्ष में हैं।

हम आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीति में भेद नहीं कर सकते । यह त्रिमुर्ति के तीन मुख हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में विश्व की स्थिति का पुनरीक्षण किया गया है । हम अरब राष्ट्रों के प्रगतिशील उद्देश्यों, अरबों के न्यायपूर्ण उद्देश्यों का सदा पक्ष लेते रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी नीति शिमला समझौते की भावना पर आधारित है। हमने उसी आधार पर पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने का यत्न भी किया है। पाकिस्तान और भारत के लोगों की समस्याएं समान है। दोनों देशों के पास मित्रता के अलावा कोई चारा नहीं है।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी विदेश नीति तभी सफल हो सकती है जब हमारी आंतरिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था दृढ़ हो। हमारा वास्तविक स्वरूप वही है जो कि देश में है।

अतः हमारे देश को हमारे राष्ट्रीय इतिहास को इस नये पहलु का उपयोग करते हुए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि कावटें पैदा करने की प्रवृत्ति समाप्त हो और लोकतन्त्र को खतरा समाप्त हो । तभी लोकतन्त्र अपने वास्तविक अर्थ में सफल होगा।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (किवलोन) : मेरे संशोधन में अधिकारी तंत्र तथा पुलिस द्वारा अत्याचारों को न रोके जाने पर खेद व्यक्त किया गया है ।

आपात स्थिति एक वास्तविकता है । आपातस्थिति में बहुत अधिक ज्यादतियां की गई हैं ।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए]

[SHIRI VASANT SATHE *in the Chair*]

मैं ने भी ब्रिटिश काल में अपने यौवन के छः वर्ष जेलों में व्यतीत किये हैं । स्वतन्त्रता के पश्चात् अनुशासनहीनता एवं अक्षमता देख कर मुझे निराशा हुई । आपातस्थिति के पश्चात् देश की हालत में सुधार हुआ है। बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति देश के इतिहास को गौरवान्वित करेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 6 और 2 में जनता के पूरे सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। कार्यक्रम की क्रियान्विति की योजनाओं पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है । दो राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य निष्ठापूर्वक इस कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं। क्रियान्विति समितियां साधारणतया मंत्रियों के कदाचारों पर ध्यान नहीं देती । मेरे राज्य में ऐसी समितियों की स्थापना नहीं की गई है । यदि पुलिस और नौकरशाही को जनता के अधिकारों को समाप्त करने दिया गया तो भविष्य में इस के गम्भीर परिणाम निकलेंगे ।

शीर्षस्थ संस्थाओं के कार्यकरण के बावजूद भी श्रमिक वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। बोनस सम्बन्धी अध्यादेश का अधिकारी वर्ग गलत अर्थ लगा रहा है ; जिस से श्रमिकों की हानि हो रही है।

प्रधान मंत्री को राज्य सरकारों को आदेश देने चाहियें कि वहां आलोचनाओं पर विचार करने और दिये गये सुझावों को लागू करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त समितियां बनायी जायें।

शीर्षस्थ निकायों की क्रियान्वयन समितियों की नियमित बैठकें होनी चाहियें और 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल किया जाये और प्रशासन तथा पुलिस के हाथों होने वाले अन्याय को समाप्त किया जाये। प्रशासकों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों को आरम्भ में ही कुचलने के लिये केन्द्रीय आसूचना विभाग को भी सतर्क किया जाना चाहिए।

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड): मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आपात स्थिति की उद्घोषणा के परिणाम उत्साहजनक निकले हैं। निश्चय ही अनुशासन बना हुआ है तथा उद्योग एवं कृषि के क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है।

बीस सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये हमें सरकारी तन्त्र तथा नौकरशाही पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये हम सब को ही कार्य करना चाहिए। सभी जन प्रतिनिधियों को चाहे ये संसद् में हैं या राज्य विधान मण्डलों में या जिला परिषदों में इस आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये पहल करनी चाहिए। और हमें केवल सरकारी तंत्र पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में ग्रामीण जनता की आकांक्षाओं में परिवर्तन आया है। ग्रामीण लोग यह समझते हैं कि आपात स्थिति एक वरदान के रूप में आई है। मैं राष्ट्रीय चरित्र,, राष्ट्रीय अनुशासन एवं राष्ट्रीय समुन्नति पर बल देना चाहता हूं। संसद् एवं विधान सभा के सदस्यों को बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति में जनता का नेतृत्व करना चाहिए।

हमारे देश में शताब्दियों से बेगार की प्रथा चल रही थी। बीस सूत्री कार्यक्रम में उसे समाप्त किये जाने पर सम्बद्ध व्यक्तियों को अपार हर्ष हुआ है।

मेरे क्षेत्र में गरीब लोगों के आवास के लिये कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार उन्हें निश्चित रूप से कुछ न कुछ देना चाहती है। बीस सूत्री कार्यक्रम अभावग्रस्त लोगों के लिये तैयार किया गया है। यदि आपात स्थिति लागू करनी है तो हमें बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): श्री चव्हाण ने अपने भाषण में कहा है कि विरोधी दलों के कुछ सदस्य मनमानी कर रहे थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि विरोधी पक्ष के ही नहीं अपितु सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग गत 28 वर्षों से अत्याधिक मनमानी कर रहे थे। मनमानी समाज के केवल एक वर्ग के लिए ही बुरी नहीं है अपितु समूचे समाज के लिए बुरी है। यदि देश ने अधिकांश लोगों का आपात-स्थिति को समर्थन प्राप्त है और यदि आप सब कहते हैं कि यह सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप ने ऐसा पहले ही क्यों नहीं कर लिया था। आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं कहने देते कि यह सब ठीक नहीं है। जब देश की अधिकांश जनता आप के साथ है तो फिर लोगों को अपना विचार व्यक्त क्यों नहीं करने देते ?

राष्ट्रपति का अभिभाषण पिछले कई वर्षों से केवल मात्र वार्षिक संस्कार विधि बन कर रह गया है। इस वर्ष यह और भी अधिक रूढ़ि बन गया है इस का महत्व इस में नहीं है कि इसमें क्या कुछ कहा गया है बल्कि इस में है कि इस में कितनी होशियारी से क्या कुछ छोड़ दिया गया है। यह अभिभाषण यर्थाथतः अपूर्ण है और इस में बहुत कम कहा गया है और काफी कुछ छुपाया गया है।

यह कहने का कोई अर्थ नहीं कि यह एक सामान्य सत्र है क्योंकि गत सत्र में जो कुछ असामान्य था उसे अब वैध और संस्थापित कर दिया गया है। प्रेस का गला घोंटा गया है। अतः यह साधारण सत्र नहीं है, अपितु आपात सत्र का ही एक भाग है, जिसमें संसद् सदस्यों की स्वतन्त्रता कम की गई है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में चुनावों का कोई उद्देश्य नहीं है जो इस वर्ष फरवरी या मार्च में संवैधानिक तरीके से किए जाने चाहिए। क्या संसद् के बाहर कोई दल, चाहे वह सत्तारूढ़ दल ही क्यों न हो, यह आह्वान कर सकता है कि संसद् का जीवन काल एक वर्ष और बढ़ा दिया गया है।

गत छः महीनों में आपातस्थिति का गलत उपयोग किया गया है। सभी ओर बनावटीपन का बोलबाला है। क्या आज कहीं रेडियो, समाचार पत्रों तथा अन्य संचार और प्रसारण के माध्यमों से स्वतन्त्र वाद-विवाद और विमति की कोई अभिव्यक्ति है। समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गई है। प्रेस पर स्वतंत्ररूप से समाचार प्रकाशित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं यदि प्रेस को इस सभा की कार्यवाही को स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित नहीं करने दिया जाता है तो फिर इस सभा की क्या आवश्यकता रह जाती है। बाहर जनता को पता चलना चाहिए कि हमने यहां क्या कहा है। हमने जनता के रोष तथा उनकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्त किस तरह की है।

इस सदन के दोनों पक्षों के कई सदस्य जेलों में बन्द हैं। यदि वे वास्तविक रूप से दोषी हैं तथा सरकार के पास उन्हें दोषी सिद्ध करने के लिए प्रमाण है तो उन पर अदालत में मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता ? तब तक सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि जेलों की दयनीय दशा में सुधार हो।

यदि संविधान में संशोधन करने से जनता का हित होता है तो मैं इसके पक्ष में हूं। क्या ईमानदारी से यह कहा जा सकता है कि गत 25 वर्षों में संविधान से सम्पत्ति के अतिरिक्त प्रगतिशील नीतियों के कार्यान्वयन में बाधा पड़ी है ? लेकिन अनुच्छेद भी तीन या चार बार संशोधित किया गया है इसके लिए राजनीतिक दुर्बलता ही जिम्मेदार है। कानून का शासन, न्यायिक प्रक्रिया तथा उन की स्वतन्त्रता और विमति अधिकार लोकतन्त्र के स्तंभ हैं।

गुजरात पंचायत चुनावों में 670 जिला पंचायतों और 3942 तालुका पंचायतों स्थानों के लिए चुनाव लड़े गए। गुजरात सरकार ने यह सही ही कहा कि जून 1975 में गुजरात विधान सभा के चुनावों के दौरान 67 हिंसात्मक घटनाएं हुई जब कि इस बार केवल 27 ऐसी दुर्घटनायें हुई हैं। दो कांग्रेसियों की हत्या का उल्लेख किया गया है। गुजरात सरकार ने इस की अदालती जांच कराने की घोषणा कर दी है। जब तक उस का प्रतिवेदन न आ जाये यह कैसे कहा जा सकता है कि वहां हिंसा हुई है। गुजरात सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए आधार बनाए जा रहे हैं ऐसा करना भारत सरकार के लिए ठीक नहीं है।

लोकतन्त्र का अर्थ यह है कि शासक और शासित के बीच पारस्परिक बातचीत से मामले हल किए जायें इस में आपसी विचारों का आदान-प्रदान होता है। विभिन्न विचार धाराओं को शान्त करके अथवा दबाकर वे समाप्त नहीं होते वरन् छिप जाते हैं। सब से अच्छा तरीका यह है कि विचारों का आदान प्रदान होने दिया जाये।

यह टकराव का समय नहीं है। इस समय सावधानी से विचार विमर्श कर के हमें समझौता करना चाहिए। इस समय हमें देश में व्याप्त निर्धनता तथा अल्प विकास को दूर करना है। हमें राष्ट्र के हित में राष्ट्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उन्हें लोकतांत्रिक ढंग से हल करना चाहिए। आन्तरिक तथा बाह्य आपात स्थिति को समाप्त कर के हमें देश में सामान्य स्थिति

पुन: स्थापित करनी चाहिए क्योंकि मनगढ़न्त तथा असत्य बातों को अधिक समय तक सहन नहीं किया जा सकता। हमें विभिन्न लोगों द्वारा व्यक्त विचारों पर सोचना चाहिए। हमें उस परम पिता परमात्मा की आवाज को सुनना चाहिए जो इस देश के सब लोगों का मार्ग-दर्शन करता है।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh): The President in his Address has referred to Chasnala mine accident in which 372 miners were entrapped. Last year also in Several mine incidents 300 workers were killed. If clearly indicates that the coal mine workers have to work in difficult conditions.

If any passenger dies in an air crash, he is paid compensation of Rupees one lakh and if any passenger travelling in second class Railway compartment unfortunately dies in accident, he is paid a compensation of rupees fifty thousand. But if a coal mine worker dies while working in mine, he is paid only rupees ten thousand as compensation. Keeping in view the difficult circumstances, in which a coal mine worker has to work this amount of compensation is too little. The Compensation Act of 1936 has become out dated now. It had no provision for paying compensation to those who draw more than Rs. 500. If the same provision is adopted today, no coal mine worker will get compensation. This Act should have been amended long before.

A Bill was brought to amend the Mine Act of 1952. The Bill was referred to a Joint Committee which submitted their Rport in 1973 but this amending Bill has not been passed so far. This Bill should be passed as early as possible.

So far as coal production is concerned, now the stage has come, when we have to go in deep for coal which involves a lot of risks and difficulties. The old abondened coal mines should be inspected and seen that those are properly filled in so that we may ensure safety of the coal mine workers engaged in adjoining coal mines.

After every coal mine accident, a Committee is appointed to go into the incident and that Committee submits its Report. Several such reports are lying in cold storage and no recommendations given therein have been implemented. Those recommendations should be implemented immediately.

Three Conferences have been held in regard to Coal mines and in these Conferenes some suggestions have been unanimously accepted. Those suggestions should be implemented to to ensure safety to the coal mine workers.

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : सभापति महोदय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश के समक्षउत्पन्न खतरे का उल्लेख किया है। यह हमारा प्रमुख कर्तव्य है कि हम ऐसी शक्तियों का पता लगाएं जो देश की एकता तथा अखंडता के विरुद्ध कार्य कर रही हैं।

हमारी मांग है कि तमिलनाडु सरकार की कार्यवधि पूरी होने पर उसे समाप्त कर देना चाहिए। जब हम ऐसी मांग करते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि जब केरल विधान सभा की अवधि छ: महीने के लिए बढ़ाई जा सकती है तो तमिल नाडु विधान सभा का कार्यकाल क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। किन्तु यदि ऐसी राज्य सरकार है जो अनुचित तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाती है तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए चाहे वह कोई भी राज्य सरकार हो।

श्री आर० पी० उलगनम्बी (बेलौर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम इसका विरोध करते हैं। वह गलत उदाहरण दे रहे हैं।

श्री जी० विश्वनाथन् : यह टेप रिकार्डिड भाषण है और मैं उसी का उद्धहरण दे रहा हूं . . .

(व्यवधान)

श्री था किरुतिनन (शिवगंगा) : हम इसका कड़ा विरोध करते हैं।

श्री जो० विश्वनाथन् : मद्रास राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केन्द्र बन गया है। मैं आपका ध्यान हाल ही में मद्रास में विदेशी एजेंटों द्वारा चलाई गई गतिविधियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। दो विदेशी एजेंट मद्रास में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। द्रमुक दल ने उन्हें शरण दे रखी है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (धारापुरम) : आप उनके नाम बता दीजिए (**व्यवधान**)

श्री आर० पी० उलगनम्बी : आप नाम बताने से क्यों घबरा रहे हैं? (**व्यवधान**)

श्री जो० विश्वनाथन : इतना ही नहीं। गृह मंत्री को भी इसका पता होगा। इनमें से एक व्यक्ति है श्री मुरासोली अदियार जो मुख्य मंत्री के नजदीकी सहयोगी हैं तथा स्वतंत्र तमिलनाडु के प्रबल समर्थक हैं।

श्री आर० पी० उलगनम्बी : यह सर्वथा गलत है।

श्री था किरुतिनन : यह सब क्या है? वह सारी व्यर्थ की बातें कर रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया इस प्रकार बार-बार मत उठिए। अनुमति लेकर उठिये।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : श्री मुरासोली अदियार ने मद्रास में एक बैठक बुलाई और ज्यों ही मुख्य मंत्री को इसकी खबर मिली उन्होंने श्री अदियार तथा अन्य लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।

श्री जो० विश्वनाथन् : श्री अदियार का नारा है कि श्री करुणानिधि को तमिलनाडु का प्रधान मंत्री बनाया जाय। तमिलनाडु में करुणानिधि सरकार से लोगों का विश्वास हट गया है। हाल के उप-चुनावों से यह स्पष्ट हो चुका है। इतना ही नहीं 1971 के चुनावों में वह सरकार कांग्रेस तथा भारतीय साम्यवादी दल की सहायता से सत्ता में आई थी। यदि यह कहते हैं कि लोगों का उनमें विश्वास है तो फिर उन्हें चुनाव कराने चाहिएं। तमिलनाडु में भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। वहां भ्रष्टाचार को सांविधिक संरक्षण दिया जा रहा है। मैं वहां की एक कम्पनी —शक्ति पाइपस— का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां की सरकार इस कम्पनी को 2 करोड़ रुपए की अदायगी कर रही है। हमारे विचार में यह कम्पनी इस योग्य नहीं कि इसे कोई अदायगी की जाये। यह कम्पनी एक मृत तथा बेकार कम्पनी है, जबकि संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत किए जाने वाले उपक्रम के लिए ही अदायगी की जाती है। हमें संदेह है कि इस कम्पनी की राशि का गैरकानूनी ढंग से दुरुपयोग हुआ है तथा तमिलनाडु सहित सभी संस्थागत ऋणदाताओं को धोखा दिया गया है।

इस कम्पनी की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है और इसकी ऋण देने की क्षमता शून्य के बराबर है। इस कम्पनी को दो करोड़ रुपए की राशि से मुआवजे की अदायगी अनुचित तथा कर-दाताओं के अहित में है। यह मुआवजा सत्तारूढ़ दल के राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है।

तमिलनाडु में सेंसरशिप की चर्चा की गयी है। वहां सेंसरशिप केवल विरोधी दलों के लिए है। वहां के मुख्य मंत्री सेंसरशिप में विश्वास नहीं रखते क्योंकि वे कोई भी इश्तहार और अखबार छाप सकते हैं।

वहां की सरकार ही नहीं बल्कि मुख्य मंत्री भी घृणा का वातावरण पैदा कर रहे है। वे कहते हैं कि तमिलनाडु में किस प्रकार के लोग रह सकते हैं और किस प्रकार के नहीं रह सकते। वहां ईमानदार लोगों को दंडित किया जाता है और भ्रष्ट लोगों को तरक्कियां दी जाती हैं। न्यायालयों पर भी निर्णय लिखने के मामलों में दबाव डाले जाते हैं। तमिलनाडु के लोग तथा मैं राष्ट्रीय हित में मांग करते हैं कि तमिलनाडु विधान सभा की कार्य अवधि एक दिन के लिए भी न बढ़ायी जाये।

श्री के० गोपाल (करुर) : समाज में अनुशासन की भावना पैदा करने के बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। हमने न केवल मुद्रा स्फिति की प्रकृतियों को रोका है बल्कि मुल्यों में भी कमी की है। हमने 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाया है। हमारे सरकारी क्षेत्र के कारखानों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवर्तन किए जा रहे हैं।

हमें प्रसन्नता है कि हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है। उद्योग सम्बन्धी नियंत्रण हटाने की भी हमें खुशी है।

हमें इस बात का खेद है कि तमिलनाडु आपातकालीन स्थिति से अछूता ही है। वहां आंसुका का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। वहां राज्य सरकार ने किसी भी चोरबाजारी करने वाले तथा राष्ट्र विरोधी तत्व को आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया है। श्री विश्वनाथन को गिरफ्तार किया गया और उन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। वहां एक मजदूर नेता को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया था।

वयालार रवि (चिरविकलि) : उसका नाम क्या है ?

श्री के० गोपाल : उसका नाम श्री कुचेलर है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या वह अब भी नजरबंद है ?

श्री के० गोपाल : उसे रिहा कर दिया गया है। द्रमुक दल तमिलनाडु में अनेक स्थानों पर जिला सम्मेलन कर रहा है जहां आपातकालीन स्थिति के विरुद्ध तथा इसी प्रकार के कुछ और प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं। राज्यस्तरीय सम्मेलन में उन्होंने मांग की है कि विधान सभा के चुनाव संसदीय चुनावों के साथ ही किए जायें। वे विधान सभा की अवधि बढ़ाना चाहते है। तिरुचि में हुए संगठन कांग्रेस के अधिवेशन में बाधायें डालने की कोशिश भी की गयी। वे अपने राजनैतिक हितों के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। उन्होंने संगठन कांग्रेस के कांग्रेस से मिलने के बारे में भी धमकियां दी हैं। उनका व्यवहार ठीक नहीं है। वे अन्य राजनैतिक दलों को दबाना चाहते हैं जो बहुत ही आपत्तिजनक बात है।

श्रीमती रोजा देशपांडे (बम्बई-मध्य) आपातकालीन स्थिति की घोषणा फासिस्ट तथा प्रतिक्रियावादी ताकतों की तोड़फोड़ सम्बन्धी गतिविधियों को रोकने के लिए की गयी थी। पिछले दिनों देश भर में हुए अनेक सम्मेलनों में जनसंघ तथा आंनद मार्ग जैसी फासिस्ट संस्थाओं पर पांबन्दी लगाने की मांगें हुई थीं 'महाराष्ट्र की शिव सेना भी एक फासिस्ट संस्था है। यह बात आश्चर्यजनक है कि अनेक बार की गयी मांग के बावजूद भी इस संस्था पर पाबंदी नहीं लगायी गयी है। सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि कर्मचारी वर्ग ने आपातकालीन स्थिति का समर्थन किया है सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी भी इस दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले अधिवेशन के दौरान यह निर्णय हुआ था कि हिन्दुस्तान ऐंटीबायटिक्स के मैनेजर को हटा दिया जायेगा क्योंकि इसका उत्पादन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इस बात की जांच की जाये कि इस कम्पनी का उत्पादन क्यों घटता जा रहा है। और इसे घाटा क्यों हो रहा है। इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : हम एक महत्वपूर्ण समय से होकर गुजर रहे हैं। 20 सूत्री कार्य क्रम द्वारा देश में समाजवादी ढांचा आयेगा। यह बात निश्चित ही है। हमारे देश में दक्षिणपंथियों ने प्रजातंत्र तथा समाजवाद को आघात पहुंचाने के पूरे पूरे प्रयास किए हैं। आस्ट्रेलिया तथा बंगलादेश में क्या हुआ और ब्रिटेन में क्या हो रहा है। वहां पृथक स्काटिश राष्ट्रीय ऐसेम्बली की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गयी है। क्या हम यह चाहते हैं कि देश टुकड़ों में बंट जाये। हमारी सभ्यता तथा संस्कृति 5 हजार वर्ष पुरानी है। महात्मा गांधी की आवाज तथा पं० जवाहरलाल नेहरू की नीति इस बात की गारंटी है कि भारत अपने रहनसहन के स्तर के लिए ही अस्तित्व में नहीं है बल्कि विश्व में अपने अध्यात्मिक मूल्यों को फैलाने के लिए भी अस्तित्व में है, बशर्ते कि हम अपने देश में सुव्यवस्था रख सकें। हमारी प्रधान मंत्री पूरे संकल्प के साथ यही कुछ करती आयी हैं। क्या सभा के अंदर सत्याग्रह करने से संसद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विरोधी दल इस देश में तथा कथित 'क्रांति' लाना चाहते थे। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ायी त्याग कर तोड़फोड़ करने के लिए भड़काया।

सभापति महोदय : आप अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य : मैं पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : माननीय उपमंत्री

आपात स्थिति की उद्घोषणा के अन्तर्गत जारी अधिसूचना

NOTIFICATION UNDER PROCLAMATIONS OF EMERGENCY

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

संविधान के अनुच्छेद 359 के खण्ड (3) के अन्तर्गत दिनांक 8 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 16(ङ) की एक प्रति, जिसमें राष्ट्रपति का वह आदेश दिया हुआ है जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत कतिपय अधिकारों को तब तक निलम्बित कर दिया गया है जब तक कि 3 दिसम्बर, 1971 तथा 25

जुन, 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अन्तर्गत जारी की गयी आपात स्थिति की उद्घोषणाएं लागू हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 10033/76]

(तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 9 जनवरी, 1976/19 पोष, 1897 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, January 9, 1976/ Pausa 19, 1897.

GMGIPND—LS. III—2225. LS—26-2-76—200.